



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 65 अंक : 3 पृष्ठ : 60

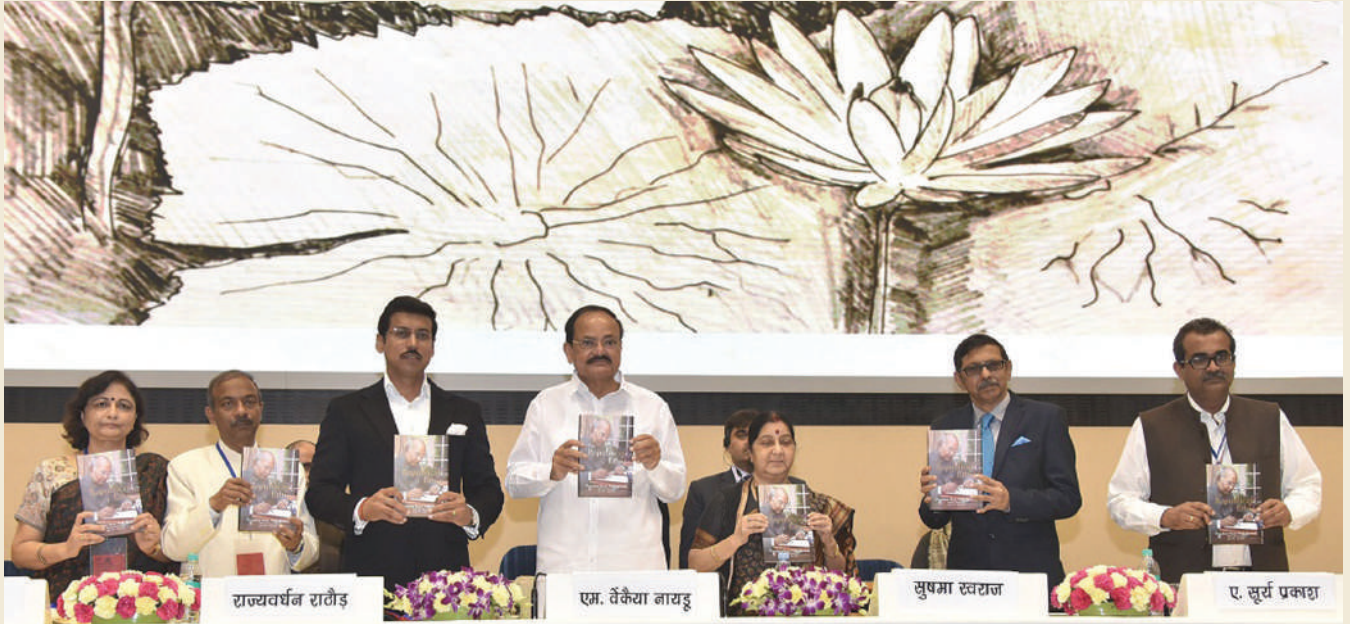
जनवरी 2019

मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण युवा सशक्तीकरण



‘द रिपब्लिकन एथिक व लोकतंत्र के स्वर : राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के प्रमुख भाषण’ पुस्तकों का उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचन

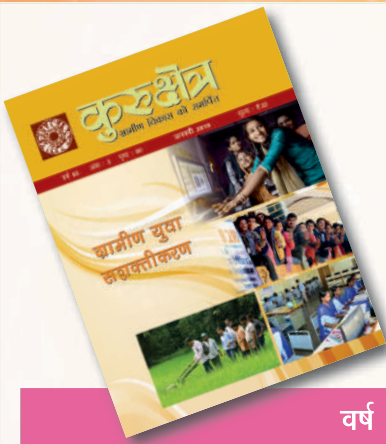


उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 8 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रपति के प्रमुख भाषणों की पुस्तकों ‘द रिपब्लिकन एथिक’ और ‘लोकतंत्र के स्वर’ का विमोचन करते हुए। विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, युवा मामले और खेल तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए सूर्य प्रकाश तथा सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे भी इस अवसर पर मौजूद थे।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 8 दिसंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दो पुस्तकों— ‘द रिपब्लिकन एथिक’ और ‘लोकतंत्र के स्वर’ : राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के प्रमुख भाषण (जुलाई 2017—जुलाई 2018) का लोकार्पण किया। इन पुस्तकों को प्रकाशन विभाग ने छापा है। इस अवसर पर विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना और प्रसारण व युवा मामले और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए सूर्य प्रकाश, सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने शानदार साज-सज्जा और डिजाइन के साथ इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय व प्रकाशन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के विचारों की व्यापकता और गहराई काफी है और एक राष्ट्र प्रमुख और हमारे मजबूत गणराज्य के पहले नागरिक के तौर पर वह राष्ट्र के मर्म — इसके नजरिए, आकांक्षाओं, उम्मीदों और सबसे अहम इसके लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका यह भी कहना था कि ‘रिपब्लिकन एथिक’ किताब भारत और दुनिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों पर राष्ट्रपति के विचारों का अमूल्य संग्रह है। श्री वेंकैया नायडू का कहना था कि सबसे अहम यह है कि वह आम आदमी के दिल की बात करते हैं। विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इन किताबों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन विभाग और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में राष्ट्रपति कोविन्द के ज्ञान और विविध विषयों पर उनकी पकड़ की झलक मिलती है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय हमारी राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और विकास से संबंधित विषयों से जुड़ी पुस्तकें नियमित रूप से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास व पुस्तकालयों को भेजता है। ‘भारत एक परिचय’ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशन विभाग की महत्वपूर्ण पुस्तकें भी विदेश भेजी जाने वाली पुस्तकों में शामिल की गई हैं।

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हमारे नेता नीतियां बनाते हैं और हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा नेतृत्व जमीनी-स्तर से आता है और यह ऊपर उठकर नीति निर्माताओं के शीर्ष-स्तर तक पहुंचता है। उनका कहना था कि यही बात हमारे नेताओं को आबादी के अलग-अलग तबकों से जोड़ती है।





कुरुक्षेत्र



वर्ष : 65 ★ मासिक अंक : 3 ★ पृष्ठ : 60 ★ पौष-माघ 1940 ★ जनवरी 2019

प्रधान संपादक
शमीमा सिद्धीकी
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिथिर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये



इस अंक में

	सशक्त होते ग्रामीण युवा	नरेंद्र सिंह तोमर	5
	कौशल के माध्यम से ग्रामीण युवा सशक्तीकरण	ए. सूजा	11
	युवाओं में कृषि उद्यमिता विकास : अवसर और नीतियां	डॉ. जगदीप सक्सेना	14
	ग्रामीणों के सपनों को साकार करता वित्तीय समावेशन	सतीश सिंह	20
	वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार प्रवृत्ति से होंगे युवा सशक्त	डॉ. मनीष मोहन गोरे	25
	गांव, युवा और सूचना प्रौद्योगिकी	बालेन्दु शर्मा दाधीच	30
	‘भारत के लिए संकल्प प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान’ - युवाओं के लिए राष्ट्रीय चुनौती	---	34
	शिक्षित युवा, सशक्त देश	हिमांशी तिवारी	35
	राष्ट्र निर्माण हेतु ग्रामीण युवा सशक्तीकरण	डॉ. पवन कुमार शर्मा	41
	परंपरागत शिल्प को बढ़ावा	हेना नकवी	44
	ग्रामीण युवा महिलाओं में उद्यमिता विकास	डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी	47
	लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान खुले में शौचमुक्ति की ओर बढ़ते कदम	संतोष कुमार सिंह, रेणु सिंह	53
	सूचना और प्रसारण मंत्री ने ‘विमन इन इंडियन सिनेमा’ पुस्तक का लोकार्पण किया	---	56
	‘द रिपब्लिकन एथिक’ और ‘लोकतंत्र के स्वर’ की पहली प्रति राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट की गई	---	58

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें।
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए ‘कुरुक्षेत्र’ उत्तरदायी नहीं है।

समय के साथ टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और बदलती हुई टेक्नोलॉजी तमाम व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रही है। इस रफ्तार के साथ अगर सबसे तेज चल सकता है तो वो हमारे देश का नौजवान है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग की है। युवावस्था जीवन की सर्वाधिक ऊर्जावान और क्षमतावान अवस्था होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवा शक्ति की अपार ऊर्जा देश बदल सकती है। युवाओं को उचित प्रशिक्षण, तकनीकी मदद, ऋण सहायता और मार्गदर्शन मिले तो वे क्या नहीं कर सकते। साथ ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवोन्मेष ही देश के बेहतर भविष्य का आधार हो सकते हैं।

देश के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की युवा आबादी को ऊर्जावान, शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल जन-संसाधन के रूप में किस तरह विकसित किया जाए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के पक्ष में जनांकिकीय क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित लाभ देने की स्थिति में है और इससे वर्ष 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिले। देश में अन्य क्षेत्रों सहित कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स कैसे आएँ, नए इनोवेशन कैसे आएँ, इस पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। स्थानीय किसानों को भी तकनीक से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासों सहित खेती से लेकर पशुपालन और इससे जुड़े दूसरे व्यवसायों को नई तकनीकों से बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है।

आज ग्रामीण युवाओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि विज्ञान के साथ-साथ इंजीनियरिंग, फार्मसी, मैनेजमेंट, कानून और चिकित्सा जैसे विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। यह सब छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में तेजी से विस्तार के कारण संभव हुआ है। गांव के लोगों की आमदनी पहले से बढ़ी है और उसी अनुपात में खर्च करने की इच्छाशक्ति भी बढ़ी है। मजदूरी दरों में भी समय-समय पर वृद्धि हो रही है।

निसंदेह आज भारतीय गांव पहले से ज्यादा सशक्त, ज्यादा सुविधा-संपन्न और आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हुए हैं और इसके प्रभाव से ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण भी हुआ है। ग्रामीण युवाओं की, एक प्रमुख रोजगार के रूप में कृषि पर निर्भरता पहले से कुछ कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आय में छोटे स्तर पर निर्माण, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मरम्मत और अर्धकुशल या अकुशल सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि क्लीनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र और जनसेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी ग्रामीण युवाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण-शहरी के बीच की खाई पाटने की कोशिश मौजूदा सरकार ने की है। और स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा फैलोशिप जैसी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए अपना व्यवसाय करने की अपार संभावनाएं खोल दी हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और करोड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करने में एसएमएमई की निर्णायक भूमिका रहेगी। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम पर खास ध्यान दे रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के करोड़ों गरीब ग्रामीण परिवारों की जीवन-स्थिति में सुधार लाने के प्रयोजन से चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं के स्वयंसहायता समूह बना उन्हें स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आजीविका ने स्वयंसहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध करा उनके जीवन को नई दिशा दी है। स्टार्टअप ग्राम उद्यम कार्यक्रम एसवीईपी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को उद्यम लगाने में सहायता दी जा रही है।

शिक्षा क्षेत्र में, सरकार द्वारा शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य स्कूल-स्तर पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से सीखने के परिणामों को बढ़ाना है जिससे शिक्षक और छात्र सशक्त हो सकें। यह योजना ग्रामीण युवाओं को प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए, पीएमजी दिशा कार्यक्रम शुरू किया गया है जो ग्रामीण युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।

वर्तमान सरकार द्वारा लक्षित सभी क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित ऋणों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण युवाओं ने न केवल अपने उद्यम स्थापित किए हैं, बल्कि अपने सूक्ष्म उद्यमों में कई अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर नियोक्ता भी बने हैं।

वर्तमान सरकार की दृढ़ मान्यता है कि ग्रामीण युवाओं की बेहतरी के लिए उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है जोकि उनके वित्तीय सशक्तीकरण और जीवन-स्तर में सुधार से ही संभव है। ग्रामीण युवाओं के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं गांवों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से हैं जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यावश्यक है।

सशक्त होते ग्रामीण युवा

—नरेन्द्र सिंह तोमर

आज भारतीय गांव पहले से ज्यादा सशक्त, ज्यादा सुविधा-संपन्न और आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हुए हैं और इसके प्रभाव से ग्रामीण युवा भी सशक्त हुए हैं। ग्रामीण युवाओं की, एक प्रमुख रोजगार के रूप में कृषि पर निर्भरता पहले से कुछ कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आय में छोटे स्तर पर निर्माण, विनिर्माण, खाद्य-प्रसंस्करण, मरम्मत और अर्धकुशल या अकुशल सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम ग्रामीण युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें संतोषजनक रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की मौजूदा गति न केवल बनाए रखें बल्कि इसे लगातार बढ़ाते रहने का संकल्प भी लें।

आज भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और इसका 62 प्रतिशत हिस्सा 59 वर्ष से कम आयु का है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग की है। इस तरह भारत विश्व का सबसे युवा देश है। इसकी आबादी में गतिशील युवाओं की संख्या सर्वाधिक होना इस बात का प्रमाण है कि मौजूदा समय में युवा शक्ति और कार्यशील मानव संसाधन के रूप में भारत के पास विपुल संपदा उपलब्ध है। युवावस्था जीवन की सर्वाधिक ऊर्जावान और क्षमतावान अवधि होती है। एक ओर ज्यादातर विकासशील देश बढ़ती उम्र की आबादी की चुनौती का सामना कर रहे हैं, वहीं इस मामले में भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति बेहद अनुकूल है।

अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारत की आबादी केवल 28 वर्ष औसत आयु वर्ग की होगी, जबकि अमरीका में यह 38 वर्ष, चीन

में 42 वर्ष और जापान में 48 वर्ष है। वास्तव में, जनसांख्यिकीय लाभान्श यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की यह स्थिति भारत के लिए अपने आप में महान अवसर समेटे हुए है लेकिन इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था श्रमशक्ति की इस बढ़ोतरी को संभालने की क्षमता रखती हो। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में रचनात्मक योगदान के लिए युवा वर्ग उचित शिक्षा, कौशल, काम करने की सकारात्मक प्रवृत्ति, निष्ठा और समर्पण की भावना से युक्त हो। लेकिन यह सब केवल कल्पनाओं से ही साकार होने वाला नहीं है। इसके लिए देश की और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की युवाशक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए पूरे देश को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ऐसा होने पर ही वे अपनी क्षमताओं का आकलन कर पाएंगे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करने के योग्य बन सकेंगे। ऐसा युवा



सशक्तीकरण के सक्रिय और प्रभावी उपायों के जरिए ही संभव है।

हमारे देश के पास प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक भंडार है जो नए भारत के निर्माण का स्वप्न पूरा करने में सक्षम है। भारत में 19,94,555 वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि है जो कुल क्षेत्रफल का 56.76 प्रतिशत है। पर्वतों, नदियों और वनों के रूप में भी प्राकृतिक संपदा का वरदान हमारे देश को प्राप्त है। भारत को कोयला संसाधन की दृष्टि से भी विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश होने का गौरव हासिल है। वास्तव में, भारत को बड़े अवसरों और महान संभावनाओं का देश कहा जा सकता है जिसमें सभी के लिए प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे देश में हर एक की, हर तरह की जरूरत पूरी करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि प्रकृति के पास किसी की तृष्णा के लिए नहीं, बल्कि हर-एक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

यह हर्ष का विषय है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राजग सरकार अनुकूल जनांकिकीय स्थिति का पूरा उपयोग करने के प्रयास कर रही है। इस दिशा में प्रमुख चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की युवा आबादी को ऊर्जावान, शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल जन-संसाधन के रूप में किस तरह विकसित किया जाए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के पक्ष में जनांकिकीय क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित लाभ देने की स्थिति में है और इससे वर्ष 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की आशा है। अर्थशास्त्रियों का यह भी अनुमान है कि विकसित देशों को 5 करोड़ 70 लाख से अधिक अर्धकुशल जन-संसाधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है जबकि भारत में आवश्यकता से अधिक करीब 4 करोड़ 70 लाख जनशक्ति सृजित होने की उम्मीद है। इससे न केवल घरेलू उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी होंगी बल्कि भारत वैश्विक-स्तर पर जनशक्ति की मांग पूरी करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसके बावजूद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 13 प्रतिशत है।

आज़ादी के बाद के कई दशकों में अवसरों तक असमान पहुंच और शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण के मामले में कोई ठोस एवं प्रभावी नीति न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की क्षमता का उचित और रचनात्मक उपयोग नहीं हो पाया। यह सच है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के मुकाबले शिक्षा और प्रशिक्षण के अच्छे और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। लंबे समय तक इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। नतीजतन, ग्रामीण क्षेत्र के वही युवा उद्यमिता या कौशल प्रशिक्षण की सरकारी योजनाओं का फायदा ले पाए जो शहरों में आने-जाने या वहां रहने का खर्च उठा सकते थे। यही नहीं, कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं का दायरा सीमित

और संकुचित होने तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ पाने में इन योजनाओं की विफलता के कारण इस संबंध में सरकारी प्रयास अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में नाकाम रहे। इन दोनों के बीच की खाई पाटने की कोशिश श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए सरकार ने की है।

भारत की कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। यह वर्ग सबसे ऊर्जावान, सक्रिय और महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ देश के लिए एक बहुमूल्य संसाधन भी है। हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी शुरू से ही खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रही है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भारत कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान देश रहा है। यह बात अलग है कि युग-परिवर्तन के अनुरूप आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रभाव बढ़ा है। इसके फलस्वरूप, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों से स्वरोजगार को बढ़ावा देने और कौशल विकास पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अपने भावपूर्ण संबोधन में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। हमारे देश में एक ओर अकुशल श्रमिकों को उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, वहीं विशाल असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाना जरूरी है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिल सकें।

वास्तव में, ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण गांवों के सशक्तीकरण से सीधे तौर पर जुड़ा है। ग्राम सशक्तीकरण की गति जितनी तेज होगी और इसका दायरा जितना व्यापक होगा, ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण उतना ही व्यापक और असरदार होगा। लेकिन आज इस संबंध में एक चुनौती यह भी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांव का युवा गांव में नहीं रहना चाहता। वह शहरों की ओर पलायन करता है, भले ही वहां उसका जीवन-स्तर गांव की तुलना में घटिया दर्जे का ही क्यों न रहे। इससे देश को दोहरा नुकसान होता है। एक ओर शहरी क्षेत्र की पहले से तंग बुनियादी सुविधाओं पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। दूसरी ओर, उसका अपना ही गांव उपेक्षा का शिकार हो जाता है। अगर वह युवा अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग गांव के विकास और उत्थान के लिए करे तो उसे तरक्की की रफ्तार दे सकता है, पूरे गांव को प्रगति की एक नई राह सुझा सकता है और उसे समृद्धि के रास्ते पर ले जाने में योगदान दे सकता है। अगर गांव का युवा केवल अपने लिए अच्छी नौकरी या ऊंची डिग्री हासिल करने के उद्देश्य से ही पढ़ता है तो ग्राम सशक्तीकरण का स्वप्न साकार होना आसान नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण मृग-मरीचिका जैसा ही रहेगा।

आर्थिक सुधारों के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा तेजी से बदला है और तकनीकी क्रांति के इस युग में ग्रामीण क्षेत्र के युवा संचार व अन्य सुविधाओं से जुड़ते जा रहे हैं। भारत में पक्की



सड़कों, दुकानों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और बिजली की सुविधा वाले गांवों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि का सिलसिला जारी है। अब गांवों में आमतौर पर, छप्पर या घास-फूस वाले कच्चे घर मुश्किल से ही दिखाई देते हैं क्योंकि पक्के मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से सचमुच गांवों की तस्वीर ही बदल गई है। वास्तविकता यह भी है कि गांवों के स्वरूप में इस व्यापक बदलाव से आज पूरे देश की तस्वीर में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ग्रामीण युवाओं को गांव में ही शहर जैसी आवासीय सुविधा देकर, उन्हें गांव में ही रह कर स्थानीय विकास में योगदान देने का जो जज़्बा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने पैदा किया है, वह काबिले-तारीफ है। ग्रामीण आवास योजनाओं से निर्माण गतिविधियों में तेजी आई है जिससे रोजगार अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन हुआ है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2019 तक एक करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। नवंबर, 2018 के मध्य तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 52 लाख 26 हजार घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को आजीविका उपलब्ध कराने में योगदान दिया है। आज ग्रामीण युवाओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि विज्ञान के साथ-साथ इंजीनियरिंग, फार्मसी, मैनेजमेंट, कानून और चिकित्सा जैसे विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। यह सब छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में तेजी से विस्तार के कारण संभव हुआ है। अब गांव के लोगों की आमदनी बढ़ी है और उसी अनुपात में खर्च करने की हैसियत व इच्छाशक्ति भी बढ़ी है। मजदूरी दरों में भी समय-समय पर बढ़ोतरी हो रही है। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने पांच वर्ष हेतु गांवों के विकास के लिए अनुदान राशि 13वें वित्त

आयोग की तुलना में तीन गुना बढ़ाकर 2,00,292,20 करोड़ रुपये कर दी है। ग्राम पंचायतों को लगभग इतनी ही राशि मनरेगा से प्राप्त होने की आशा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि है, राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि है और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से भी धन पहुंच रहा है। इस तरह, गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अब धनराशि की कमी का कोई मुद्दा नहीं रह गया है।

ग्रामीण इलाकों में मुद्रा-प्रवाह बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति तथा युवाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने में मदद मिली है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज भारतीय गांव पहले से ज्यादा सशक्त, ज्यादा सुविधा-संपन्न और आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हुए हैं और इसके प्रभाव से ग्रामीण युवाओं का सशक्तीकरण भी हुआ है। ग्रामीण युवाओं की, एक प्रमुख रोजगार के रूप में कृषि पर निर्भरता पहले से कुछ कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आय में छोटे स्तर पर निर्माण, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मरम्मत और अर्धकुशल या अकुशल सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि क्लीनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र और जनसेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी ग्रामीण युवाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

हम एक नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें युवाओं और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग की अहम भागीदारी होगी। नए भारत का निर्माण दो महत्वपूर्ण पहलुओं मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत पर केंद्रित है। ऐसे भारत में हर व्यक्ति के लिए कार्य की आज़ादी, राष्ट्रीय विकास में युवा उद्यमियों की प्रतिभा के अधिकतम उपयोग और ज्यादा-से-ज्यादा व्यक्तियों के कौशल विकास के साथ देश के सभी घरों में शौचालय, रसोईगैस कनेक्शन, बिजली और इंटरनेट कनेक्शन जैसी तमाम



सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई पाटने और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरह सुविधा-सम्पन्न बनाने का संकल्प है। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त नए भारत की अवधारणा हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप है लेकिन इसके लिए हर भारतवासी को दृढ़-संकल्प और पूर्ण इच्छा-शक्ति के साथ आगे आना होगा। हमारे देश की करीब आधी आबादी कृषि या संबद्ध कार्यों पर ही निर्भर है और यह क्षेत्र केवल आंशिक रोजगार उपलब्ध करा पाता है। इस तरह, ग्रामीण युवाओं के रूप में सक्षम जनशक्ति का पूर्ण या समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े अकुशल मानव संसाधन को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में दर्शाने के प्रयास किए जाएं तो बड़ी संख्या में शिक्षित-प्रशिक्षित युवा इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट होंगे। इसके लिए कृषि को 'उद्योग' का दर्जा देना आवश्यक है।

कार्यबल का कौशल विकास एवं उत्पादकता पर नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का 70 प्रतिशत श्रमिक बल ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जो कम उत्पादक कृषि गतिविधियों पर निर्भर है और जहां रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। इससे उत्पादकता के स्तर में गिरावट आती है। रिपोर्ट में इस बात पर खुशी जाहिर की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के जरिए ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था का समन्वय करने और उन गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे गांव के लोगों की आय में वृद्धि हो। कृषि क्षेत्र में ऋतुकालीन उतार-चढ़ावों से होने वाली कठिनाइयों को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है।

नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, वैकल्पिक फसलों और श्रम-बहुल फसलों के जरिए न्यूनतम कृषि भूमि में अधिक उत्पादन, बेहतर आय और संतोषजनक रोजगार का वातावरण बनाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि खेती के काम में लगे ज्यादातर ग्रामीण परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम-बल के बड़े हिस्से के पास काम ही नहीं होता या वह अनुत्पादक और अनावश्यक तरीके से काम कर रहा होता है। केवल कुछ ही रोजगारों में जरूरत से ज्यादा श्रमिक लगे होते हैं। ऐसे श्रमिक बल को प्रत्यक्ष श्रम से, खाद्य-प्रसंस्करण जैसी सहायक गतिविधियों की ओर मोड़ने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि भारत सरकार कृषि की सहायक गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दे रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। इन्हें भारत को वर्ष 2022 तक 50 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य की अर्थव्यवस्था बनाने और हर वर्ष 1 करोड़ 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने में निर्णायक भूमिका अदा करनी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का अनुमान है कि वर्ष 2022 तक एमएसएमई क्षेत्र देश के 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की क्षमता रखता है। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम पर खास ध्यान दे रही है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को भारत के विकास का इंजन बनाने के लिए दो सूत्री कार्यक्रम लागू किया। पहले कार्यक्रम के तहत देश के वृहद आर्थिक संकेतकों में सुधार के उद्देश्य से ऊपर से नीचे की ओर सुधार कार्यक्रमों पर जोर देने के साथ कारोबार करने में सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका लाभ आमतौर पर सभी उद्यमियों और विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को



मिला है। दूसरे उपाय के तौर पर इन उद्यमों और स्टार्टअप्स को निचले स्तर पर विशेष प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई ताकि वे विकास की गति पकड़ सकें और श्रमिकों के रूप में प्रतिमाह जुड़ने वाले करीब दस लाख भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर जुटा सकें। माल और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत, ऋणशोधन और दिवालियापन के मामलों के निपटारे हेतु संस्थागत प्रणाली, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उदारता, बैंकों के फंसे ऋणों के मामले में कठोर और असरदार कार्रवाई और आधारभूत ढांचे में भारी निवेश जैसे उपाय एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप्स के लिए जीवनदायिनी शक्ति साबित हुए हैं।

सरकारी खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई-मार्केट प्लेस पोर्टल शुरू किया गया है। इससे छोटी कंपनियां भी प्रतिस्पर्धी दरों पर सरकारी अनुबंधों के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकती हैं। जीएसटी फाइलिंग के आधार पर इन इकाइयों के दोबारा वर्गीकरण से इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ है। 250 करोड़ रु तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के मामले में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिए जाने से पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा, भारत सरकार की दीर्घावधि सरकारी क्रयनीति के तहत अब प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का कम-से-कम 20 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदना आवश्यक हो गया है। 358 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें केवल एमएसएमई इकाइयों से ही खरीदा जा सकता है। इन उद्यमों की पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कई उपाय किए हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नए आर्थिक अवसर दूसरे और तीसरे-स्तर के कस्बों सहित समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हों। मिसाल के तौर पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत एक मोबाइल वैन दूसरे/तीसरे दर्जे के कस्बों में भेजी जाती है ताकि वहां उद्यमी प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

वर्तमान समय में एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित 633.32 लाख इकाइयां स्थापित हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या सूक्ष्म इकाइयों की है। देश में अकेले सूक्ष्म इकाइयों की कुल संख्या 630.52 लाख है, जो संपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र की 99 प्रतिशत है। इनमें से 324.09 लाख सूक्ष्म इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अगर सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों क्षेत्रों की बात की जाए, तो 324.88 लाख

इकाइयां या 51 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में और 309 लाख इकाइयां या 49 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्यशील हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 77.76 प्रतिशत उद्यम पुरुषों के और 22.34 प्रतिशत उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में हैं। ग्रामीण इलाकों में 15.37 प्रतिशत उद्यमों पर अनुसूचित जाति, 6.70 प्रतिशत उद्यमों पर अनुसूचित जनजाति और 51.59 प्रतिशत उद्यमों पर अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़े उद्यमियों का स्वामित्व है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र ने लगभग 11.10 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन किया है। इनमें से 4 करोड़ 97 लाख 78 हजार ग्रामीण क्षेत्र में और 6 करोड़ 12 लाख से अधिक शहरी क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र की विनिर्माण में 40 प्रतिशत और भारत के निर्यात में अनुमानित 45 प्रतिशत भागीदारी है। हाल में इसकी वृद्धि दोहरे अंकों में दर्ज की गई है। इससे यह बात साफ है कि एमएसएमई क्षेत्र से सभी वर्गों के ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है।

युवा-सशक्तीकरण के उपायों की कड़ी में मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत से लेकर सरकार 12 करोड़ से अधिक उद्यमियों और लाभार्थियों को ऋण वितरित कर चुकी है। इसके तहत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी स्वरोजगार अपनाया है। ग्रामीण भारत के युवाओं ने न केवल अपने लिए रोजगार शुरू किया है, बल्कि वे अपने स्टार्टअप्स में बुनियादी तौर पर मुद्रा योजना का लाभ लेकर स्थापित किए गए सूक्ष्म उद्योगों में कई अन्य व्यक्तियों को रोजगार देकर नियोक्ता भी बने हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 'मनरेगा' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत अकुशल शारीरिक श्रम-कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को कम-से-कम 100 दिन की गारंटीयुक्त मजदूरी/रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मनरेगा का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 3 दिसंबर, 2018 तक 165.78 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए और प्रति परिवार औसत श्रम दिवस की संख्या 46 रही। इसमें महिलाओं की भागीदारी 53 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 39 प्रतिशत दर्ज की गई। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादकता के साथ ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ी है।

ग्रामीण संपर्क गांववासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और विपणन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए देश के सभी जिलों में प्रत्येक पात्र बसावट को कम-से-कम एक बारहमासी सड़क-संपर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवंबर, 2018 के मध्य तक कुल पात्र 1,78,184 बसावटों में से 1,68,394 को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है, जो लक्ष्य का 94.5 प्रतिशत है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के युवा वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित हुई है।



दीनदयाल अंत्योदय योजना— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के 647 से अधिक जिलों, 6,559 ब्लॉकों, करीब 2,38,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 6,40,000 गांवों के सात से आठ करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों की जीवन-स्थिति में सुधार लाने के प्रयोजन से चलाई जा रही है। इसके तहत ग्रामीण निर्धन परिवारों, मानव मलमूत्र ढोने वालों, मानव-तस्करी के शिकार व्यक्तियों, अभावग्रस्त जनजातीय समूहों, दिव्यांग-जनों और कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक निर्दिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयंसहायता समूह और संबद्ध संस्थाओं में शामिल किया जाता है। वर्तमान समय तक 46.45 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूह बनाए जा चुके हैं। इनमें महिलाओं की संख्या करीब 5.27 करोड़ है। 86,000 फेडरेशन बन गए हैं। स्वयंसहायता समूहों को वर्ष 2014 से 2018 तक 1.41 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके तहत स्टार्टअप ग्राम उद्यम कार्यक्रम एसवीईपी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को उद्यम लगाने में सहायता देकर गरीबी से उबारा जा रहा है। प्रथम चरण में वर्ष 2015 से 2019 के दौरान इसमें 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों में करीब 1.82 लाख उद्यमों को स्थापित कर उन्हें सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा की गई है। इससे लगभग 3.78 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके अंतर्गत, 25,088 उद्यमों को सहायता दी जा चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत 2014-15 से फरवरी, 2018 तक 5.73 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें से 3.54 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से फरवरी, 2018 तक 17 लाख ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसमें से 12.65 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान 3.97 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य के मुकाबले 4.23 लाख को प्रशिक्षण दिया गया और 3.49 लाख को नियोजित करने में कामयाबी मिली।

युवा-सशक्तीकरण के उपायों की कड़ी में मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत से लेकर सरकार 12 करोड़ से अधिक उद्यमियों और लाभार्थियों को ऋण वितरित कर चुकी है। इसके तहत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी स्वरोजगार अपनाया है। ग्रामीण भारत के युवाओं ने न केवल अपने लिए रोजगार शुरू किया है, बल्कि वे अपने स्टार्टअप्स में बुनियादी तौर पर मुद्रा योजना का लाभ लेकर स्थापित किए गए सूक्ष्म उद्योगों में कई अन्य व्यक्तियों को रोजगार देकर नियोजित भी बने हैं। इस योजना से फल या सब्जी विक्रेताओं, छोटे कारीगरों, मरम्मत की छोटी-मोटी दुकान चलाने वालों और खाने-पीने की चीजों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को बहुत मदद मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को छोटे-मोटे व्यवसाय आरंभ करने या पैसे की कमी के कारण बंद हो चुके व्यवसाय को दोबारा शुरू करने का अच्छा अवसर मिला है। इन सभी तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे गांवों के विकास की गति तेज हुई है और इसका सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में युवा-सशक्तीकरण पर पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें संतोषजनक रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की मौजूदा गति न केवल बनाए रखें बल्कि इसे लगातार बढ़ाते रहने का संकल्प भी लें।

(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं।)
ई-मेल : mord.kb@gmail.com

कौशल के माध्यम से ग्रामीण युवा सशक्तीकरण

—ए. सुजा

संस्थागत सुधारों से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी प्रासंगिकता सुधरेगी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में विश्वसनीयता आएगी जिससे कौशल के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा तथा नियोक्ता भी इसमें भागीदार बनेंगे। इससे व्यावसायिक शिक्षा का आकांक्षात्मक मूल्य बढ़ने से कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता में इज़ाफा होगा और भारत दुनिया में कौशल की राजधानी बन सकेगा।

युवा का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अनिवार्य शिक्षा पूरी करने और पहला रोजगार प्राप्त करने की उम्र के बीच में है। भारत में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और यहां करीब 27 प्रतिशत आबादी 15–29 साल के बीच है। युवाओं की इतनी बड़ी संख्या की वजह से भारत को इसका जनसांख्यिकीय फायदा मिल रहा है। आज के टेक्नोलॉजी संचालित श्रम बाजार में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी की जानकारी को औपचारिक स्कूली पढ़ाई से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वाले और जल्द रोजगार की तलाश में लगे लोग ऑनलाइन कौशल सीखने के साथ ही देश के भीतर और दुनिया भर में रोजगार के अवसरों से अवगत हो सकें। नियोक्ताओं की भी युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षुता के माध्यम से नवीनतम टेक्नोलॉजी से परिचय कराने तथा रोजगार के जरिए प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस संबंध में सरकार की कुछ पहल इस प्रकार हैं: **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)** की शुरुआत 19 अगस्त, 2016 को हुई थी। इसका लक्ष्य सन् 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले निर्धारित स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि में साझेदारी करती है। लेकिन किसी नियोक्ता के साथ काम करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रति माह अधिकतम 1500 रुपये राशि स्टाइपेंड के रूप में ही मिलेगी। सरकार बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को प्रत्येक नए प्रशिक्षु (जिसे किसी व्यवसाय विशेष का कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है) की ट्रेनिंग के कुल खर्च में से 7,500 रुपये की साझेदारी करेगी। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

किसी प्रशिक्षुता चक्र की समूची अवधि में आवेदनों को आसानी से निपटाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है



(www.apprenticeship.gov.in) यह पोर्टल इन चीजों में मदद देता है:

- प्रतिष्ठान, उम्मीदवारों और बुनियादी सेवा प्रदाताओं का पंजीयन करने।
- प्रतिष्ठान अपने यहां प्रशिक्षुओं के लिए सीटों/रिक्तियों की घोषणा कर सकते हैं।
- प्रतिष्ठान खास क्षेत्र, व्यवसाय, क्षेत्रवार उम्मीदवारों को खोज सकते हैं और सूचीबद्ध कर सकते हैं।
- प्रतिष्ठान अपना ऑनलाइन ब्यौरा और रिकार्ड अपने दावे के साथ भेज सकते हैं।
- प्रशिक्षु प्रतिष्ठानों से ऑफर लैटर्स ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं।
- सभी जरूरी अनुबंधित दायित्वों को ऑनलाइन ही प्रोसेस करना चाहिए।
- प्रशिक्षुता संबंधी अनुबंधों की समयबद्ध स्वीकृति।
- अनुपालन और निगरानी के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस बनाना।
- ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के साथ हॉल टिकट तैयार करने और जारी करने की सुविधा।

राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार (एसएएएज) और प्रशिक्षुता के क्षेत्रीय निदेशालय अपने-अपने राज्य/क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर कार्य करते हैं। 40 से अधिक लोगों को काम पर रखने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रशिक्षुओं को रखना अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों में 6 से लेकर 40 तक लोग काम करते हैं, वे भी इस पोर्टल के जरिए प्रशिक्षुओं को रख सकते हैं। पोर्टल में प्रशिक्षुओं के पंजीकरण और प्रशिक्षुता अनुबंध भेजने की भी व्यवस्था है।

ऐच्छिक व्यवसायों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रदान किया जाता है। 17 दिसंबर, 2018 को ऐच्छिक व्यवसायों के अंतर्गत 74,520 प्रतिष्ठान थे जिनमें प्रशिक्षुता के 28,296 अवसर उपलब्ध थे। इसके अंतर्गत 11,10,510 उम्मीदवारों में से 4,73,445 प्रशिक्षुओं को काम पर रखा गया।

उद्योगों के साथ संपर्क सुधारने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का जर्मन मॉडल अपनाया है जिसके तहत प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली शुरू की गई है। दोहरी प्रणाली में उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ आईटीआई में सैद्धांतिक और बुनियादी व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है जिससे आईटीआई और उद्योगों के बीच बेहतर संबंध कायम होता है। इसके अंतर्गत आईटीआई को संबंधित राज्य को सूचित करते हुए उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) : ग्रामीण हस्तशिल्पियों और बुनकरों समेत गांवों के गरीब लोगों को मदद देने के उद्देश्य से सरकार स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ग्राम-स्तर पर लागू कर रही है ताकि वे गांवों में ही गैर-कृषि

क्षेत्र में उद्यम शुरू कर सकें। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता मिशन (एनआरएलएम) की उप-योजना है। इसकी शुरुआत गांवों के गरीब लोगों को टिकाऊ उद्यम स्थापित करने में मदद देकर उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के उद्देश्य से की गई थी।

ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) : ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण युवाओं के लिए ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की आमदनी में विविधता लाना है। ये संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और बैंकों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी का परिणाम हैं। 31 प्रतिभागी बैंक इस योजना में शामिल हैं जिनकी मदद से देशभर में 586 आरएसईटीआई खोले गए हैं। ये आरएसईटीआई उम्मीदवारों को कृषि प्रक्रिया, उत्पाद और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे स्वरोजगार में संलग्न हो सकें। इसे करने के बाद कुछ उम्मीदवार सवेतन रोजगार भी प्राप्त करते हैं।

राष्ट्रीय नियोजनीयता संवर्धन मिशन (एनईईएम) : राष्ट्रीय नियोजनीयता संवर्धन मिशन (एनईईएम) का उद्देश्य तकनीकी या गैर-तकनीकी सवर्ग के अंतर्गत स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे या डिग्री अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके लोगों की नियोजनीयता बढ़ाना है। अब तक एनईईएम योजना के तहत 20 एजेंटों को पंजीकृत किया जा चुका है। एनईईएम एजेंट वे लोग हैं जिनके छोटे उद्योगों आदि से संबंध होते हैं, जिन्हें कौशल की मांग के बारे में जानकारी रहती है इसलिए वे उपयुक्त कौशल वाले लोगों को खोज सकते हैं। वर्ष 2017-18 में एनईईएम एजेंटों ने 43,000 से अधिक उम्मीदवारों को उद्योगों में प्रशिक्षुता दिलाई।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) : एनएसडीसी ने फेसबुक के साथ नीतिगत साझेदारी का समझौता किया है ताकि भारत में युवाओं और उद्यमियों को डिजिटल कौशलों से संपन्न बनाया जा सके। यह समझौता ओडिशा में भुवनेश्वर में किया गया और इससे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फेसबुक के प्रशिक्षण को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इससे प्रशिक्षणार्थियों को स्थानीय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शामिल हैं। फेसबुक एनएसडीसी द्वारा नामजद लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। इससे रोजगार खोजने वालों के कौशल में वृद्धि होगी और उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) : 2 जुलाई, 2016 को विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत प्रवासी कौशल विकास योजना पर अमल किया जाएगा। इस

योजना का उद्देश्य कुछ खास क्षेत्रों और रोजगारों में संभावित प्रवासी कामगारों के कौशल में वृद्धि करके उसे अंतर्राष्ट्रीय-स्तर का बनाना है ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार हासिल करने में मदद मिले। योजना का प्रारंभिक जोर उन क्षेत्रों में कौशल विकास पर है जिनकी उन देशों में (ईसीआर) बड़ी मांग है जहां प्रवासन जांच आवश्यक होती है। घरेलू नौकर, ड्राइवर और निर्माण मजदूर भी इसमें शामिल हैं। बाद में इस योजना का दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार किया जाएगा।

इस योजना के एक हिस्से के रूप में देश के विभिन्न भागों में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कौशल विकास, मूल्यांकन और योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रशिक्षण के तौर पर चलाए जा रहे चरण में घरेलू नौकर, खुदरा व्यापार, पर्यटन और आतिथ्य, पूंजीगत साज-सामान, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, स्वचालन और सुरक्षा समेत 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) का उद्देश्य संभावित प्रवासियों के सॉफ्ट स्किल्स में गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज और कायदे-कानूनों की समझ का विकास करना है। उन्हें विदेशों में रोजगार करने वालों के कल्याण और उनके संरक्षण के लिए भारत के विनियामक ढांचे और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सभी आईआईएससीज में 160 घंटे का लंबा पीडीओटी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें गंतव्य देश और भाषा के बारे में जानकारी तथा डिजिटल साक्षरता शामिल हैं। एक दिन का एक अन्य अल्पावधि कार्यक्रम निकट भविष्य में बाहर जाने वाले ऐसे सभी संभावित प्रवासियों के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से नाम दर्ज कराया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से 8,000 उम्मीदवारों को एक दिवसीय पीडीओटी कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा चुका है (15 अप्रैल, 2018 तक)।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) : जन शिक्षण संस्थान जिन्हें इससे पहले 'श्रमिक विद्यापीठ' कहा जाता था, अकुशल लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों और अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जन शिक्षण संस्थान दो तरह की गतिविधियों में संलग्न हैं : (i) व्यावसायिक पाठ्यक्रम : कौशल/व्यावहारिक ज्ञान के अनुप्रयोग वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिनसे बाजार में मांग बढ़े और आमदनी भी हो। इसमें मुख्य व्यवसाय हैं : कटिंग और टेलरिंग, बैग बनाना, ब्यूटी कल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्विंग, मोटर वाहनों की मरम्मत, प्लंबिंग (ii) जीवन को परिपूर्ण बनाने वाले शैक्षिक घटकों को छोड़कर अन्य सांकेतिक गतिविधियों का संचालन। जन शिक्षा संस्थानों का अनोखा फायदा यह है कि इसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके घर ही के पास कौशल का प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकती है और ये संस्थान देश के दूरदराज इलाकों में भी उपलब्ध हैं। जन-शिक्षण

संस्थानों का गठन एनजीओ/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है और ये सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। इस समय 248 जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनसे हर साल औसतन 3-4 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार इन संस्थानों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता एकमुश्त उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल के क्षेत्र में मौजूदा विनियामक संस्थाओं-राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) का विलय करके राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के गठन की मंजूरी दी। एनसीवीईटी दीर्घकालीन और अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करेगी और उनके कामकाज के न्यूनतम मानदंड निर्धारित करेगी। एनसीवीईटी के बुनियादी कार्य ये हैं: (1) प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले संगठनों, मूल्यांकन करने वाले संगठनों और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करना और उनका विनियमन, (2) प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले संगठनों और क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा तैयार योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना, (3) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा मूल्यांकन एजेंसियों आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से विनियमित करना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को अब एनसीवीईटी के तहत कर दिया गया है और वह विनियमन संबंधी कार्यों को अपनी क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से कराएगा।

इन संस्थागत सुधारों से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी प्रासंगिकता सुधरेगी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में विश्वसनीयता आएगी जिससे कौशल के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा तथा नियोजता भी इसमें भागीदार बनेंगे। इससे व्यावसायिक शिक्षा का आकांक्षात्मक मूल्य बढ़ने से कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता में इज़ाफा होगा और भारत दुनिया में कौशल की राजधानी बन सकेगा।

कुल मिलाकर, ग्रामीण युवा दीर्घकाल तक नियोजन के लिए सक्षम बने रहें, उसके लिए यह जरूरी है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने की रोकथाम हो और वे कम से कम माध्यमिक-स्तर की शिक्षा पूरी कर सकें जोकि टिकाऊ रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु आवश्यक है। टेक्नोलॉजी संबंधी विकास के आज के दौर में कौशल विकास का जोर अल्पावधि की बजाय दीर्घावधि पाठ्यक्रम पूरे करना होना चाहिए ताकि नौजवान बड़ी तेजी से विकसित हो रहे रोजगार के बाजार में टिके रह सकें।

(लेखिका भारतीय सांख्यिकी सेवा से हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।)

ई-मेल : srija.a@gov.in

युवाओं में कृषि उद्यमिता विकास : अवसर और नीतियां

—डॉ. जगदीप सक्सेना

देश के अनेक भागों में अब ग्रामीण युवा रोजगार तलाशने की जगह रोजगार देने वाले बन गए हैं। स्वयंसहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और स्टार्टअप के रूप में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता की लहर चल पड़ी है। इस बदलाव को सरकार की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों से सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और बल मिला है।

भारत में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में असाधारण प्रगति के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहां कृषि का एक व्यापक अर्थ है, जिसमें बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मात्स्यिकी और काफी हद तक खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल हैं। लगभग 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है।

भारतीय आबादी का विश्लेषण बताता है कि हम अपेक्षाकृत युवा देश हैं। कुल आबादी में 16 से 30 वर्ष के युवाओं की भागीदारी 28 प्रतिशत है, जबकि 61 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात सात प्रतिशत पर सीमित है। हमारे देश में स्वाभाविक रूप से लगभग 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, जबकि 31 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों की निवासी है।

परंतु रोजगार के अवसरों की तलाश में तेजी से शहरों की ओर पलायन करते ग्रामीण युवा इस जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए चुनौती बन रहे हैं। इससे जहां एक ओर कृषि में पर्याप्त कार्यबल और युवा शक्ति का अभाव उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरों में नागरिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। यह राष्ट्रीय-स्तर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अनेक मंचों तथा स्तरों पर विचार मंथन किया गया। परिणामस्वरूप यह आवश्यक माना गया कि ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने तथा उन्हें गांवों से जोड़े रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास और युवाओं का तकनीकी सशक्तीकरण किया जाए। इसके लिए ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल विकास से संपन्न किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके आशाजनक नतीजे भी सामने आए हैं। देश के अनेक भागों में



अब ग्रामीण युवा रोजगार तलाशने की जगह रोजगार देने वाले बन गए हैं। स्वयंसहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और स्टार्टअप के रूप में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता की लहर चल पड़ी है। इस बदलाव को सरकार की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों से सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और बल मिला है।

सीखो और करो, आगे बढ़ो

देश की शीर्षस्थ कृषि वैज्ञानिक शोध संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों को विभिन्न कृषि उद्यमों में प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए नई सोच के साथ लघु-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं, जिनमें करके सीखने और फिर करने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित और तैयार करते हैं। इन संस्थानों द्वारा मशरूम उत्पादन, वैज्ञानिक डेयरी, स्वच्छ दूध उत्पादन और दूध उत्पादों का उत्पादन, शहद उत्पादन और फार्म मशीनरी जैसे व्यावसायिक संभावना वाले क्षेत्रों में दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण संस्थानों के वैज्ञानिक निरंतर ग्रामीण युवाओं के संपर्क में रहकर उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। इस तरह उनका हौसला बना रहता है और वे तेजी से कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। उनकी समस्याओं तथा चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधान के लिए ब्लॉक और गांव-स्तर पर बैठकें की जाती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं तथा किसानों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

भारत की कृषि कौशल परिषद ने कृषि से संबंधित अनेक रोजगारों के 'क्वालिफिकेशन पैक्स' विकसित किए हैं, जिनमें उस विशिष्ट रोजगार के लिए आवश्यक योग्यताओं तथा कुशलताओं का मानक ब्यौरा दिया गया है। आईसीएआर के कृषि प्रसार विभाग ने इन 'क्वालिफिकेशन पैक्स' के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर के शोध संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 200 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक एक हजार से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को 88 'क्वालिफिकेशन पैक्स' के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। इस कौशल विकास के माध्यम से बीज उत्पादन, शीत शृंखला, मात्स्यिकी, और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में युवाओं को विशेष लाभ पहुंचा है। संबंधित प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मिलकर युवाओं और प्रगतिशील किसानों को

उद्यम स्थापित करने में बड़ी सहायता प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 से अब तक आईसीएआर के संस्थानों द्वारा लगभग 280 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आओ चलें कृषि की ओर

विशिष्ट रूप से ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमों की ओर आकर्षित करने के लिए आईसीएआर द्वारा 'आर्या' (एआरवाई-एंट्रेप्रेनरिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर) नाम से एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को तकनीकी सशक्तीकरण तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि वे कृषि तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्वरोजगार को अपनाकर अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में युवाओं को उद्यम की संचालन लागत की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, जैसे बीज, उर्वरक, छोटी मशीनें और उपकरण आदि। प्रारंभिक दौर में इस परियोजना को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 25 राज्यों में लागू किया गया और प्रत्येक राज्य से एक जिले को चुना गया। प्रत्येक जिले में गांवों के 4-5 समूहों को चुनकर वहां 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता विकास के लिए पंजीकृत किया गया। क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण उद्यमों को चुना गया, परंतु मुख्य रूप से ऐसे उद्यमों को प्राथमिकता दी गई जिनमें कम पूंजी से अधिक आय की संभावना हो, जैसे मछली पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, छोटी डेयरी या बकरी पालन। कुछ क्षेत्रों में कृषि आधारित हस्तकला को भी प्रोत्साहित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों ने आईसीएआर के संस्थानों को प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में परियोजना के साथ जोड़ा, ताकि इस प्रौद्योगिकी पर आधारित एक व्यावहारिक बिजनेस मॉडल तैयार किया जा सके। प्रशिक्षण के उपरांत उद्यम स्थापित करने में युवाओं की सहायता की गई और समय-समय पर मूल्यांकन कर उद्यम को अधिक उन्नत तथा लाभकारी बनाने के प्रयास किए गए। परियोजना से मिले आशाजनक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान इसका प्रसार 71 कृषि विज्ञान केंद्रों तक कर दिया गया है। परियोजना के इस नए चरण में कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन से जुड़े उद्यमों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि युवाओं को द्वितीयक कृषि का लाभ मिल सके और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद सुलभ हो सकें।

देश में कृषि विश्वविद्यालयों की निरंतर बढ़ती संख्या और छात्रों के बीच कृषि विज्ञान शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए तय किया गया कि छात्रावस्था के दौरान ही युवाओं में कृषि उद्यमशीलता के प्रति जागरूकता विकसित की जाए। इसके लिए आईसीएआर ने 'स्टुडेंट रेडी' (आरईएडीवाई-रूरल एंटरप्रेनरशिय अवैयरनेस डेवलपमेंट योजना) नामक एक व्यावहारिक योजना लागू की। इसे कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके पांच घटक हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जब एक युवा कृषि स्नातक के रूप में व्यावसायिक

उद्यमिता के लिए कौशल विकास

कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्रामीण युवाओं द्वारा सहजता से अपनाया जा सकता है। परंतु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ये युवा संबंधित उद्यम के कार्यक्षेत्र के अनुसार कौशल से भी संपन्न हों। उनमें संबंधित कार्य को प्रभावी रूप से करने की कुशलता तथा क्षमता भी मौजूद हो। वर्तमान केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की इस आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष पहल की। इसके अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को कृषि से संबंधित विभिन्न रोजगारों से जुड़ी कार्यकुशलता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन और खाद्य-प्रसंस्करण को भी शामिल किया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम की अवधि पांच वर्ष रखी गई है और इसे भारत सरकार के 'स्किल इंडिया' यानी 'कौशल भारत-कुशल भारत' योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उभर रहे रोजगार के नए अवसरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि नई तकनीकों से इस क्षेत्र को विशेष बल मिल रहा है। सूक्ष्म सिंचाई की तकनीकों और ग्रीनहाउसों के बढ़ते प्रचलन ने इस क्षेत्र में तकनीशियनों या ऑपरेटर्स की मांग बढ़ा दी है। इसी प्रकार, कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलने से यंत्रों के सुधार तथा मरम्मत के लिए स्थानीय-स्तर पर तकनीशियनों के लिए रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है। डेयरी और दूध का संग्रह, परिवहन तथा प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अब नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लगभग अनिवार्य रूप से किया जाने लगा है। इसलिए इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से कुशल तथा प्रबंधन के विशेषज्ञ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के अवसर बढ़ने से फसल, बागवानी, डेरी, मछली और कुक्कुट उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसी अनुपात में रोजगार के अवसरों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर और राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। इसके साथ केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठनों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क को भी प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक दौर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 11 चुने हुए कृषि विज्ञान केंद्रों में कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 11 राज्यों के 746 स्कूलों में और 53 सामुदायिक महाविद्यालयों में भी कृषि संबंधित कौशल विकास के प्रशिक्षण प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है। मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भी आंका जा रहा है, ताकि इसी के अनुरूप कौशल विकास के कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी कृषि क्षेत्र में कुशल कार्यबल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अंतर्गत अब तक दो लाख से अधिक युवाओं/अभ्यर्थियों को 37 कार्यक्षेत्रों में लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसी क्रम में एक लाख से अधिक युवाओं/अभ्यर्थियों को 25 कार्यक्षेत्रों के लिए प्रमाणित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तरह, देश भर में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास की एक सशक्त लहर चल पड़ी है।

जीवन में प्रवेश करे तो उसके पास अपना उद्यम शुरू करने लायक ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास मौजूद हो। परियाजना के पहले घटक के रूप में अनुभव आधारित ज्ञान अर्जन प्रदान किया जाता है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों में 'एक्सपीरियेंशल लर्निंग यूनिट्स' की स्थापना की गई है। अब तक विभिन्न विषयों में ऐसी 441 इकाइयों की स्थापना हो चुकी है। परियोजना के दूसरे घटक के अंतर्गत छात्रों को कृषि एवं गांव के परिवेश से परिचित कराने के लिए गांवों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वहां ये कृषि से संबंधित व्यावहारिक पहलुओं को जानते-समझते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तीसरे घटक में छात्रों को विभिन्न कृषि उद्यमों, कारखानों, औद्योगिक संगठनों आदि में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे उनमें उद्यमशीलता की व्यावहारिक समझ उत्पन्न होती है। चौथा घटक कौशल विकास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत छात्र

को उसके द्वारा चुने गए विषय में संबंधित कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। पांचवें घटक में छात्र अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अपनी परियोजनाएं तैयार करते हैं, जिनका मूल्यांकन कर उन्हें उद्यम स्थापित करने की ओर उन्मुख किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान अधिकतम छह माह तक छात्रों को 3,000 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। 'स्टूडेंट रेडी' परियोजना को वर्ष 2016-17 के दौरान 51 और वर्ष 2017-18 के दौरान 55 कृषि विश्वविद्यालयों में लागू किया गया, जिससे 26,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिला। इसके अलावा, छात्रों को कृषि उद्यम की ओर आकर्षित तथा जागरूक बनाने के लिए आईसीएआर के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (नॉर्म) में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें छात्रों और युवा उद्यमियों के साथ संकाय सदस्य तथा

विद्वान वैज्ञानिक भी भागीदारी करते हैं। अब तक इस प्रकार की 14 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 15 विश्वविद्यालयों से आए लगभग 2,000 छात्रों और 500 उद्यमियों ने भागीदारी की।

हाथ मिलाना, हाथ बढ़ाना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक अनुसंधान संस्थानों के विशाल नेटवर्क ने बड़ी संख्या में व्यावसायिक संभावना वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। परंतु एक लंबे अर्से तक इनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहीं क्योंकि इन्हें उद्यम के रूप में नहीं अपनाया गया। इसलिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि संभावित युवा उद्यमियों को इन प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया जाए और उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाए। प्रारंभिक दौर में उद्यमों की स्थापना में तकनीकी सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिसे 'हैंड होल्डिंग' या 'इनक्यूबेशन' भी कहा जाता है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सन् 2008 में आईसीएआर के पांच प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में 'इनक्यूबेशन सेंटर्स' की स्थापना की गई, जिन्होंने सन् 2014 तक सफलतापूर्वक कार्य किया। इस कार्यक्रम को ज़मीनी-स्तर पर मजबूती देने और देशव्यापी बनाने के लिए आईसीएआर ने 'नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड' का गठन किया, जिसके अंतर्गत 'इनक्यूबेशन फंड' को एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 25 संस्थानों में 'एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स' की स्थापना की गई, जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में युवा उद्यमियों को सहायता

प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे अनुसंधान सहायता, व्यवसाय नियोजन, कार्यालय के लिए जगह, सूचना एवं संचार तकनीकों तक पहुंच तथा प्रबंध, विपणन, तकनीकी, कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विशेषज्ञ सलाह। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान 'इनक्यूबेशन सेंटर्स' ने 385 उद्यमियों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यम/स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप आज देश भर में कृषि उद्यमिता की सफलता गाथाएं लिखी जा रही हैं।

आईसीएआर के भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने मध्य प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय के साथ मिलकर कृषि उद्यमिता विकास के लिए एक विशेष पहल की है। इसके अंतर्गत 40 वर्ष से कम आयु के युवा किसानों (न्यूनतम शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट) को गांव में ही 'कस्टम हायरिंग सेंटर' खोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस हायरिंग सेंटर में ट्रैक्टर सहित कुछ उपयोगी यंत्र व उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिन्हें कृषि क्रियाओं के लिए किसानों को किराए पर दिया जाता है। कारण यह है कि अधिकांश छोटे तथा सीमांत किसान कृषि मशीनों की खरीद के लिए समर्थ नहीं होते, परंतु यंत्रों को किराए पर लेकर कृषि मशीनीकरण का लाभ उठा सकते हैं। सेंटर चलाने के लिए युवा किसानों को एक सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके उपरांत भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 25 लाख रुपये के बैंक ऋण की व्यवस्था की जाती है। वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में



व्यावसायिक प्रौद्योगिकी से कृषि स्टार्टअप का विकास

मिष्ठी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड : इसकी स्थापना सीनियर सेकंडरी तक शिक्षा प्राप्त श्री संजीव कुमार ने 2014 में की और आज इस कंपनी का टर्न ओवर 350 लाख रुपये है। इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल से व्हे आधारित फंक्शनल पेय तथा दूध और मोटे अनाज के संमिश्रण से बने फर्मेंटेड डेयरी पेय बनाने की व्यावसायिक प्रौद्योगिकी का लाइसेंस प्राप्त किया और सीधे बाजार तक पहुंचने की मार्केटिंग नीति को अपनाया। आज इस कंपनी का प्रतिदिन का उत्पादन लगभग 5,000 लीटर है और यहां 18 कर्मचारी कार्य करते हैं।

मिलेट बाउल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड : श्री के.आर. संजय कुमार ने बी.टेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद मोटे अनाजों की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए इस स्टार्टअप की शुरुआत की। मोटे अनाज आधारित खाद्य उत्पाद बनाने के लिए इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी से व्यावसायिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की सुविधा व सहायता प्राप्त की। सन् 2016 में गठित इस स्टार्टअप का वर्तमान टर्नओवर 50 से 100 लाख रुपये है और यहां प्रतिदिन लगभग एक टन खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। यहां पांच से दस कर्मचारी काम करते हैं और उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाया जाता है।

नेक्स्टेन ड्राइंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लुधियाना स्थित 'सिफेट' संस्थान फसलों के कटाई उपरांत प्रसंस्करण को आसान बनाने के लिए कार्य करता है। इस संस्थान ने पूरी तरह से ऑटोमेटिक एक ऐसी मशीन बनाई है, जो शरीफा (कस्टर्ड ऐपल या सीताफल) से गूदा निकालने का काम करती है और लीची के फलों को छील देती है। इस तरह मानव श्रम की बचत होती है और कुशलता भी बढ़ती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त श्री शिवानंद एम. शेल्ले ने इस मशीन की व्यावसायिक संभावना को देखते हुए इसके उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त किया और सन् 2012 में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। आज उनके यहां 10 कर्मचारी काम करते हैं और 605 लाख रुपये का टर्नओवर है। इस मशीन से 94 प्रतिशत तक गूदा प्राप्त हो जाता है और इसकी क्षमता 120 किलोग्राम प्रति घंटा है।

स्किल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड : श्री नितिन गुप्ता के पास वैसे तो एम.ए. की डिग्री है, लेकिन उनकी रुचि मशीनों में थी और वह अपना व्यवसाय भी करना चाहते थे। उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित एक ऐसी मशीन के बारे में पता चला जो कपास की चुनाई में सहायक है। यह मशीन एक दिन में 120 किलोग्राम तक कपास की चुनाई कर सकती है, जो मानव क्षमता से तीन गुना से भी ज्यादा है। श्री गुप्ता ने सन् 2014 में इस मशीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज वह हर महीने लगभग 1000 मशीनें बना रहे हैं। उनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये हैं और इस स्टार्टअप से 11 लोगों को रोजगार मिला है।

साना एग्रीइंडस्ट्रीज : श्री इरफान अली केवल सेकंडरी तक शिक्षा प्राप्त हैं, लेकिन उनके मन में अपना व्यवसाय शुरू करने की दृढ़ इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी प्रौद्योगिकी को चुना, जो शुद्ध रूप से कृषि विज्ञान आधारित थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुंबई स्थित कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने कपास के बिनौले को अधिक पोषक बनाने के लिए एक सूक्ष्मजीवी आधारित प्रक्रिया विकसित की है। श्री इरफान अली ने इसी प्रक्रिया से अधिक पोषक बिनौले का व्यावसायिक उत्पादन सन् 2017 में शुरू कर दिया। उन्होंने अपने उत्पादन को सीधे बाजार तक पहुंचाने की रणनीति अपनायी। आज यह स्टार्टअप 2 से 3 टन प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है और इसका टर्नओवर 100 लाख रुपये है। इससे 7-8 कर्मचारियों को रोजगार भी मिला है।

नेचुरा नर्सरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स : भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालिकट ने मसाला फसलों की अनेक उन्नत किस्में विकसित की हैं, परंतु इनकी गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को किसानों तक पहुंचाना एक कठिन चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए श्रीमती थवीरा के. ने सन् 2012 में अपना स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने काली मिर्च की उन्नत किस्म आईआईएसआर थेवम और हल्दी की एक लोकप्रिय किस्म की रोपण सामग्री का व्यावसायिक उत्पादन कर सीधे किसानों तक पहुंचाने की शुरुआत की। आज 40 कर्मचारियों के सहयोग से वह प्रतिदिन दो मीट्रिक टन रोपण सामग्री का उत्पादन कर रही हैं। इस स्टार्टअप का टर्नओवर 50 लाख रुपये है।



उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्रों की खरीद के बाद गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाते हैं। संस्थान ने अब तक लगभग 1250 युवा उद्यमियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 1200 उद्यमी इस सेंटर का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है प्रत्येक उद्यमी वर्ष में औसतन 103 किसानों को सेवा उपलब्ध कराकर लगभग 2.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करता है और 182 मानव दिवसों का रोजगार भी उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, परंतु इनकी असाधारण सफलता कहती है कि इस बिजनेस मॉडल को देश भर में लागू किया जाना चाहिए।

संबद्ध क्षेत्र भी कम नहीं

सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों के कारण कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी युवा उद्यमिता का तेजी से विकास हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार सन् 2024 तक भारत में लगभग 90 लाख लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र युवा उद्यमियों के लिए स्वरोजगार के अपार अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ होगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को इसके लिए तकनीकी रूप से दक्ष तथा कुशल भी बनाया जाए। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सोनीपत (हरियाणा) में कार्यरत 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफटेम)' इस क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा (बी. टेक तथा एम.टेक), शोध तथा प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल प्रदान कर रहा है। यहां के आधुनिक पायलट प्लांट्स में छात्रों को व्यावहारिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और संस्थान तथा उद्योगों के बीच संपर्क के कारण वे वास्तविक कार्य अनुभव भी प्राप्त करते हैं। संस्थान की ग्राम अंगीकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को गांव के परिवेश में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्य करने का अनूठा अनुभव प्राप्त होता है, जो उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता है कि इस वर्ग के विश्वस्तरीय संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए।

विश्व में दूध उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद से दूध के उत्पादन, संग्रह, वितरण और प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम

स्थापित करने की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा डेयरी में उद्यमिता विकास के लिए एक विशेष योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत उद्यमियों या उनके समूहों को डेयरी से संबंधित विभिन्न उद्यम स्थापित करने के लिए 'नाबार्ड' के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। युवा उद्यमी दो से 10 पशुओं की डेयरी स्थापना से लेकर दूध प्रसंस्करण की मशीनों, दूध दुहने की मशीनों, दूध प्रशीतन इकाइयों, दूध कोल्ड स्टोरेज की स्थापना तक के लिए सब्सिडी तथा आसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, दूध और दूध उत्पादों की खुदरा बिक्री काउंटर या पार्लर खोलने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि बैंक एंडेड कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए यह दर 33.33 प्रतिशत तय की गई है। शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के रूप में की जाती है। यह योजना डेयरी क्षेत्र में उद्यमिता विकास को नया बल प्रदान कर रही है।

किसी व्यावसायिक क्षेत्र विशेष की उद्यम परियोजनाओं के अलावा भारत सरकार ने उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनमें 'स्टार्टअप इंडिया' एक विशिष्ट योजना है, जो विशेष रूप से युवाओं की सहायता करती है। इसके अलावा, 'स्फूर्ति' और 'एस्पायर' योजनाएं भी उद्यमिता विकास को सहायता देने का कार्य कर रही हैं। 'मुद्रा' योजना उद्यमियों को आसान शर्तों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर एक बड़ी सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार उद्यमिता विकास के लिए देश में एक अनुकूल परिवेश तैयार हो गया है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण युवाओं को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने से किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लक्ष्य में उद्यमिता विकास भी एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)

ई-मेल : jgdsaxena@gmail.com

ग्रामीणों के सपनों को साकार करता वित्तीय समावेशन

—सतीश सिंह

वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करना ही ग्रामीणों की समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण और कारगर हल है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, बैंकों द्वारा शुरू किए गए मिनी बैंक, प्रौद्योगिकी से संबद्ध उत्पाद आदि से आज ग्रामीण युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि वे स्वरोजगार शुरू करने में भी सफल हो रहे हैं।

क्या है वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन का अर्थ है—समाज के कमजोर तबके को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सेवाएं उन्हें वहन करने योग्य मूल्य पर मिले। ग्रामीण जरूरतों के मुताबिक वित्तीय सेवाओं के दायरे में मोटे तौर पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जमा व निकासी एवं ऋण की सुविधाओं को रखा जाता है। वैसे आज वित्तीय सेवाओं का दायरा विस्तृत हो गया है। दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा को भी इस वर्ग में शामिल किया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चला रही है। आज पेंशन को भी आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण का एक बड़ा जरिया माना जाने लगा है। लिहाजा सरकार ने अटल पेंशन योजना का आगाज़ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे डिजिटल बैंकिंग की अवधारणा मजबूत होने लगी

है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग आदि सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा का आगाज

वित्तीय समावेशन का महत्व 2000 के दशक से बढ़ने लगा क्योंकि लोगों को बैंक से जुड़कर स्वरोजगार शुरू करने या रोजगार पाने में आसानी होने लगी। विकास से महारूम ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता के अभाव में लोग मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों का बैंक से जुड़ना उनके लिए प्राणवायु के समान है। इसके फायदे को देखते हुए भारत जैसे लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश में वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के प्रति सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वित्तीय समावेशन का लक्ष्य सभी परिवारों के लिए जमा व भुगतान, पैसों का अंतरण, कर्ज, बीमा,



पेंशन आदि की सुविधाएं गरीबों को उचित लागत पर उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने 29 दिसंबर, 2003 को कहा था कि दुनिया में गरीब अभी भी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। इसलिए बड़ी चुनौती उन बाधाओं को दूर करना है जो आम लोगों को वित्तीय सुविधाओं से दूर करती हैं। इसके साथ ही हमें वैसी वित्तीय सुविधाओं को लेकर गरीबों के सामने जाना चाहिए जो उनके जीवन को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बेहतर बना सकें।

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का वित्तीय समावेशन को साकार करने में योगदान

देखा जाए तो वित्तीय समावेशन का सारा दारोमदार बैंकों पर है। आज वित्तीय समावेशन को मूर्त रूप देने के मामले में बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वित्तवर्ष 2016-17 में नाबार्ड के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंकलुजन सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसके अनुसार 88.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवार एवं 55 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास बचत खाता था। प्रत्येक परिवार साल में औसतन 17,000 रुपये की बचत कर रहा था। 52.5 प्रतिशत कृषक परिवार एवं 42.8 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुड़े परिवार कर्ज में डूबे थे। 26 प्रतिशत कृषि से जुड़े परिवार और 25 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुड़े परिवार बीमा की सुविधा का उपभोग कर रहे थे जबकि 20.1 प्रतिशत कृषक परिवार एवं 18.9 प्रतिशत कृषि मजदूरी करने वाले परिवार पेंशन की सुविधा ले रहे थे। इस सर्वे के मुताबिक कृषक परिवार की सालाना औसत आमदनी 1,07,172 रुपये और कृषि मजदूरों की सालाना औसत आय 87,228 रुपये थी। गौरतलब है कि नाबार्ड इस तरह का सर्वे 3 साल के अंतराल पर करता है। उक्त सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र के 40,327 परिवारों को शामिल किया गया था। जिसका एक महत्वपूर्ण कारण बैंकिंग सुविधा की पहुंच का दूरदराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाना है। बैंकों में कामकाज की सीमित अवधि वैकल्पिक चैनलों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं होने आदि के कारण ग्रामीणों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचने की गति धीमी है। दरअसल, बैंक शाखा खोलने एवं उसे संचालित करने की लागत बहुत ही ज्यादा है। इसलिए, बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा शाखाएं नहीं खोल

पा रहे हैं। हालांकि, इसके समाधान के तौर पर बैंक प्रौद्योगिकी से जुड़े बैंकिंग उत्पादों जैसे एटीएम, इंटरनेट कियोस्क आदि ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के 58,000 से भी अधिक एटीएम देशभर में हैं जिनका अधिकतर विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में है। 31 मार्च, 2018 तक देशभर में पॉइंट ऑफ सेल की संख्या 31 लाख थी, जबकि 86.10 करोड़ डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। स्टेट बैंक लगभग 80 प्रतिशत सेवाएं वैकल्पिक चैनलों मसलन इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम आदि के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। गांवों में मोबाइल टॉवर, बिजली व फोन की उपलब्धता होने से ग्रामीण अब प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वित्तवर्ष 2018 में देशभर में 2.22 लाख एटीएम थे।

अमूमन, ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले लेन-देन कम राशि के होते हैं। उनकी जरूरतें सीमित होती हैं। लिहाजा, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक शाखा खोलना बैंकों के लिए व्यावहारिक नहीं होता है। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर मिनी बैंक खोले जा रहे हैं, जिन्हें कस्टमर सर्विस पॉइंट (सीएसपी) के नाम से जाना जाता है।

इन मिनी बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जमा-निकासी, खाते के बारे में पूछताछ आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। 31 मार्च, 2018 तक स्टेट बैंक के 58,000 से अधिक बिजनेस कोर्सपोंडेंट (बीसी) एवं सीएसपी देशभर में कार्यरत थे। बीसी का काम ग्रामीणों के बीच वित्तीय जागरूकता लाना और उन्हें बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर जाकर उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने में स्वयंसहायता समूहों 'एसएचजी' और माइक्रो फाइनेंस की अहम भागीदारी है। एसएचजी आंदोलन की गति देशभर में तेज हो गई है। भारत सहित बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बोलीविया आदि देशों में इसकी मदद से वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इन देशों को बहुत हद तक सफलता भी मिली है। स्वसहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। आमतौर पर इनके सदस्य ईमानदार होते हैं। वे लक्ष्य को पाने की कोशिश शिद्धत से करते हैं। एसएचजी के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए बैंक इन्हें आसानी से कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सेगमेंटों में अभी भी एनपीए 1 प्रतिशत से कम है। इस क्षेत्र की ऐसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बनकर

तालिका-1 : 5 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)

बैंक	ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या	शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	खातों में जमा (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों को जारी रुपये कार्ड की संख्या
सरकारी बैंक	14.53	12.37	14.15	26.91	67803.72	21.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.63	0.87	3.03	5.51	14589.20	3.75
निजी बैंक	0.62	0.42	0.55	1.04	2421.62	0.97
कुल	19.79	13.67	17.73	33.46	84814.54	26.44



देश के समावेशी विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री जन-धन योजना को वित्तीय समावेशन को साकार करने के मामले में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त, 2014 को की गई थी और 28 अगस्त से इस योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस योजना के तहत जीवन बीमा, बिना पैसे के खाता खोलने, ऋण, रुपये कार्ड, एसएमएस आदि की सुविधाएं आम जन को दी जा रही हैं। पांच दिसंबर, 2018 तक इस योजना के तहत सभी बैंकों द्वारा 33 करोड़ 46 लाख खाते खोले गए थे जिनमें 84,815 करोड़ रुपये जमा थे। इन खातों में 26.44 लाख रुपये कार्ड भी जारी किए गए थे। रुपये कार्ड एक एटीएम कार्ड है जिसे डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, की मदद से एटीएम से पैसे की निकासी, पैसे का अंतरण, खातों में अधिशेष की जानकारी, बिल का भुगतान, पॉइंट ऑफ सेल से खरीददारी, ऑनलाइन शॉपिंग आदि सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों द्वारा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीणों का बैंकों में खाता खुलने से सरकार विविध सरकारी योजनाओं में मिलने वाले पैसे को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के जरिए उनके खाते में सीधे हस्तांतरित करा रही है जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। जनधन खातों से संबंधित जानकारी को तालिका-1 से भी समझा जा सकता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना का फैलाव मुख्यतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में है। इस योजना के आगाज़ से ग्रामीण आसानी से बैंकों में खाता खोल पा रहे हैं, क्योंकि इस योजना को सफल बनाने के लिए 'ग्राहकों को जानें' या केवाईसी के नियमों का सरलीकरण किया गया है। ऐसे खातों में जमा करने की सीमा निर्धारित की गई है ताकि इन खातों के माध्यम से फर्जीवाड़ा को अंजाम

नहीं दिया जा सके। इसका दूसरा पहलू यह है कि ग्रामीणों की जरूरतें सीमित होती हैं। उन्हें खातों में ज्यादा पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती है। बैंक, खाते का संतोषजनक संचालन करने वाले ग्रामीणों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। ओवरड्राफ्ट के तहत ग्राहकों को एक निश्चित राशि खाते में से आहरित करने की सुविधा दी जाती है। यह एक प्रकार का ऋण है जिसे समय-सीमा के अंदर ऋणी को वापिस चुकाना होता है। बैंक शाखाओं की कमी को पूरा करने के लिए मिनी बैंक या सीएसपी खोले गए हैं, जिसकी उपलब्धता गांव, ब्लॉक एवं तहसील में है। इस तरह,

बैंक से जुड़कर ग्रामीणों के लिए कारोबार करना आसान हो गया है। यह योजना स्वरोजगार शुरू करने या रोजगार सृजित करने का आज एक बड़ा माध्यम बन गई है।

वित्तीय समावेशन की राह की चुनौतियां

बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन तभी संभव है जब बैंक को दूसरे तंत्रों का साथ मिले। केवल बैंक के भरोसे वित्तीय समावेशन के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में ग्रामीणों का सहयोग बैंक को सुचारु रूप से मिलना जरूरी है। चूंकि, वित्तीय समावेशन को लागू करने का कोई विकसित एवं आजमाया हुआ मॉडल नहीं है इसलिए इसके बरक्स आनन-फानन में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद करना समीचीन नहीं होगा।

इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि वित्तीय समावेशन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए व्यावहारिक हो। जोखिम प्रबंधन, मिनी बैंक का संचालन, कर्ज वितरण आदि मामले में प्रमुख समस्याएं हैं। बीसी और सीएसपी द्वारा नकदी प्रबंधन करना भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि, इन समस्याओं को गंभीर प्रकृति का नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे इन समस्याओं का समाधान सामने आ रहा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वित्तीय समावेशन में योगदान

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को वित्तीय समावेशन को अमलीजामा पहनाने की राह में सबसे बड़ा सहायक तंत्र माना जा सकता है। आमतौर पर छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले जैसे, रेहड़ीवाले, खोमचेवाले, सब्जीवाले, फेरीवाले बिना बैंक से जुड़े कारोबार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत होने के बाद ऐसे अधिकांश कारोबारी बैंक से जुड़ गए हैं जिससे उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। मुद्रा ऋण केवल सरकारी बैंक के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। माइक्रोफाइनेंस एमएफआई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसीए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक

आदि भी मुद्रा लोन देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में छोटे एवं मझोले कारोबारी लाभान्वित हो रहे हैं। मुद्रा लोन देने में सबसे आगे सरकारी बैंक हैं। दूसरे स्थान पर निजी बैंक और एमएफआई हैं। वित्त वर्ष 2018 में 4 करोड़ 81 लाख मुद्रा लोन के खाते खोले गए थे। लाभान्वितों में महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत थी जबकि 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और 32 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के थे। इन खातों में 2,53,677 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और 2,46,437 करोड़ रुपये लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए थे। वित्तवर्ष 2018 में 4.81 करोड़ लाभार्थियों में से एक बड़ी संख्या छोटे कारोबारियों की थी।

मुद्रा ऋण खातों के एनपीए होने का प्रतिशत भी दूसरे ऋण के सेगमेंटों में एनपीए होने के प्रतिशत से बहुत कम है। वित्त वर्ष 2018 में सभी सेगमेंटों में 10 प्रतिशत एनपीए था लेकिन मुद्रा ऋण के मामले में यह महज 5.38 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2018-19 के 7 दिसंबर तक मुद्रा ऋण के 2.81 करोड़ के प्रस्ताव आए, जिनमें 1,48,503.57 करोड़ स्वीकृत किए गए और 1,42,009.91 करोड़ रुपये लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए। वर्तमान में मुद्रा लोन को रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मदद से लोग स्वरोजगार और रोजगार कर रहे हैं। ये रोजगार असंगठित क्षेत्र में सृजित हो रहा है। इसलिए इसकी गणना करना संभव नहीं है। फिर भी, जहां 20 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं, उनकी गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर रहा है। ऐसे कामगारों की गणना पेट्रोल रिपोर्टिंग में की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लाखों की संख्या में हर साल रोजगार पैदा हो रहा है जिसकी पुष्टि मुद्रा ऋण के लाभार्थियों की संख्या से भी की जा सकती है।

मनरेगा से रोजगार सृजन

ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे एक प्रभावी रोजगारपरक कार्यक्रम माना जा सकता है। वित्तवर्ष 2018-19 के 15 दिसंबर, 2018 तक 11 करोड़ 63 लाख कामगार इस योजना के तहत काम कर रहे थे, जबकि इस योजना से जुड़े कामगारों की कुल संख्या 25 करोड़ 95 लाख थी। इस योजना का फैलाव देश के 691 जिलों और 6918 ब्लॉकों में है। इस योजना के तहत अब तक 12.89 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 7.52 करोड़ जॉब कार्ड सक्रिय हैं। इस योजना के आगाज के बाद से इस मद में कुल 4,95,535.52 करोड़ रुपये कामगारों को मेहनताना के तौर पर दिए गए हैं, जबकि इससे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 4.36 करोड़ है। इस योजना का ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में अहम योगदान है, जो बैंकों से जुड़कर ही संभव हो पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बिना वित्तीय समावेशन की राह में आगे बढ़े इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता है।

ग्रामीण इलाकों के विकास में युवाओं की भागीदारी

भारत में किस उम्र के लोग युवा माने जाएंगे, इसकी परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है। मौजूदा समय में 15 से 34 वर्ष के लोग युवा माने जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में युवाओं की आबादी 42.19 करोड़ थी जिसमें पुरुषों की संख्या 21.75 करोड़ थी और महिलाओं की संख्या 20.44 करोड़। वर्ष 2011 में देश की कुल आबादी 121.09 करोड़ थी। इस तरह, प्रतिशत में देखा जाए तो भारत में युवाओं की आबादी वर्ष 2011 में 35 प्रतिशत थी, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण युवा थे और शेष 30 प्रतिशत शहरी युवा।

वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार लगभग 61.5 प्रतिशत ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं। एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले सीमांत परिवारों का प्रतिशत वर्ष 2001 की जनगणना के 62.9 प्रतिशत से घटकर 2011 की जनगणना में 22.5 प्रतिशत हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन रफ्तार धीमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

मेरा मोबाइल... मेरा बैंक... मेरा बटुवा...
बिना कैश के भुगतान
मुमकिन है

ई-वॉलेट

ई-वॉलेट मतलब ई-बटुवा,
जिससे पैसे का लेन देन मुमकिन है

- ऐसे कई ई-वॉलेट उपलब्ध हैं
- एस बी आई बड़्डी जैसा वॉलेट डाउनलोड करिये
- मोबाइल नंबर डालके रजिस्ट्रेशन करिये
- अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को इससे जोड़िये



और बन गया आपका फोन, आपका बटुवा



में इसका योगदान लगभग 17 प्रतिशत है और यह 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है।

देश के सतत विकास के लिए जरूरी है कि युवाओं को रोजगार मिले या फिर वे स्वरोजगार के माध्यम से जीवनयापन करें। किसी देश में पर्याप्त रोजगार होने से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।

लिहाजा, राष्ट्र नीति उपायों और सरकारी मदद से बेरोजगारी को कम करने या खत्म करने का प्रयास शिदत के साथ करने की जरूरत है। साथ ही, आम आदमी द्वारा भी मामले में सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को एक बार प्रयास करके पूरा नहीं किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसको मूर्त रूप देने के लिए सभी हितधारकों को टीम भावना के साथ प्रयास करना चाहिए। इस महती कार्य को सबकी भागीदारी की मदद से ही अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी सफलता के लिए बैंकर, नौकरशाह, नियामक, वित्तीय सेवाओं से वंचित आदि लोगों में जागरूकता पैदा करना अति आवश्यक है। पूरे परिदृश्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रौद्योगिकी से जुड़े तंत्रों जैसे एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल आदि की मदद से ग्रामीण अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं के पास अपने सपनों को पूरा करने के सीमित विकल्प हैं। उनके लिए जीवनयापन के लिए स्वरोजगार शुरू करना या रोजगार हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी

है कि वे अद्यतन तरीके से खेती-किसानी करें या छोटा-मोटा कारोबार करके अपने परिवार का पेट पालें। इसके लिए ग्रामीण युवाओं के लिए जरूरी है कि वे बैंक या वित्तीय संस्थानों से जुड़ें। बैंक से जुड़ने पर ही वे ऋण, फसलों का बीमा, कारोबार, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि का उपभोग कर सकते हैं। इस तरह, वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करना ही ग्रामीणों की समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण और कारगर हल है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, बैंकों द्वारा शुरू किए गए मिनी बैंक, प्रौद्योगिकी से संबद्ध उत्पाद आदि से आज ग्रामीण युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि वे स्वरोजगार शुरू करने में भी सफल हो रहे हैं।

ग्रामीणों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता जरूरी है। बैंक से जुड़कर ग्रामीण महाजन के चंगुल से बच सकते हैं। कई बार ग्रामीणों के पैसे चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं, जिसका निदान भी बैंक से जुड़ना है।

नोबल पुरस्कार विजेता डॉयनस के मुताबिक गरीबी पर काबू पाने का मूल तत्व खुद गरीब के अंदर होता है। हमें इसके लिए उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उसे बैंक से जोड़ना उसकी सबसे बड़ी मदद है, लेकिन इस संदर्भ में सभी हितधारकों, जैसे नीति निर्माताओं, नियामकों, बैंकों, एनजीओ, एमएफआई और अन्य संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका 'आर्थिक दर्पण' के संपादक हैं।)

ई-मेल : satish5249@gmail.com

डीबीटी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए 'इंश्योर' नामक ऑनलाइन पोर्टल

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ईडीईजी ने हाल ही में इंश्योर पोर्टल लांच किया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन मोदी सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस मिशन के घटक-ईडीईजी के अंतर्गत कुक्कुट, लघु रूमीनेट्स, सुअर, इत्यादि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) 'डीबीटी' के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। डीबीटी के लिए लाभार्थियों की आसानी हेतु सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए नाबार्ड द्वारा 'इंश्योर' नामक ऑनलाइन पोर्टल <https://ensure.nabard.org> विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर लाभार्थी आवेदन की प्रक्रिया की सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी का अलग-अलग अनुपात तय किया गया है। वर्ष 2014 से अब तक लघु व्यापार, डेयरी और पशुपालन की यूनितों को प्रारंभ करने के लिए अनेक लाभार्थियों को 417.14 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार बैंक का नियंत्रणाधिकारी/शाखा प्रबंधक, प्रस्ताव की जांच-पड़ताल और अनुमोदन करने के पश्चात् पोर्टल में सब्सिडी का दावा अपलोड करेगा जिससे अब से सब्सिडी, ऋण के अनुमोदन की तिथि से मात्र 30 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी। पहले लाभार्थी को ऋण अनुमोदन के बाद भी लंबे समय तक सब्सिडी उसके खाते में नहीं पहुंच पाती थी। इस प्रक्रिया से सूचना/निधियों का प्रवाह भी अधिक तेज और जवाबदेह हो जाएगा। साथ ही, किसानों द्वारा सब्सिडी की राशि पर लंबी अवधि तक ब्याज भरने के अतिरिक्त भार में भी पोर्टल आरंभ किए जाने के पश्चात् अब कमी आएगी। इसके अतिरिक्त पोर्टल से वास्तविक समय आधार पर पहुंच भी सुलभ होगी और लाभार्थियों की सूची भी आसानी से तैयार की जा सकेगी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार प्रवृत्ति से होंगे युवा सशक्त

—डॉ. मनीष मोहन गोरे

अधिकांश देशों ने बाजार व उद्यमों की बदलती आवश्यकताओं और पूर्ति के बीच तालमेल बिठाने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया है। उसमें कौशल विकास और नवाचार पर विशेष बल दिया जाने लगा है। युवाओं और खासतौर पर ग्रामीण युवाओं को विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा लेने तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं नवाचारी प्रवृत्ति का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस लेख में ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों में भी सामाजिक व आर्थिक बदलाव को अंजाम दिया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में विज्ञान एक 'लाइटहाउस' की भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना ग्रामीण भारत के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रामीण विकास का सीधा संबंध परिवेश के प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के उचित उपयोग, संरक्षण तथा संवृद्धि से होता है। इस रूप में विकास होने पर ग्रामीण जीवन—स्तर और दशाओं में दीर्घकालिक सुधार होता है। इस प्रक्रिया को वास्तविक स्वरूप देने में युवाओं की भूमिका अहम है। युवाओं के पास अपार ऊर्जा और नई सोच होती है। उनमें यदि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का व्यापक रूप से समावेश हो जाए

तो ग्रामीण विकास का राजमार्ग खुल सकता है।

युवा शक्ति, परंपरागत ज्ञान—विज्ञान और ग्रामोदय

आज पूरे विश्व में युवा कौशल और रोजगार से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनकी चुनौतियां पिछली पीढ़ी से सर्वथा अलग हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील, कंपनियों और उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। आज के युग में उत्पाद व उत्पादन के अलावा उपभोक्ता देखभाल (कस्टमर केयर) का महत्व बढ़ गया है। अब महज आविष्कार से काम नहीं चलता, किसी भी उत्पाद या सेवा में नवाचार की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। नए युग की इन बदलती परिस्थितियों और प्रवृत्तियों पर खरा उतरने के लिए व्यावसायिक कंपनियों को दक्ष और कुशल युवा शक्ति



की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप आज दुनिया के अधिकांश देशों ने बाजार व उद्यमों की बदलती आवश्यकताओं और पूर्ति के बीच तालमेल बिठाने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया है। उसमें कौशल विकास और नवाचार पर विशेष बल दिया जाने लगा है।

हमने पिछले अनेक सालों से प्रकृति की जो अनदेखी की है, उसी का परिणाम आज हमारे सामने पानी के संकट, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन आदि के रूप में है। पर्यावरण असंतुलन और जैव-विविधता में गिरावट के वर्तमान दौर में परंपरागत ज्ञान तथा उनमें निहित विज्ञान को समझने का सही समय आ गया है। महज जल संचय और देव वनों से जुड़े परंपरागत ज्ञान को अपनाकर हम पर्यावरण का बहुत उद्धार कर सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से मौजूदा समय में ग्रीन गुड डीड्स की पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इसमें देश के नागरिकों को दैनिक जीवन की छोटी-छोटी आदतों में मामूली बदलाव लाकर पर्यावरण को बड़ा फायदा पहुंचाने की प्रेरणा दी जाती है। इस अभियान में मंत्रालय ने स्कूली विद्यार्थियों और देश के युवाओं का आह्वान करते हुए उनसे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

ग्रीन गुड डीड्स दरअसल लोगों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने की एक सामाजिक पहल है जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वैच्छिक संस्थाओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग लिया जाएगा। ये गतिविधियां बेशक छोटी होती हैं पर ये बेहद कारगर और परिवर्तनकारी हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने हमारे जीवन से जुड़ी 500 ऐसी ग्रीन आदतों की सूची बनाई है जिन्हें ग्रीन सोशल रिस्पांसिविलिटी नाम दिया गया है।

वर्तमान परिवेश में ग्रामीण युवाओं के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के जरिए ग्रामीण विकास किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत ज्ञान के भंडार को संजोने की आज भी पर्याप्त गुंजाइश है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक मुख्य धुरी का काम कर सकते हैं।

युवा सशक्तीकरण हेतु मुख्य योजनाएं

युवाओं और खासतौर पर ग्रामीण युवाओं को विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा लेने तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं नवाचारी प्रवृत्ति का विकास करने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

अटल टिकरिंग लैब

भारत सरकार द्वारा नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और नवाचार की भावना का विकास करना है। इन्हीं मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीति आयोग की पहल पर अटल टिकरिंग लैब का नेटवर्क खड़ा करने हेतु सहायता दी

गई है। भारत के विद्यार्थियों में सृजनशीलता और नवाचार का विकास करके नए भारत निर्माण की ओर एक कदम बढ़ाने के इस प्रयास में इक्कीसवीं सदी के विद्यार्थियों के व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत कौशलों का विकास किया जाएगा। इन अटल टिकरिंग लैब में देश के कर्णधारों को हैंड्स ऑन गतिविधि के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में उपकरणों का उपयोग कर उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अटल टिकरिंग लैब की स्थापना स्कूलों में छठी से लेकर दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए की जाएगी और इनका प्रबंधन सरकार, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के प्रबंधन में न्यूनतम 25 प्रतिशत अटल टिकरिंग लैब बनाए जाएंगे। आवेदक स्कूलों को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रांट इन ऐड के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसे हर एक लैब में उपकरणों, डू इट योरसेल्फ किटों, थ्री-डी प्रिंटर, आदि के लिए पहले साल 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता स्कूल को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, हर एक अटल टिकरिंग लैब में उपकरणों के रखरखाव, उपभोग योग्य वस्तुओं की खरीद, पापुलर साइंस लेक्चर श्रृंखला और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों के आयोजन, फैंकल्टी एवं मेंटर को भुगतान व मानदेय मदों के लिए पूरे पांच साल के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने में अटल टिकरिंग लैब अहम भूमिका निभाएंगे और यह एक अति सराहनीय पहल है।

विपनेट क्लब

बाल मन पर शिक्षा और प्रशिक्षण का गहरा असर पड़ता है। बच्चों में आरंभ से खोजबीन (अन्वेषण), जांच-पड़ताल, विश्लेषण और नवाचार जैसी प्रवृत्तियों के विकास के लिए भारत सरकार की कई और योजनाएं महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इनमें पहली योजना है विज्ञान प्रसार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान) के विपनेट क्लब (विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब)। ये विज्ञान क्लब गतिविधि और जांच-परख के केंद्र होते हैं। स्कूल या स्कूल के बाहर ग्यारह बच्चे मिलकर ऐसे क्लब का गठन करते हैं। प्रकृति, पर्यावरण, खनिज, पक्षी, तालाब, मिट्टी, प्लास्टिक आदि जैसे आम जीवन से जुड़े मुद्दों पर एक अनोखी गतिविधि को अंजाम देकर इसकी रिपोर्ट विज्ञान प्रसार को भेजते हैं। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन कर इस संस्थान द्वारा विज्ञान क्लबों को ईनाम स्वरूप विज्ञान की पुस्तकें, किट और पोस्टर भेजे जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान प्रसार से देशभर में स्थित ऐसे 12,000 विपनेट क्लब पंजीकृत हैं और इनमें से अधिकतर क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। बच्चे आरंभ से जिज्ञासु होते हैं इसलिए उनके भीतर वैज्ञानिक वृत्ति सदैव विद्यमान रहती है। विपनेट क्लब जैसी गतिविधि उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने का एक अनोखा मंच प्रदान कर रही है। भारत के ग्रामीण

इलाकों में ऐसे क्लबों के व्यापक प्रसार से बच्चों में वैज्ञानिक नजरिए का विकास होगा और देश के ये कर्णधार आगे चलकर एक तर्कसंगत समाज और सशक्त राष्ट्र के अगुआ बनेंगे।

इंस्पायर

देश की युवा शक्ति (10 से लेकर 32 वर्ष आयु वर्ग) को विज्ञान के अध्ययन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान में अपना कैरियर बनाने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 16 अगस्त, 2011 को एक महत्वपूर्ण योजना 'इंस्पायर' (अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष-इनोवेशन इन साइंस प्रसयुट इंस्पायर्ड रिसर्च) का आरंभ किया था। इस योजना के मुख्य पांच भाग हैं— इंस्पायर पुरस्कार (10 से 15 आयु वर्ग के लिए), इंस्पायर इंटरनशिप (16 से 17 आयु वर्ग के लिए), उच्च शिक्षा के लिए इंस्पायर छात्रवृत्ति (17 से 22 आयु वर्ग के लिए), डॉक्टोरल रिसर्च के लिए इंस्पायर फैलोशिप (22 से 27 आयु वर्ग के लिए) और सुनिश्चित कैरियर के लिए इंस्पायर फैकल्टी (27 से 32 आयु वर्ग के लिए)।

इंस्पायर पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष देश भर के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को चुना जाता है। चुने हुए विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी प्रोजेक्ट या मॉडल बनाने के लिए 5000 रुपये का ईनाम दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए ग्रामीण व शहरी मिडल व हाई स्कूल से दो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। सभी प्रतियोगी जिला-स्तर प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। जिलों से अंतिम रूप से चयनित उत्कृष्ट 5-10 प्रतिशत प्रविष्टियां राज्य-स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुनी जाती हैं। इसके बाद राज्यों से सबसे अच्छी 5 प्रतिशत प्रविष्टियों के प्रतियोगी राष्ट्रीय-स्तर पर हिस्सा लेने के लिए भेजे जाते हैं।

इंस्पायर छात्रवृत्ति के रूप में प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं में बैचलर और मास्टर कोर्स करने के लिए प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष 80 हजार रुपये का सहयोग विभाग द्वारा दिया जाता है। ऐसे 10 हजार विद्यार्थियों को हर साल इस छात्रवृत्ति के लिए चुना जाता है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड और जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप देश में संचालित ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिनके द्वारा युवाओं को प्राकृतिक विज्ञान की शाखाओं में उच्च शिक्षा (बीएस-सी और एमएस-सी) प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

अवसर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युवा शोधार्थियों के लिए डीएसटी एक अभिनव योजना लेकर आई है जिसमें उन्हें अपने शोध की विषय-वस्तु को पापुलर साइंस आर्टिकल फॉर्मेट में अभिव्यक्त करना है। 'अवसर' नामक इस योजना में शोधार्थी विज्ञान संचार विधा से जुड़ेंगे और अपने वैज्ञानिक शोध की जटिल अवधारणाओं को आम

बोलचाल की भाषा व शैली में अभिव्यक्त करेंगे। इस योजना के द्वारा आने वाले समय में वैज्ञानिक समुदाय विज्ञान संचार की भूमिका का भी कुशलता से निर्वहन करेगा।

अवसर यानी 'शोध की अभिव्यक्ति के लिए लेखन कौशल को प्रोत्साहन' (AWSAR –Augmenting Writing Skills for Articulating Research) योजना के अंतर्गत डीएसटी ने वर्ष 2018 से राष्ट्रीय-स्तर की एक वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की है। इसमें विज्ञान संचार को बढ़ावा देने और नए विज्ञान संचारकों को तैयार करने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी की विविध धाराओं में पी-एच.डी. या पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे शोधार्थियों से उनके शोध विषयों पर विज्ञान आलेख आमंत्रित किए गए हैं। चूंकि पी-एच.डी. या पोस्ट डॉक्टरेट के स्कॉलर हार्डकोर साइंस के विद्यार्थी होते हैं और विज्ञान संचार और लेखन से वे सर्वथा अनजान रहते हैं इसलिए उन्हें इस विधा से परिचित कराने और विज्ञान संचार का वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से अवसर प्रतियोगिता में प्रविष्टि भेजने से पहले देश के अनेक अंचलों में ओरिएंटेशन कार्यशालाओं के आयोजन इस वर्ष किए गए हैं। ऐसी कार्यशालाएं प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में प्रतिभागी शोधार्थियों को विज्ञान लेखन के सिद्धांतों, मापदंडों, बारीकियों, डू'ज और डॉट आदि से रुबरू किया जाता है।

इस वार्षिक प्रतियोगिता में शामिल प्रतियोगियों में से चयनित सर्वश्रेष्ठ विज्ञान लेखों को डीएसटी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन डीएसटी द्वारा गठित वैज्ञानिकों और विज्ञान संचारकों का एक पैनल करेगा। पी-एच.डी. श्रेणी के अंतर्गत हर साल कुल 103 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले पुरस्कार में 1 लाख रुपये, दूसरे में 50,000 रुपये और तीसरे में 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, 100 और चयनित प्रविष्टियों के प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टरेट श्रेणी के अंतर्गत एक उत्कृष्ट विज्ञान लेख को 1 लाख रुपये और 20 अतिरिक्त चयनित प्रविष्टियों में प्रत्येक को 10,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इन सभी चयनित पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा और इनके विज्ञान लेखों को प्रकाशित भी किया जाएगा।

डीएसटी की इस अभिनव पहल से युवा शोधार्थियों को अपने शोध के बारे में जन-सामान्य को बताने का एक अवसर मिलेगा। साथ ही, वे एक नए परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक समुदाय से संवाद भी कर सकेंगे। इस तरह उभरकर निकले युवा वैज्ञानिक भविष्य में बतौर वैज्ञानिक अनुसंधान तो करेंगे, इसके साथ ही वे एक कुशल विज्ञान संचारक और लेखक भी बन पाएंगे तथा इसका श्रेय जाएगा डीएसटी की अवसर योजना को।

इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट www.awsar-dst.in पर मिल सकती है। प्रविष्टि भेजने के लिए

प्रतिभागियों को इस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। ये पुरस्कार प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

अवसर योजना (2018) से जुड़ी कुछ मुख्य बातें

कुल पंजीकरण	4116
पी-एच.डी. प्रतिभागियों का पंजीकरण	3666
पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर प्रतिभागियों का पंजीकरण	450
कुल प्राप्त विज्ञान लेख	2617
पी-एच.डी. प्रतिभागियों से प्राप्त विज्ञान लेख	2167
पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर प्रतिभागियों से प्राप्त विज्ञान लेख	450

वर्तमान परिवेश में ग्रामीण युवाओं के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के जरिए ग्रामीण विकास किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत ज्ञान के भंडार को संजोने की आज भी पर्याप्त गुंजाइश है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक मुख्य धुरी का काम कर सकते हैं।

भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण और शहरी शिक्षित महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए महिला वैज्ञानिक और किरण नामक दो प्रमुख योजनाओं को भी संचालित करता है जिनके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनकी नियमित शिक्षा में किसी कारणवश रुकावट या अंतराल आ गया हो।

विद्यार्थी विज्ञान मंथन

विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा छह से ग्यारह तक के स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि जगाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। 'विज्ञान भारती' नामक विज्ञान को समर्पित एक स्वैच्छिक संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया जाता है जिसमें एनसीईआरटी और विज्ञान प्रसार अनेक स्तरों पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यह संस्था विज्ञान में होनहार विद्यार्थियों के लिए एक वार्षिक प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करती है जिसके विजेताओं को देश की वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भ्रमण का मौका मिलता है।

नवाचार से परिवर्तन लाएंगे युवा

नवाचार ऐसे सृजनशील और अनोखे विचार को कहते हैं जिनके सहारे कोई ऐसी युक्ति बनाई जाती है, जो मानवता को सहायता पहुंचाती है। आज जीवन के हर क्षेत्र में नवाचार के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है और जीवन-स्तर में सुधार लाया जा रहा है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का अहमदाबाद में नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) नामक एक स्वायत्त संस्थान है जो नवाचारी समाज व राष्ट्र के विकास हेतु संकल्पित है। यह संस्थान देश में ग्रासरूट-स्तर पर जीवन को

सुगम बनाने और सहूलियत प्रदान करने वाले उत्कृष्ट परंपरागत ज्ञान व तकनीकी नवाचारों तथा उन युक्तियों को खोजने वाले व्यक्तियों (नवाचारियों) को प्रोत्साहित करता है।

एनआईएफ इन नवाचारों को व्यावसायिक और अव्यावसायिक चैनलों के जरिए इनके सामाजिक समावेश में भी अहम भूमिका निभाता है। इस संस्थान के द्वारा देश के करीब 608 जिलों से अभी तक 3 लाख 10 हजार से अधिक तकनीकी विचारों, नवाचारों और परंपरागत ज्ञान अभ्यासों को संकलित करके उनका एक डाटाबेस बनाया गया है। स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति काल से एनआईएफ हर दो साल पर राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में स्कूली बच्चों द्वारा विकसित नवाचारी वर्किंग मॉडल की राष्ट्रीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का नेतृत्व करता है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अभी तक कुल 847 ग्रासरूट नवाचारियों को चिह्नित कर उन्हें मान्यता दी गई है।

देश के विभिन्न शोध संस्थानों, कृषि और पशुपालन विश्वविद्यालयों से जुड़कर एनआईएफ ने सैंकड़ों नवाचारों को वैलिडेट किया है। मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), बोस्टन के सहयोग से एनआईएफ ने एक आधुनिक फैब्रिकेशन प्रयोगशाला भी स्थापित की है जहां उत्पाद विकास और इन-हाउस अनुसंधान किया जाता है।

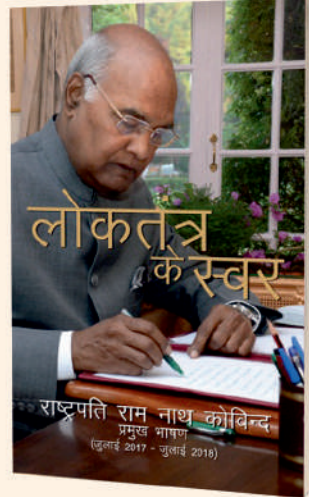
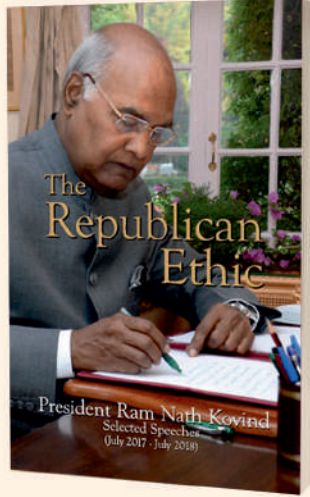
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल 'स्टार्टअप इंडिया' को बल देने के लिए विज्ञान विभाग की ओर से एनआईएफ मानक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों से उनके मौलिक एवं सृजनात्मक विचार (नवाचार) आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रणाली से युवाओं को जोड़ना और वैज्ञानिक अनुसंधान को सशक्त बनाना है। एनआईएफ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सक्रिय है। इन प्रयासों से विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में अनेक अवसर हासिल हो रहे हैं।

विज्ञानसम्मत युवाओं से बनेगा सशक्त राष्ट्र

पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए विकास की एक नई विचारधारा सामने आ रही है जिसे सस्टेनेबल या दीर्घकालिक विकास कहते हैं। भौतिक ढांचे के विकास से लेकर मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास इसमें अंतर्निहित है। विकास के इस दीर्घकालिक स्वरूप को बिना युवाओं की भागीदारी के मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण के लक्ष्य को उनमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी-सम्मत कौशल का विकास करके हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ परंपरागत ज्ञान की उत्प्रेरणा से युवाओं को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की भावना से जोड़ा जाना भी महत्वपूर्ण है।

(लेखक विज्ञान प्रसार, डीएसटी, भारत सरकार में सेवारत हैं और 1995 से विज्ञान लेखन कर रहे हैं।)
ई-मेल : mmgore@vigyanprasar.gov.in

“देश के लोगों से ही लोकतंत्र बनता है। हमारे नागरिक, केवल गणतंत्र के निर्माता और संरक्षक ही नहीं हैं, बल्कि वे ही इसके आधार स्तम्भ हैं।” - राम नाथ कोविन्द



लोकतंत्र के स्वर एवं दि रिपब्लिकन एथिक (राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के चुने हुए भाषण)

ऑर्डर के लिए संपर्क करें-फोन : 011-24367260, 24365609
ई मेल : businesswng@gmail.com

पुस्तकें www.bharatkosh.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

ई-बुक एमेज़ोन और गूगल प्ले पर उपलब्ध।



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



@DPD_India

गांव, युवा और सूचना प्रौद्योगिकी

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

आज गांवों और कस्बों से स्टार्टअप शुरू होने, नए-नए नवाचारों के सामने आने, ग्रामीण बीपीओ की स्थापना, शिक्षा के प्रसार, कृषि तथा बागवानी जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों के प्रयोग और कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता के समाचार मिल रहे हैं। न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं भी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी करके लाभान्वित हो रही हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के लिए एक शुभ संकेत है।

उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने पिछले दिनों फिक्की के एक कार्यक्रम में भारत के वास्तविक विकास की तस्वीर स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का वास्तविक विकास तभी संभव है जब ग्रामीण भारत को वास्तविक अर्थों में सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में विकास और शांति का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि उसके विकास की गाथा में हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो। कोयंबतूर में एक अन्य कार्यक्रम में श्री नायडू ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति अधिक वरीयतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री नायडू के विचार देश में ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की गंभीरता और उसके दृष्टिकोण की स्पष्टता को इंगित करते हैं। और ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कि ग्रामीण युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए क्योंकि इस देश की 65 फीसदी आबादी 35 साल या उससे कम उम्र के युवाओं की है। तीसरा महत्वपूर्ण

पहलू जिस पर राष्ट्रीय विकास के लिहाज से ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वह है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो आज जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है और उसका कायाकल्प करने की क्षमता रखती है। गांव, युवा और सूचना प्रौद्योगिकी ये तीनों आज केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए विकास के एजेंडे में अहम स्थान रखते हैं। इसके स्पष्ट कारण हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इन तीनों ही पहलुओं की प्रधान भूमिका है।

ग्रामीण भारत और प्रौद्योगिकी

ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने, नए कौशल प्राप्त करने, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, डिजिटल माध्यमों से जोड़ने तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं से लाभान्वित होने का मौका देती है। यह देश के विकास की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी का नया और शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त करती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने





युवाओं के सशक्तीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ऐसे अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन किया है जो इन तकनीकों के लाभ सीधे उन तक पहुंचाते हैं।

युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने के अनेक स्पष्ट लाभ हैं। उदाहरण के तौर पर इन माध्यमों का प्रयोग करके युवा रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जहां सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ज्ञान और कौशल के प्रसार के लिए किया गया वहां गरीबी, अपराध, हिंसा आदि नकारात्मक प्रवृत्तियों का युवाओं पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ। अधिकांश युवाओं ने महसूस किया कि कंप्यूटर ने उनकी दक्षता में वृद्धि की, उनमें अधिक आत्मविश्वास पैदा किया, अपने जीवन की दिशा को अधिक नियंत्रित किया। साथ ही साथ सामाजिक-स्तर पर उनकी



स्थिति बेहतर हुई और उसी के अनुरूप सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ी। तकनीकी ज्ञान और कौशल से सशक्त महिलाओं का दर्जा भी समाज में बेहतर हुआ और इसका प्रभाव उनके परिवारों पर भी पड़ा।

भारत में डिजिटल वातावरण ने ग्रामीण युवाओं को दुनिया में अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़े होने का अधिकार दिया है। प्रौद्योगिकी ने अनेक मामलों में अवसरों तक समान पहुंच को भी सुनिश्चित किया है। इसके दूरगामी प्रभावों में युवाओं के बीच जोखिम लेने की भावना का प्रसार और तदानुरूप ग्रामीण भारत में स्टार्टअप्स शुरू करने के प्रति अभिरुचि पैदा होना शामिल है।

युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और कुशल बनाने की परिकल्पना राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 पूरे भारत के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान कर सकें।

गांवों में स्टार्टअप्स

युवाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसेकि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, व्यापार में आसानी, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेनोरशिप प्रोग्राम आदि। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के पीछे सरकार की मंशा को इन तथ्यों से समझा जा सकता है।

भारत को एक वर्ष में एक करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है और वैश्विक डाटा से पता चलता है कि इस कार्य में स्टार्टअप बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। स्टार्टअप नवाचार के भी केंद्र हैं और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए एक शानदार माध्यम बन सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और एक पारिस्थितिकी-तंत्र बनाकर नवाचार को बढ़ावा देना है जो स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल है।

यह भारत को नौकरी मांगने वालों का देश बनने के बजाय नौकरी पैदा करने वालों का देश बनाने में मदद करेगा। अगर गांवों में स्टार्टअप्स के माध्यम से नौकरियों का सृजन होगा तो इसके अनेक अन्य लाभ भी हैं जैसे ग्रामीण विकास और युवाओं के शहरों की ओर पलायन में कमी आना। यह उद्यमिता की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है जोकि देश में टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिहाज से दूरगामी महत्व रखता है।

डिजिटल इंडिया

भारत सरकार अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल रोजगार पैदा करने के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य 'डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था' विकसित करना है लेकिन साथ ही साथ इसमें समानता बढ़ाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है जिसका विशेष फोकस ग्रामीण समुदायों पर है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार गरीबी में रहने वाले अनुमानित 15.6 करोड़ भारतीय ग्रामीण परिवारों



के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजित करना आवश्यक है। इसके लिए परिवहन, बिजली और इंटरनेट के उपयोग में निवेश की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों के साथ अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहा है जिनमें सामान्य सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) की बड़े पैमाने पर स्थापना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश के कोने-कोने में ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए ये सेवा केंद्र विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने, डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षमता तथा आजीविका के निर्माण के लिए पहुंच बिंदु प्रदान करते हैं।

इनके माध्यम से पहुंचने वाली नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी छोटे किसानों को ज्ञान-गहन कृषि की ओर जाने में मदद करती है। बाजार की जानकारी और ई-बाजार सुधारों के माध्यम से ग्रामीण कृषक सर्वोत्तम बाजार मूल्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी तरह, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरणों के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी का किसानों तक पहुंचना वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त या कम करता है।

ग्रामीण इलाकों में संचार की बेहतर सुविधा का आना युवाओं के सशक्तीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। डिजिटल इंडिया के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने पर काम चल रहा है। हजारों ग्राम पंचायतों को पहले ही इंटरनेट सक्षम बनाया जा चुका है। भारत के सिर्फ 27 प्रतिशत गांवों में पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां सरकार नए बैंकों को लाइसेंस दे रही है और उनकी सेवाओं के लिए मोबाइल फोन बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। इससे बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने की बहुत अच्छी संभावनाएं पैदा हुई हैं क्योंकि भारत में मोबाइल फोनों का कवरेज काफी अधिक है। यहां की 1.4 अरब की आबादी में से एक अरब से अधिक आबादी के पास मोबाइल फोन हैं।

बीपीओ योजना

भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) के तहत देश भर में बीपीओ/आईटीईएस संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत 48,300 सीटों के बीपीओ केंद्रों की स्थापना की योजना है। इस योजना के तहत स्वीकृत राशि राज्यों की आबादी

के अनुपात में प्रत्येक राज्य के बीच वितरित की जाती है। इस योजना से गांवों और छोटे शहरों में ढांचागत विकास और मानव संसाधनों की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ यह आईटी/आईटीईएस की अगुवाई वाली विकास की अगली लहर का आधार बनेगा। इस योजना में तीन शिफ्ट परिचालनों पर विचार करते हुए लगभग 1.5 लाख रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर पैदा करने की क्षमता है। साथ ही, अप्रत्यक्ष नौकरियों की अच्छी संख्या भी पैदा हो सकती है।

आईसीटी पर राष्ट्रीय मिशन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्थापित किया गया है।

यह परिकल्पना किसी भी समय किसी भी मोड में

कौशल

उन्नयन प्रशिक्षण

कार्यक्रम के तहत युवाओं

को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने

और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करने

के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा

रहा है। किशोरों के लिए जीवन कौशल

प्रशिक्षण (किशोरों के लिए सशक्तीकरण)

नामक एक अन्य कार्यक्रम में युवाओं को इस

तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे

दबाव का सामना कर सकें और स्वस्थ जीवन

जी सकें। जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम

के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित

आदिवासी बेल्ट से संभावित युवाओं

के उन्नयन के प्रयास हो रहे हैं

जिनमें तकनीक की भी

भूमिका है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ

के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर

आधारित है। यह छात्रों, शिक्षकों और आजीवन

सीखने वालों की सभी शिक्षा और सीखने

संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक

ऐतिहासिक पहल है जिसका लाभ बड़े

पैमाने पर ग्रामीण युवाओं को भी होगा।

उत्तर-पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन योजना

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

पैदा करने और आईटी/आईटीईएस

उद्योग के विकास के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र

(एनईआर) में बीपीओ/आईटीईएस संचालन

को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया

प्रोग्राम के तहत नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम

(एनईबीपीएस) को मंजूरी दी गई है। एनईबीपीएस के

उद्देश्य निम्न हैं:-

1. विशेष रूप से बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करके आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देकर, एनईआर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन।
2. आईटी उद्योग के आधार का विस्तार करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित करने के लिए एनईआर में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।

नरेगा-सॉफ्ट

नरेगा-सॉफ्ट के तहत राज्य, जिला और पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में ई-गवर्नेंस को लागू करने वाले तंत्र की परिकल्पना की गई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आम आदमी को सशक्त बनाता है। नरेगासॉफ्ट सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के अनुपालन में



नागरिकों को जानकारी प्रदान करता है। यह मस्टर रोल, पंजीकरण आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड/रोजगार रजिस्टर/मस्टर रोल जारी रजिस्टर, मस्टर रोल रसीद रजिस्टर जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराता है जिन्हें देखने के लिए अन्यथा ग्रामीणों को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में छह करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की योजना है, जो 31 मार्च, 2019 तक प्रत्येक पात्र घर से एक सदस्य को कवर करके लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पहुंचेगी। इसके तहत डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जाएगा और विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीबी-रेखा से नीचे (बीपीएल), महिलाओं, विकलांगों तथा समाज के हाशिए वाले वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेंगे। इसके तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी आकलन किया जाएगा और उसे 'पूर्व शिक्षण की मान्यता' (आरपीएल) नामक पहल

के तहत प्रमाणित किया जाएगा।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण (किशोरों के लिए सशक्तीकरण) नामक एक अन्य कार्यक्रम में युवाओं को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे दबाव का सामना कर सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित आदिवासी बेल्ट से संभावित युवाओं के उन्नयन के प्रयास हो रहे हैं जिनमें तकनीक की भी भूमिका है।

आज गांवों और कस्बों से स्टार्टअप शुरू होने, नए-नए नवाचारों के सामने आने, ग्रामीण बीपीओ की स्थापना, शिक्षा के प्रसार, कृषि तथा बागवानी जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों के प्रयोग और कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता के समाचार मिल रहे हैं। न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं भी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी करके लाभान्वित हो रही हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के लिए एक शुभ संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण की दिशा में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से किए जा रहे प्रयास देश में टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नए भारत में विकसित और सशक्त गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल : balendu@gmail.com

युवाओं के लिए राष्ट्रीय चुनौती

‘भारत के लिए संकल्प प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान’

छात्रों और युवाओं के लिए समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए संकटमोचक बनने के लिए एक मंच के तौर पर ‘भारत के लिए संकल्प— प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद ने 5 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ‘भारत के लिए संकल्प’ के माध्यम से इन छात्रों को नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोगकर्ता से



निर्माता बनने में मजबूत और जरूरी मदद मिलेगी जिससे कि वे अपने समुदाय की स्थानीय समस्याओं को सुलझाने और उसका समाधान करने के लिए सोचने में सक्षम बन सकेंगे।

इस चुनौती का निर्माण और प्रारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग एवं इंटेल इंडिया की साझेदारी से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) के सहयोग से किया गया है। डीओएसईएंडएल पूरे देश के स्कूलों में इस राष्ट्रीय चुनौती की पैठ बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों, एनवीएस, केवीएस और सीबीएसई के अधिकारियों तक अपनी पहुंच बनाएगा।

यह राष्ट्रीय चुनौती पूरे देश के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में कक्षा 6 से लेकर 12 वीं के छात्रों के लिए खुली हुई है जिसका उद्देश्य अगले 3 महीनों में कम से कम एक मिलियन युवाओं तक पहुंचने का है। यहां पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, डिजिटल सेवाएं, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, यातायात, आधारभूत संरचना, कृषि, सामाजिक कल्याण, अक्षमता और पर्यटन जैसे 11 विशेष क्षेत्र हैं जिन पर छात्र अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इस चुनौती के लिए छात्रों को ऑनलाइन वीडियो तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी और समस्याओं की पहचान करनी पड़ेगी, साथ ही समस्या की पहचान और समाधान बताने वाले 90 सेकेंड के वीडियो की साझेदारी करनी पड़ेगी।

वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत विचारों में, विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा लगभग 360 छात्रों (10 राज्य प्रति छात्र और केंद्रशासित प्रदेशों) का चयन देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले 5 क्षेत्रीय बूट शिविरों में भाग लेने के लिए किया जाएगा। क्षेत्रीय बूट शिविरों में छात्रों को तकनीकी विशेषज्ञों और सलाहकारों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग और आईओटी/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि उनमें डिजाइन की सोच, विचारधारा का सृजन करने, निर्माण, अपनी अवधारणाओं पर काम करने, सहकार्य आदि जैसे कौशल के प्रथम स्तर एवं मूलभूत समझ को विकसित किया जा सके।

वास्तविक रूप में, परिपक्व विचारों को सुदृढ़ करने के लिए इन शिविरों में विशेषज्ञों द्वारा सलाह प्रदान की जाएगी। इन विशेषज्ञों द्वारा शीर्ष 50 छात्रों का चयन किया जाएगा और समुदायों में उनके आदर्श प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय-स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित और सम्मानित किया जाएगा तथा उन्हें टेक क्रिएशन चौपियंस घोषित किया जाएगा।

‘भारत के लिए संकल्प’ राष्ट्रीय चुनौती से युवाओं में नवाचार कौशल पैदा करने में मदद मिलेगी और यह सभी छात्रों को उनके समुदायों और समाज में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही, यह कार्यक्रम उन्हें डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए तैयार करेगा।

शिक्षित युवा, सशक्त देश

—हिमांशी तिवारी

भारत विश्व का एक सबसे युवा देश है। यहां की कुल जनसंख्या में रोजगार के इच्छुक श्रमशील, मेहनती युवाओं का हिस्सा 64 प्रतिशत है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस युवाशक्ति की क्षमता का भरपूर उपयोग कर लिया जाए तो 2020 तक देश की जीडीपी में 2 प्रतिशत की सार्थक वृद्धि हो सकती है।

जैसाकि हम जानते हैं कि बिना अपेक्षित शिक्षा और कौशल विकास के युवाओं में निहित कार्यक्षमताओं का भरपूर उपयोग संभव नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार इस दिशा में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि गांव और शहर के शिक्षा और कौशल्य-स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे विद्यालयों की कमी के साथ ही कौशल विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साधनों के अभाव के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी कम हैं। ग्रामीण शिक्षा के स्तर में सार्थक सुधार के लिए वर्तमान केंद्र सरकार प्रारंभ से ही प्रयासरत रही है। आज हमारे सामने युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा सृजित, क्रियान्वित एवं सफल होती अनेक कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी सूची है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस लेख में किया जा रहा है। निस्संदेह ये योजनाएं युवाओं को शिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने में विशेष मददगार साबित होंगी।

स्कूली शिक्षा का हो रहा है कायाकल्प

केंद्र सरकार स्कूलों, छात्रों, अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन का डिजिटलीकरण करके उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर जोर-शोर से प्रयासरत है। इस दिशा में जो बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, वो इस प्रकार हैं—

आधार : 30 नवंबर, 2016 तक 5 से 18 वर्ष की उम्र के 24,49,20,190 बच्चों को आधार से जोड़ दिया गया था, जो उनकी कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा मानचित्रिकरण (जीआईएस मैपिंग) : स्कूलों को भौगोलिक सूचना प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इससे किसी भी बस्ती से एक उचित दूरी पर स्कूलों की कमी को पूरा करने में आसानी हुई है। इस प्रकार देश के सभी स्कूलों के आंकड़े और जानकारी U-DISE (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) पर उपलब्ध है। इससे ज़मीनी-स्तर पर चल रही योजनाओं और उस पर होने वाले धन



खर्च की जानकारी मिल सकती है।

स्कूलों में शौचालय : प्रधानमंत्री ने लालकिले से अपने पहले संबोधन में 15 अगस्त, 2014 को हर स्कूल में बालक-बालिकाओं के लिए अलग से एक साल के अंदर शौचालय बनाने का वादा किया था। ये काम लगभग पूरा कर लिया गया है।

ई-पाठशाला : दोषरहित अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए ई-पाठशाला शुरू की गई है, जहां सभी पुस्तकें और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं।

शाला दर्पण : स्कूलों की कारगर प्रशासन व्यवस्था के लिए शाला दर्पण के तहत उन्हें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। 5 जून, 2015 को 1099 केंद्रीय विद्यालयों से इसकी शुरुआत की गई।

शाला सिद्धि योजना : स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर, 2015 से शाला सिद्धि योजना शुरू की गई है। इस पोर्टल पर सभी स्कूल निर्धारित सात मापदंडों के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, जो सभी के लिए उपलब्ध होता है।

मिड डे मील योजना में सुधार

मिड डे मील में होने वाली गड़बड़ियों को ई-पोर्टल और आधार नंबर की मदद से काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसके लिए बजट से होने वाले धन आवंटन को वास्तविकता पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आधार के चलते फर्जी नामों में कमी आई है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार झारखंड और आंध्रप्रदेश से ऐसे 4 लाख फर्जी नाम हटा दिए गए हैं। इससे सरकारी खजाने का बोझ बहुत कम हुआ है।

विज्ञान एवं अंकगणित का एक पाठ्यक्रम : बदलते समय में विज्ञान और गणित की प्रमुख भूमिका को देखते हुए सरकार ने इसमें अपेक्षित बदलाव किया है। अब सभी राज्यों के बोर्ड में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा ही दी जाएगी।

शगुन: केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति से छात्रों और शिक्षकों को जोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसको देखते हुए 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल 'शगुन' का शुरु किया गया है। केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के चलते 6 से 13 वर्ष की उम्र के अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस वर्ग में 20.78 करोड़ बच्चे हैं। यू-डीआईएसई के अनुसार 2015-16 में 19.67 करोड़ बच्चे देश के 14.49 लाख प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी से हायर प्राइमरी में प्रवेश लेने वाले बच्चों का औसत 2009-10 के 83.53 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 90.14 प्रतिशत हो गया। यही नहीं, अब केंद्रीय विद्यालयों के लिए ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की शुरुआत भी कर दी गई है। शिक्षक-छात्र का अनुपात भी बेहतर हुआ है। वर्ष 2009-10 में 32 छात्रों पर एक शिक्षक थे, वह अनुपात वर्ष 2015-16 में 24 छात्रों पर एक शिक्षक तक आ गया है। इसके अलावा, रिक्त पदों को

भरने के लिए लगभग 6,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ग्रामीण भारत की शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन की पहल

ग्रामीण भारत की समझ रखने वाली सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा आपसी साझेदारी द्वारा ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की एक सफल पहल की शुरुआत की गई है और यह कार्य प्रगति पर है। यह पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कुछ गैर-सरकारी संगठन भी अपनी पहल पर ग्रामीणों को टेक्नोलॉजी शिक्षा प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 'विप्रो ग्रुप' द्वारा चलाया जा रहा एक गैर-लाभकारी संगठन, 'अजीम प्रेमजी फाउंडेशन' 2001 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि यह संस्था 14 राज्य सरकारों के 16,000 स्कूलों में 20 लाख बच्चों की मदद कर रही है। यह संस्थान कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। कंप्यूटर को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है। ये संस्थाएं स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कंप्यूटर जैसे आकर्षक टूल को बढ़ावा दे रही हैं जिसके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। निश्चित ही आधुनिक काल में बच्चों के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही आकर्षक एवं रोमांचक टूल है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्कूलों में एनआईआईटी और सरकार के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से कंप्यूटर सहायता प्रदान की गई है और इस प्रयास ने सार्थक परिणाम भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त शिक्षा के माध्यम से छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर काफी हद तक कम हो गई है।

एजुसेट — ग्रामीण भारत में वीडियो शिक्षा प्रदान कराने के लिए 'इसरो' द्वारा 'एजुसेट' की शुरुआत की गई जिसके सकारात्मक प्रभाव की आशा की जाती है।

विद्याज्ञान — यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े असाधारण प्रतिभा के ग्रामीण छात्रों के उत्थान करने के उद्देश्य से कार्य करती है। ऐसे छात्रों को विद्याज्ञान द्वारा विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाती है। यह एक आवासीय पद्धति आधारित संस्थान है। शिव नादर फाउंडेशन द्वारा 'विद्याज्ञान' योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य की बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 200 छात्रों को चयनित किया जाता है।

समुदाय — इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2000 बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित सिखाया गया। इसी पद्धति के उपयोग से 250 शिक्षकों को भी शिक्षित किया गया और इसका परिणाम निस्संदेह रूप से सकारात्मक था। इस प्रयास से स्कूल छोड़ने की दर और अनुपस्थिति में काफी कमी आई और साथ ही साथ छात्रों एवं



शिक्षा व्यवस्था में बदलाव सशक्तिकरण को बढ़ावा स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव



शिक्षकों के आत्मविश्वास के स्तर में भी सुधार हुआ।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार को अधिक ई-लर्निंग केंद्र बनाने होंगे। इसके साथ ही 'ई-लर्निंग' पाठ्यक्रमों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। ऐसे 'ई-लर्निंग सिस्टम' से निश्चित तौर पर समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को लाभ मिलेगा और उनके शिक्षा के स्तर में आवश्यक सुधार होगा।

टेक्नोलॉजी ग्रामीण बच्चों को आकर्षित करती है। कंप्यूटर शब्द सुनकर स्कूल में भाग लेने की उनकी इच्छा बढ़ जाती है। यहां तक कि माता-पिता इस मामले में अधिक रुचि दिखाते हैं। कंप्यूटर शिक्षा आत्मविश्वास को मजबूत करती है और शहरी एवं ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को कम करती है। इसलिए ग्रामीण भारत को इस क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा में सुधार का सार्थक प्रयास नई शिक्षा नीति

सरकार ने समय की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा नीति में बदलाव का फैसला किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों, अध्यापकों, नीति निर्माताओं, सांसद और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। आम नागरिकों से भी ऑनलाइन राय मांगी गई है। इन सभी सुझावों पर सरकार अंतिम रूप से विचार करने के बाद जल्द ही देश के सामने एक नई शिक्षा नीति लेकर आएगी।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत राज्यों के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मानदंडों को पूरा करने पर राज्य की शिक्षण

संस्थाओं को विशेष वित्तीय सुविधा और योजनाएं दी जाती हैं। इस अभियान की सभी जानकारियों पर ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से सभी स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन कौंसिल की स्थापना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये सर्वोच्च संस्था है जो देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। पहले मूल्यांकन के लिए NAAc~ अपनी टीम भेजता था जो मौके पर मानदंडों को परखते थे। इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसको खत्म करके वर्तमान सरकार ने स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क

देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2016 से इस रैंकिंग सिस्टम को राष्ट्रीय-स्तर पर लागू किया गया है। इस रैंकिंग सिस्टम में देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के निर्धारित मानदंडों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। 'भारत रैंकिंग 2017' में कुल 2,995 संस्थानों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत 232 विश्वविद्यालय, 1024 प्रौद्योगिकी संस्थान, 546 प्रबंधन संस्थान, 318 फार्मेसी संस्थान तथा 637 सामान्य स्नातक महाविद्यालय शामिल हैं।

ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क

इस योजना के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को विश्व के किसी भी देश के विशेषज्ञ को शिक्षण के लिए बुलाने का अवसर मिलता है।

उन्नत भारत अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। इस

योजना की शुरुआत 12 जनवरी, 2017 को हुई। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थाएं चुने हुए नगर निकायों और गांवों के समूहों को विकास कार्यों की योजना बनाने और लागू करने में सहयोग देंगी। प्रथम चरण के लिए आईआईटी, दिल्ली संयोजक संस्था के रूप में काम कर रहा है।

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017

1 अप्रैल, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े 36 घंटों वाले हैकेथॉन का आयोजन किया। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने युवाओं से बातचीत की। इसमें 42,000 युवा प्रतियोगियों ने भाग लिया और विभिन्न मंत्रालयों की ऐसी 598 समस्याओं का डिजिटल समाधान दिया जिससे काम की गति के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार हो। इन सभी समाधानों के विकास का खर्च संबंधित मंत्रालयों को उठाना है।

इम्पैक्टिंग रिसर्च इन्वोवेशन एंड टेक्नोलॉजी

राष्ट्रीय-स्तर के इस कार्यक्रम में सभी आईआईटी, एवं आईआईएससी जैसी संस्थाएं जुड़ी हैं। ये संस्थाएं देश के 10 प्रमुख क्षेत्रों में शोध कर रही हैं। इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं पर कुल 2600 प्रस्ताव आए जिनमें से 892 प्रस्तावों को प्रमुख वैज्ञानिकों की समिति ने स्वीकार कर लिया। इनमें से 259 प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए 559.89 करोड़ रुपये की धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है।

हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी

2 सितंबर, 2016 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी। यह एजेंसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय-स्तर की प्रयोगशालाओं एवं अन्य साधनों को उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करेगी। केनरा बैंक को सरकार ने इसका प्रमोटर बनाया है। इसमें सरकार की 1000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान इससे ऋण लेने के लिए योग्य होंगे। सरकार ऋण के ब्याज का भार उठाएगी, जबकि शिक्षण संस्थाओं को केवल मूलधन चुकता करना होगा। यही नहीं, केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के विस्तार के लिए 7 नए आईआईएम, 6 नए आईआईटी, एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक नया आईआईटीटी, एक नया एनआईटी, 104 से भी अधिक केंद्रीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय खोले हैं।

भारत की ग्रामीण शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग

मोबाइल फोन, इंटरनेट, टैबलेट, आईपैड, उनकी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया और यहां तक कि यात्रा, खाना-पकाना और संचार इत्यादि हमारे जीवन के शुरु से अंत तक का अहम हिस्सा हैं। आज समाज के हर पहलू में टेक्नोलॉजी का समावेश होना जरूरी है। इस क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन तीव्र गति से हो भी रहे हैं। शिक्षा समाज का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है जो नए आविष्कारों और खोजों से जुड़ा हुआ है। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह इस मामले में भी शहरी इलाके ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी अधिक विकसित हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने

की प्रक्रिया में क्रांति लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का जन शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग से इस स्थिति को बदला जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने के लिए, सबसे पहले अध्ययन सामग्री को छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है और इसके बाद ऑनलाइन संपर्क, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षण चर्चाओं, आभासी कक्षाओं और बातचीत के लिए विस्तारित कक्षा समुदाय बनाया जा सकता है। एक और विकल्प यह है जिसमें कक्षा के पाठ्यक्रम को एक वास्तविक समय में रिकार्ड किया जा सकता है और इन कक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शिक्षा के लिए एक विस्तारित पहुंच बनाता है। ग्रामीण शिक्षा के लिए ई-लर्निंग प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। विद्यालयों के शिक्षक अच्छी तरह से उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं। इसलिए छात्रों को नोट्स और नोटिस देने के लिए शिक्षकों को लैपटॉप और प्रिंटर दिए जाने चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अयोग्य शिक्षकों की समस्या का हल भी हो सकता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश-क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की बढ़ावा देने की भी भूमिका है जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों, नवाचारी, संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है। परिषद 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। इसे 10 सांविधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है जो नामतः इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान, प्रबंध अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, फार्मास्युटिकल शिक्षा, वास्तुशास्त्र, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग परिषद की सहायता करते हैं।

तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना

परिषद तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट-स्तर की मूल पुस्तकें

तथा अनूदित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिंदी में तकनीकी विषयों पर लिखी गई पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभाषा (हिंदी) में उपयुक्त विषयों में उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक लेखन तथा हिंदी में अनुवाद को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकी विषयों के अनुवादकों को प्रोत्साहित करना है।

डिजिटल भारत कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया देश के लोगों की सेवा करने के लिए देशव्यापी डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को गांव से देश की राजधानी से जोड़ा जाएगा। 2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से आम आदमी सरकार से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ेगा। इसके अलावा, सरकार देशभर में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी ताकि आम आदमी को किसी भी काम के लिए इंटरनेट न करना पड़े। इसके साथ ही सारे काम ऑनलाइन होने से कागज की भारी बचत होगी जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन

सरकार ने दो योजनाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया है, जिनके नाम हैं— राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) और डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए) इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 52.5 लाख विधिवत प्रमाणित लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का संचयी लक्ष्य दिसंबर 2016 में दिसंबर 2018 की प्रस्तावित

समय-सीमा से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्यों/संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में छः करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है, प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य कवर करने के द्वारा लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना है।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कम्प्यूटर चलाने या डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्ट फोन आदि) से ई-मेल भेजना और प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज करना, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना, सूचना के लिए खोज करना, डिजिटल भुगतान शुरू करना आदि और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों विशेषकर डिजिटल भुगतान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को जोड़ने के लिए है, विशेषकर ग्रामीण आबादी को लक्ष्य करते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), महिलाएं, निःशक्तजनों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए वाले वर्ग शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया के तहत बनाए गए ऐप

माईगांव मोबाइल ऐप

माईगांव ऐप नागरिक आकर्षक मंच का एक मोबाइल संस्करण है, जहां नागरिक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और समाज एवं पूरे देश के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से जुड़े सुझावों का प्रस्ताव दे सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ऐप

इस ऐप को लोगों के बीच स्वच्छता अभियान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए विकसित किया गया है।

खेलों और खेल कौशल को बढ़ावा खेलो इंडिया

- युवाओं के बीच खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 साल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- जनवरी, 2018 में पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ, जिसमें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3,507 खिलाड़ियों ने भाग लिया
- 2017-18 से 2019-20 तक पुनर्गठित खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 1,756 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय निर्धारित

नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्व पोर्टल लांच



उपलब्धियों को साझा करने हेतु प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक पारदर्शी मंच



राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मोबाइल ऐप

13 सितंबर, 2018 को देश का पहला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप (एनएसपी मोबाइल ऐप) लांच किया गया। यह पूरी छात्रवृत्ति प्रक्रिया को लागू करने का एकमात्र समाधान है। इस वेबसाइट में आप विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए, आवेदन के साथ पंजीकरण भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना लाभार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति के वितरण को प्रभावी और तेजी से भेजने में मदद करती है।

साक्षर भारत मिशन बनेगा समतुल्यता मिशन

देश के सभी लोगों को साक्षर बनाने के लिए चलाए जा रहे साक्षर भारत मिशन के स्थान पर अब समतुल्यता अभियान चलाया जाएगा। साक्षर भारत मिशन के बाद चलाए जाने वाले समतुल्यता मिशन में तीन चरण होंगे। इसमें पहले लेवल में केवल निरक्षरों को शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे, तीसरे चरण में साक्षर भारत मिशन में साक्षर हो चुके महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया जाएगा। इन्हें पांचवीं तथा आठवीं कक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता मिलेगी। समतुल्यता मिशन उन नवसाक्षरों के लिए है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं। मिशन के तहत पहले चरण में निरक्षरों को शामिल करने के साथ ही दूसरे चरण में पांचवीं कक्षा, तीसरे चरण में आठवीं कक्षा के स्तर का पाठ्यक्रम शामिल होगा। अब तक निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए लोक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए निरक्षरों को केवल परीक्षा देने के लिए ही आना होता था। समतुल्यता मिशन लोक शिक्षा केंद्रों के स्थान पर स्कूलों में चलेगा। जहां पहले संस्थागत छात्र-छात्राओं की

कक्षाएं चलेंगी, उसके बाद मिशन के माध्यम से साक्षरों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिला समन्वयक के अनुसार समतुल्यता मिशन कब से शुरू होगा और इसकी अन्य विशेषताओं को लेकर अभी किसी तरह की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन समतुल्यता मिशन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

नेशनल अपरेंटिसशिप प्रमोशन स्क्रीम

वर्ष 2016 में मोदी सरकार द्वारा अपरेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लांच किया गया। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट, जो अपरेंटिसशिप कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा वजीफा देना है ताकि वे प्रशिक्षित होकर अच्छे जॉब प्राप्त कर सकें। अपरेंटिस करने वाले विद्यार्थियों को भी 25 प्रतिशत ज्यादा वजीफा दिया जाएगा। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है। इस योजना के तहत सरकार नियोक्ता के साथ प्रति माह 1500 रुपये की अधिकतम सीमा तक वेतन में सहभागी रहेगी। नए आए प्रशिक्षुओं के लिए सरकार द्वारा 7500 रुपये (3 महीने, 500 घंटे के लिए 7500 रुपये की अधिकतम सीमा तक) तक वेतन में सहभागी रहेगी। वर्ष 2018-19 में 15 लाख प्रशिक्षु और 2019-20 में 20 लाख प्रशिक्षु प्रशिक्षित का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए प्रशिक्षुओं की भागीदारी कुल वार्षिक लक्ष्य की 20 प्रतिशत होगी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रशिक्षकों को शामिल करने वाले सभी नियोक्ताओं को 1500 रुपये प्रति प्रशिक्षु दिए जाएंगे।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। इन्हें शिक्षा के उन्नयन और कौशल विकास विषय में विशेष अभिरुचि है।)

ई-मेल : tiwarihimanshi1312@gmail.com

राष्ट्र निर्माण हेतु ग्रामीण युवा सशक्तीकरण

—डॉ. पवन कुमार शर्मा

मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी में है, उनमें से ही मेरे कार्यकर्ता तैयार होंगे।

—स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद ने कहा था— 'शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है'।

दुनिया का इतिहास कुछ ही ऐसे पुरुषों का इतिहास है जिन्हें खुद पर भरोसा था। 'आप कुछ भी कर सकते हैं', अगर आपको खुद पर विश्वास है। आप केवल तभी असफल होते हैं जब आप अपनी अनंत शक्ति को प्रकट कर पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र विश्वास खोता है तभी मौत आती है।

असली भारत गांवों में बसता है। यदि हम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं, तो युवा, जो स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हैं, का जोश और उत्साह एक मजबूत और समृद्ध मातृभूमि के लिए उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

युवाओं के पास मजबूत आंतरिक इच्छाशक्ति होने की जरूरत है। साथ ही, आंतरिक स्पष्टता की क्षमता भी। इससे उन्हें उन सभी चुनौतियों का सामना करने का साहस और आत्मविश्वास मिलेगा जो उनके रास्ते में आती हैं और उन समस्याओं को हल करने की क्षमता भी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, 'एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, सपने देखो, उसके बारे में सोचो;

उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो और बस हर दूसरे विचार को त्याग दो। यही सफलता का मार्ग है, और इसी तरह आध्यात्मिक महापुरुष पैदा होते हैं।'

बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण युवाओं को केवल एक सामाजिक मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है— भारत को अपने सपनों का देश और रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए।

ग्रामीण युवाओं को अपनी पूर्ण अव्यक्त प्रतिभा को उजागर करना अभी बाकी है। केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय बड़ी संख्या में युवा अब निजी क्षेत्र और स्वरोजगार की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों जैसेकि कौशल भारत और मुद्रा योजना के लिए धन्यवाद।

शिक्षा समाज के पुनर्निर्माण का साधन हो सकती है। ग्रामीण युवाओं के संदर्भ में यह अधिक प्रासंगिक है शिक्षा को निरर्थक माना जाता है यदि वह आम जन की परेशानियों को कम/समाप्त करने में मदद नहीं कर सकती है या सेवा की भावना रखते हुए उनके चरित्र का विकास नहीं कर सकती।



स्वामीजी कहते थे—‘अगर हमारा युवा एक गरीब बच्चे को शिक्षित करने या उसे कुछ कौशल प्रदान करने में कुछ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करता है जो उसे एक अच्छी आजीविका कमाने में सक्षम बनाए तो यह राष्ट्र के प्रति एक महान सेवा होगी।’

स्वामीजी ने महसूस किया कि हमारे किसानों की निरक्षरता ग्रामीण आर्थिक समृद्धि की हमारी खोज में सबसे बड़ी रुकावट रही। और इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। स्वामीजी का मानना था कि शिक्षा गरीब किसानों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानने और समझने में सक्षम बनाएगी।

भारत में गरीब किसानों को विविध लोगों द्वारा पीड़ित किया जाता रहा है क्योंकि वे निरक्षर थे और अपने दुर्भाग्य के प्रति अंजान और उदासीन। स्वामीजी के विचार में उचित शिक्षा ही इसका निदान हो सकता है।

वह महिलाओं को भी उचित शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करते थे चूंकि अनपढ़ माताएं परिवार का अच्छी तरह पालन-पोषण नहीं कर सकती हैं। उन्होंने जिस तरह की शिक्षा देने के बारे में विचार किया उससे समाज के ग्रामीण तबके की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। जैसाकि स्वामीजी ने कहा— ‘यह बेहतर होगा कि सेवा के लिए रोने के बजाय लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिले जिससे उन्हें काम मिले और वे दो वक्त की रोजी-रोटी कमा सकें।’

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मुझे कुछ अविवाहित स्नातक मिल जाएं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर वहां उनकी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश कर सकता हूं। ताकि जब वे वापस आए, तो वे अपने ज्ञान को भारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे अच्छी बात और क्या होगी! वहां, जापान में आप ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर पाते हैं।

हमारी युवा महिलाएं भी देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। सिविल सेवा सहित राष्ट्रीय-स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में काफी अच्छा काम कर रही हैं। आज देश में कई अग्रणी कॉर्पोरेट प्रमुख और उद्यमी महिलाएं हैं।

देशभक्ति से तात्पर्य देश के सभी हिस्सों में रहने वाले प्रत्येक

नागरिक के प्रति भाईचारे की भावना और उनके सुख-दुख को साझा करने से है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि ‘जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जिन्हें उनके खर्च पर शिक्षित किया गया है, और वे उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं!’

निसंदेह, हमारे जीवन में कैरियर, नौकरी से संतुष्टि, दोस्ती, मनोरंजन सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा देश के उन लाखों लोगों के बारे में सोचने के लिए भी वक्त निकालें जिनके लिए दिन में दो वक्त की रोटी एक ‘लक्जरी’ है। स्वामीजी मानते थे कि मुट्ठी भर ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में देश के लिए जितना काम कर सकते हैं, भीड़ उतना काम एक सदी में भी नहीं कर सकती।

यह महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करें और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता को समझें और आत्मसात करें। देश के विभिन्न हिस्सों के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें, रंगीन पोशाकों पहनें, समृद्ध साहित्य पढ़ें और देशभर के मंत्रमुग्ध करने वाले संगीत को सुनें। केवल तभी संवादहीनता की दूरी को पाटा जा सकता है। युवाओं को गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बुराइयों और ऐसी अन्य विकृतियों के खिलाफ धर्मयुद्ध में एकजुट होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि इस खाई को पाटा जाए।

युवाओं को सिस्टम के प्रति अपनी उदासीनता को त्याग कर संवैधानिक प्रावधानों जैसे सूचना के अधिकार के माध्यम से सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। राष्ट्र की सेवा में हर कोई एक सैनिक या प्रशासक नहीं हो सकता। अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान में दिए गए अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी समान रूप से सचेत रहना चाहिए। कोई भी इन कर्तव्यों का पालन कर प्रभावी ढंग से राष्ट्र की सेवा कर सकता है।

(लेखक दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल हैं।)

ई-मेल : pawandcac@gmail.com

- आईडिया और इनोवेशन हमेशा भारत के सामान्य जीवन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन युवाओं की इन शक्ति का राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए उपयुक्त वातावरण अब तैयार किया जा रहा है।
- इनोवेटिव आईडिया को आगे लाने के लिए स्मार्ट इंडिया हेकेथॉन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के नौजवानों को देश की समस्याओं को सुलझाने के कार्य से सीधा जोड़ा गया है। इसी रास्ते पर चलते हुए युवा स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखेगा।
- आज डिजिटल पेमेंट की प्रगति देखिए, ये युवा ही तो हैं जिनकी वजह से आज देश के हर गांव में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था पहुंच गई है।

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, न्यू इंडिया कॉन्क्लेव, 16 जुलाई, 2018

NEXT IAS

BIG LEARNINGS MADE EASY

AN INITIATIVE OF MADE EASY GROUP • UNDER THE GUIDANCE OF Mr. B. SINGH (CMD, MADE EASY GROUP)
 ✓ Quality Teaching ✓ Comprehensive Study Material ✓ Well Planned Curriculum ✓ Professionally Managed



PRELIMS EXCLUSIVE GS COURSE FOR CSE (PRE) 2019



Features

- 90 days comprehensive course with 3 to 4 hours of classes per day.
- Concise in duration but extensive in coverage.
- Targeted, focused and current based approach.
- Classes to be conducted by renowned and experienced faculties.
- Focus on individual support.
- Includes 10 Full Syllabus Tests for G.S. [Prelims].
- Provision of regular interaction with subject experts through our Online Learning Platform.
- Regular assessment of performance through well designed class tests.
- Includes comprehensive reference study material.



Live/Online
Also available

**Commencing
17th January**

CSAT CLASSROOM PROGRAMME

Features

- 120+ hours of exhaustive classroom sessions.
- Includes comprehensive reference study material.
- Programme designed as per UPSC requirements.
- Facility of online/offline mode.
- Classes to be conducted 4 days a week.
- In-depth coverage of entire syllabus.
- Includes 10 Full Syllabus CSAT tests.
 - (i) Tests strictly based on UPSC pattern with simulation of actual Exam Environment.
 - (ii) Detailed test paper discussions.



Live/Online
Also available

**Commencing
10th January**

PRELIMS GS TEST SERIES for CSE 2019



Features

- 17 GS Tests.
- 7 Sectional + 10 Full Length.
- Answer discussions by subject experts.
- Simulation of UPSC Exam Environment.
- Tests strictly based on UPSC pattern.

**Commencing
30th December, 2018**

Features

- 2 Months (Jan-Feb) intensive test series.
- 8 Tests (4 Ethics + 4 Essay).
- Comprehensive evaluation within 7 Days.
- Simulation of UPSC Exam Environment.
- Detailed model answers.
- Test discussion videos on Student Portal.
- Flexibility of self-scheduling available after the actual test date.

**Commencing
5th January, 2018**

ESSAY & ETHICS TEST SERIES for CSE MAINS 2019



NEXT IAS CENTRES

Old Rajinder Nagar Centre (Delhi)
Mob.: 8800338066

Saket Centre (Delhi)
8800776445

CONTACT US

✉ info@nextias.com
🌐 www.nextias.com



/NEXTIASMADEEASY



/NEXTIASMADEEASY



@nextias



/NEXTIAS



/Next-IAS-1

परंपरागत शिल्प को बढ़ावा

—हेना नकवी

भारत में हस्तशिल्प और हस्तकौशल का इतिहास हमारी सभ्यता से जुड़ा है। हर गांव में शिल्प विशेष से जुड़े कारीगर परंपरागत रूप से रहते आए हैं। हाल ही के वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाओं एवं अन्य प्रयासों से शिल्पियों विशेषकर ग्रामीण शिल्पियों के हुनर को सम्मान मिला है और उनका शहरों की ओर पलायन रुका है। आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से अब ये शिल्पकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों में विशेष हस्तशिल्प विकसित हुए, जिन्हें खरीद कर लोग बड़ी शान से व्यवहार में लाते हैं। उत्तर प्रदेश की जरी-जरदोजी, बनारसी साड़ी, चिकनकारी और टेराकोटा हो, आंध्रप्रदेश की कलमकारी, कर्नाटक के नक्काशीदार लकड़ी के खिलौने हों, या मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी और बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की बांस की मंजूषा हो, कश्मीर की कढ़ाईदार पश्मीना शाल हो या गुजरात की कशीदाकारी, राजस्थान की कठपुतलियां हो या गोवा की मोमबत्तियां, यह सभी केवल स्थानीय-स्तर के हस्तशिल्प ही नहीं हैं बल्कि इन स्थानों का गौरव भी हैं। यह समृद्ध विरासत कमोबेश भारत के हर क्षेत्र में मौजूद है। इन हस्तशिल्पों की पहचान केवल राज्य अथवा राष्ट्र-स्तर तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनके नाम ने अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर भी भारत का नाम बुलंद किया है। हस्तशिल्प के अंतर्गत हाथ अथवा हाथ एवं हल्की प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से बनी वस्तुओं की एक वृहद् एवं विविध

शृंखला (हैंडलूम क्षेत्र समेत) को शामिल किया जा सकता है। इस मामले में हमारा देश अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि हमारी वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह हमारे हस्तशिल्प भी उतने ही विविध और अनूठे हैं और सदियों से हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं।

वर्तमान में सरकार के प्रयास और प्रोत्साहनपूर्ण योजनाओं के चलते अब इनमें से बहुत सारे हस्तशिल्प लघु और मध्यम उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। यही नहीं, इनमें से कई शिल्प अब ज्योग्राफिक इंडिकेशन के प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर चुके हैं, जो उनकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता का मानदंड हैं। सरकार ने पिछले चार वर्षों में परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने की कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अधिकतर मामलों में ये योजनाएं एक-दूसरे की पूरक बन जाती हैं,





यानी कौशल विकास में लाभार्थी अपने परंपरागत या नए चुने हुए कौशल को सीखता-निखारता है, और फिर उसे मुद्रा योजना के तहत बिना किसी बैंक गारंटी या गिरवी के आसानी से ऋण मिल जाता है। इस प्रकार ये दोनों योजनाएं समावेशी और लाभकारी हैं।

अप्रैल, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों को त्वरित एवं बाधा रहित ऋण मुहैया कराने के लिए मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनैंस एजेंसी) की स्थापना की गई है। इस कदम के तहत उद्यम के जीवनकाल के चरण के अनुसार एवं उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकता के अनुरूप उन्हें तीन विभिन्न श्रेणियों— 'शिशु', 'किशोर' एवं 'तरुण' के तहत किराया तिरु ऋण प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थानों (कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आदि) से भौतिक तरीके से अथवा संबंधित पोर्टल के माध्यम से भी ऋण का आवेदन दिया जा सकता है। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना से विभिन्न प्रकार के उद्यमियों के अतिरिक्त हस्तशिल्पकारों को भी सस्ता ऋण मुहैया कराया गया है जिससे उनके उद्यम का आकार बढ़ने और उनकी आय में वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में निवेश के लिए निजी बैंक भी तेजी से आगे आ रहे हैं। यह साबित करता है कि इस क्षेत्र में बैंकों को ऋण डूबने का अंदेशा काफी कम है।

बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों को बेहतर ढंग से सहयोग प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प-समृद्ध भौगोलिक क्षेत्रों को विभिन्न 'मेगा क्लस्टरों' के तहत विभक्त किया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य ज़मीनी-स्तर पर लाभार्थियों की आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं मार्केट लिंकेज तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अभिगम का दूरगामी लक्ष्य क्लस्टरों को सभी आधुनिक बुनियादी संरचनाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया को इस प्रकार सहयोग प्रदान करना है जिससे इन लाभार्थियों की उत्पादन-विपणन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने क्लस्टर क्षेत्र से ही हो जाए। इन क्लस्टरों के तहत मुख्यतः बरेली,

लखनऊ, कच्छ, जोधपुर, मुरादाबाद, नरसापुर, भदोही, मिर्जापुर एवं जम्मू-कश्मीर के नाम लिए जा सकते हैं। इन क्लस्टरों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 'हैंडीक्राफ्ट्स मेगा क्लस्टर मिशन' की शुरुआत की गई है। 'कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम' के तहत आंध्र प्रदेश के नरसापुर में अंतर्राष्ट्रीय लेस ट्रेड सेंटर एवं मुरादाबाद में संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। काष्ठ-आधारित शिल्पों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सहारनपुर में प्रौद्योगिकी उन्नयन केंद्र की शुरुआत की गई है। डिजाइन एवं उत्पादों को बेहतर फिनिशिंग संबंधी सहयोग प्रदान करने हेतु जोधपुर एवं सहारनपुर में 'कॉमन फैसिलिटी' सेंटर स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' का उद्देश्य जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी जैसे उपायों से हस्तशिल्पकारों को सशक्त बनाना है। योजना के एक प्रमुख

हस्तकला प्रोत्साहन के नए प्रयास दीनदयाल हस्तकला संकुल

हस्तकला प्रोत्साहन में विपणन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कहावत है—जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमारा हस्तशिल्प तो समृद्ध है, लेकिन अगर वह कद्रदानों के हाथों तक न पहुंचे और कारीगर को उसकी कला का सही मूल्य न मिले तो सारी मेहनत व्यर्थ है। हस्तशिल्प और हस्तकला को उचित बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए पिछले चार वर्षों में अनेक सार्थक प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है— वाराणसी में नवनिर्मित स्टेट-ऑफ-द-आर्ट विपणन केंद्र और हस्तकला संग्रहालय। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर, 2017 को किया था। साढ़े सात एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह केंद्र जिला मुख्यालय से लगभग पांच किलोमीटर दूर बड़ा लालपुर में निर्मित किया गया है। इस केंद्र में व्यापारियों और हस्तशिल्पियों के लिए पैवेलियन हैं, जो किराये के लिए उपलब्ध हैं।

बहुमंजिला संकुल में आधुनिक हाट के साथ-साथ कन्वेंशन सेंटर, म्यूज़ियम, फूड कोर्ट और पार्किंग की सुविधा है। वर्तमान में इस केंद्र की आधे से अधिक दुकानें बुक हो चुकी हैं। लालबहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के निकट होने के कारण देशी-विदेशी पर्यटकों-व्यापारियों की इस संकुल तक पहुंच आसान है। इसकी स्थापना से न केवल छोटे और मंझोले उद्यमियों को एक विश्वस्तरीय मंच मिला है, बल्कि परोक्ष रूप से इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

वाराणसी में ही चौकाघाट में स्थापित 'अर्बन हाट' में वैयक्तिक-स्तर पर काम करने वाले शिल्पियों को दुकानें दी गई हैं। यहां देशभर के हस्तशिल्प की प्रदर्शनियों के आयोजन भी होते रहते हैं।

घटक, 'दस्तकार सशक्तीकरण योजना' के अतिरिक्त अन्य घटकों जैसे डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, हस्तशिल्पकारों को प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी ढांचा व प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोगों से हस्तशिल्पकारों की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बाज़ार में हस्तशिल्प उत्पादों की मांग में तेज़ी लाने तथा उनके बेहतर विपणन के उद्देश्य से भारत एवं विदेशों में भी इन विषयों पर सेमिनार तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन उत्पादों को घर-घर में लोकप्रिय बनाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) द्वारा उत्पाद-विशिष्ट शो (प्रदर्शन कार्यक्रमों) के अतिरिक्त हरेक वर्ष दो बार इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फ़ेयर का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में मुख्य हस्तशिल्पकार द्वारा विषयमूलक प्रदर्शनियों एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन जैसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि इन उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो सके और क्रेता-उत्पादक के बीच सीधा संवाद हो सके। भारत एवं विदेशों में आयोजित किए जाने वाले संबंधित मेलों एवं प्रदर्शनियों तथा उत्पादक-क्रेता बैठकों में हस्तशिल्पकारों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विपणन विकास सहयोग अनुदान (मार्केट डेवलपमेंट ऐसिस्टेंस-एम.डी.ए) एवं विपणन पहुंच सहयोग (मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव-एम.ए.आई.) जैसे नए कदम उठाए जा रहे हैं।

हस्तकला जैसे मानवीय आयाम और प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' का अनूठा गठजोड़ है, 'इंडिया हैंडलूम बाज़ार' नामक ऑनलाइन पोर्टल। जनवरी, 2017 में शुरू किए गए इस द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) पोर्टल का उद्देश्य हस्तशिल्पकारों एवं बुनकरों को बिना किसी मध्यस्थता के प्रत्यक्ष विपणन सहयोग संबंधी सहयोग प्रदान करना है। बुनकर एवं हस्तशिल्पकार अपने उत्पादों से जुड़ी जानकारी इस पोर्टल पर दर्ज कर सरलतापूर्वक संभावित खरीददारों एवं निर्यातकों तक पहुंच सकते हैं। बुनकरों

विदेशी मेहमानों को उत्कृष्ट देशी उपहार!

यह हमारे हस्तशिल्प क्षेत्र की महिमा है कि अति महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के रूप में अक्सर हस्तशिल्प उत्पाद ही दिए जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला था, वर्ष 2015 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को बनारस की विशेष 'कटुआ' साड़ी (सोने-चांदी के तारों से बुनी गई रेशमी साड़ी) उपहार के रूप में दी गई थी। इसी तरह वर्ष 2017 में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन के दौरान इवांका ट्रम्प को तेलंगाना सरकार द्वारा सुप्रसिद्ध पोचमपल्ली साड़ी का उपहार दिया गया। हमारे यह खास मेहमान इन खास उपहारों के साथ भारत के आतिथ्य सत्कार की मीठी यादें भी साथ ले जाते हैं।

सरस मेलों से एकल और छोटे उद्यमियों को मिला मंच

अगर आप घर पर ही अचार, पापड़, बड़ी, सिरका या इस जैसे अन्य उत्पाद तैयार करती/करते हैं या फिर स्वयंसहायता समूह में सदस्य हैं, जिसने छोटा-मोटा उद्यम लगा रखा है, तो आपके लिए 'सरस मेला' उपयुक्त मंच है, जिसमें आप अपनी कला/हुनर/कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से उन साधनहीन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है, जिनके पास हुनर तो था, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का सही मोल नहीं मिलता था। ये मेले सरकारी सहयोग से आयोजित होते हैं और इनमें बैकर, क्रेता-विक्रेता और उत्पादक की सीधी बातचीत होती है।



एवं हस्तशिल्पकारों तक सीधे पहुंचने के लिए 'हस्तकला सहयोग शिविर' नामक विशेष आउटरीच कार्यक्रमों की भी यहां चर्चा की जा सकती है। अक्टूबर 2017 में दो सौ से अधिक जिलों में तकरीबन चार सौ ऐसे शिविरों का आयोजन कर बड़ी संख्या में बुनकरों एवं हस्तशिल्पकारों को उनके उद्यम को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया गया जिनमें 'मुद्रा' ऋण प्राप्त करने में सहयोग, करघा एवं आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति, पहचान-पत्र प्रदान किया जाना तथा प्रतिभागियों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए इग्नू (इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी) एवं एन.आई.ओ.एस. (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग) में नामांकन जैसे प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

विभिन्न उपायों से हस्तशिल्प क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के पीछे सरकार की दूरगामी सोच है जिसके विविध एवं स्थायी परिणामों की अपेक्षा है। उद्यमों को मजबूती देने और उनका आकार बढ़ने से हस्तशिल्पकारों की आय में वृद्धि होगी और इन उद्यमों में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। यह संवर्धित एवं सुदृढ़ सूक्ष्म उद्यम बेरोज़गारी में कमी एवं जीवन-स्तर में सुधार लाने का माध्यम बनेंगे। बेहतर आय के कारण गांव से शहर की ओर पलायन रुकेगा। यही नहीं, यह सुदृढ़-सूक्ष्म इकाइयां विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को सौंपी जा सकेंगी जिससे हमारी इस समृद्ध विरासत का संरक्षण होगा। इन सभी परिणामों का संयुक्त परिणाम होगा, ग्रामीण विकास को गति एवं सशक्त ग्रामीण समुदाय!

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई-मेल : hena.naqvipti@gmail.com

ग्रामीण युवा महिलाओं में उद्यमिता विकास

—डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी

महिलाओं का उद्यमिता की ओर रुझान तथा राष्ट्रीय आय में उनका योगदान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, निवेश, निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने एवं बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित करने में महिला उद्यमियों की भूमिका में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बैंकिंग संगठन एवं विभिन्न गैर-सरकारी संगठन महिलाओं में उद्यमिता विकास हेतु प्रयासरत हैं।

“महिलाओं को सशक्त बना कर ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है”!

— डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम

बदलते विश्व आर्थिक परिदृश्य में पुरुष एवं महिला दोनों की आपसी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं में उद्यमिता विकास एक अति आवश्यक शर्त बन गई है।

उद्यमिता नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और अन्य खतरे की संभावना होती है। उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर उद्यमी के गुणों को बढ़ाएं। ग्रामीण युवा महिलाओं में कौशल का विकास कर हम जनसंख्या के बढ़ते दबाव को निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं। उद्यमी बनना एक व्यक्तिगत कौशल है जिसका संबंध न

जाति, न धर्म, न समुदाय से रहता है, बल्कि इसकी संकल्पना ही स्वहित से प्रेरित होती है।

उद्यमी मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतक होता है। वह एक नवप्रवर्तक है जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है, समस्याओं को सुलझाता है गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है। हम कह सकते हैं कि उद्यमी वह है जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति एवं गुण होते हैं तथा वह उनको व्यवहार में लाता है। किसी विचार, उद्देश्य, उत्पाद या सेवा को सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है। एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए। लेकिन, उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य भी है, जिसको सीखा जा सकता है। उद्यमशीलता नए विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया है। ध्यान रहे, देश के आर्थिक विकास





के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है। इसमें लघु उद्यमों को सम्मिलित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में, बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं संपन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है।

युवा महिलाओं को उद्यमी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका हल आपसी समन्वय, जनजागृति, कौशल विकास, सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता आदि में ही छुपा हुआ है। “सशक्त महिला व सशक्त समाज” दोनों ही राष्ट्र के विकास के लिए एक-दूसरे के सम्पूरक हैं। युवा महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं में मनोसामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, व शैक्षणिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस प्रकार, हम शिक्षित एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को सफल व सशक्त मान सकते हैं तथा वैचारिक बदलाव से ही हमारे समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता आ सकती है।

किसी भी राष्ट्र, राज्य व क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव संसाधन की कार्यक्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, कौशल एवं शिक्षा आदि प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करता है। आज के नारी व पुरुष दोनों ही राष्ट्र निर्माण व विकास में समान सहभागिता निभाते हैं। अर्थात् जन-सहभागिता से ही समुदाय विकास की वास्तविक रूपरेखा तैयार करना संभव है। वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं का राष्ट्रीय विकास में अमूल्य योगदान है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर देश की प्रगति में भारतीय महिलाएं निर्विवाद रूप से अपना सहयोग देती आ रही हैं। किंतु प्रमुख राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को समुचित रूप से मान्यता धीरे-धीरे मिल पा रही है। महिलाओं के आर्थिक विकास से ही सामाजिक संरचना में सकारात्मक दिशा में परिवर्तन होना संभव है। हमारे देश की महिलाएं, पुरुषों के समान

ही आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। यदि हम आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की व्यावसायिक संरचना को दृष्टिगत करें तो हमें ज्ञात होता है कि सर्वाधिक महिलाएं कृषि, निर्माण कार्य, संगठित व असंगठित क्षेत्र आदि में लगी हुई हैं जबकि सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत सबसे कम महिलाएं कार्यरत हैं।

स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर, संगठित करके आजीविका, जागरूकता आदि कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में स्वैच्छिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं को साक्षर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। सक्षम महिलाओं के द्वारा पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं, स्वयंसहायता समूह, आय वृद्धि कार्यक्रम और उद्यमशीलता प्रशिक्षण आदि को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

लघु उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं में जो परंपरागत जीविका से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित हो रही हैं। लघु तथा सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र की एक दीर्घावधि ऐतिहासिक परंपरा है और स्वतंत्रता मिलने के उपरांत देश का संपूर्ण आर्थिक विकास हो पाना संभव होता है। महिलाओं की रोजगार पद्धति, वृद्धि, भौगोलिक फैलाव व सकल औद्योगिक उत्पादन में सहयोग देने से, लघु उद्यम क्षेत्र गरीबी दूर करने तथा लाभप्रद रोजगार के उच्चतर स्तरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पिछले कई दशकों से, स्वैच्छिक संगठनों ने लघु उद्यमों के जरिए निम्न वर्ग की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

वित्तीय समावेशन का नया मंत्र जैम त्रे: के आयाम और महिला उद्यमी का प्रयास



जन-धन योजना, आधार नंबर और मोबाइल बैंकिंग, इन तीनों के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को जेएएम, यानी जैम त्रे: का नाम दिया गया है। यानी जन-धन योजना के माध्यम से शून्य बैलेंस बैंक खाते खोलना, उसको आधार नंबर और मोबाइल से जोड़कर बीमा, खाद्य सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, खाद सब्सिडी इत्यादि की सुविधाएं आसानी से, कम लागत पर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि देश के वित्त की मुख्यधारा से कटे गरीबों को जोड़ने की कोशिश जैम त्रे: मंत्र के माध्यम से की जा रही है, जो एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है।

ग्रामीण युवा महिलाओं में उद्यमिता विकास से सामाजिक सशक्तीकरण

राष्ट्र का निर्माण महिलाओं के बिना अकल्पनीय है। जबकि सामाजिक सशक्तीकरण महिलाओं के आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं है। देश की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। लघु उद्यम और लघु व्यवसाय विकास कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

महिलाओं के लिए लघु उद्यम का क्षेत्र

लघु उद्यम विकास गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है और इस प्रकार वे अपनी आय और जीवन-स्तर में सुधार ला सकती हैं। लघु उद्यम विकास एक उभरती हुई प्रक्रिया है, जो कम पूंजी, कम जोखिम और शुरुआत में कम लाभ के साथ आरंभ होती है। तकनीकी प्रशिक्षण या कुशलता विकास से महिलाएं अपने उद्यम एवं आय को बहुत बढ़ा सकती हैं। इसके लिए उन्हें ऋण और प्रशिक्षण की आसान उपलब्धता होनी जरूरी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

एनआरएनएम के तहत सभी महिला स्वयंसहायता समूह तीन लाख रुपये तक का ऋण मात्र 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर पा सकेंगे। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने वाले इन समूहों को ब्याज दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह महिला स्वयंसहायता समूहों को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ 150 जिलों में उपलब्ध थी। अब अतिरिक्त 100 जिलों में इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अगले पांच वर्षों में देशभर के निर्धन परिवारों में कम से कम एक महिला को स्व-सहायता समूह से सकारात्मक रूप से जोड़ेगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गरीबों को समर्थ बनाकर उनके जीवन को प्रभावित करना अर्थात् जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार लाना और इसके लिए ऋण सुविधा हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) नई भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय महिला कोष का योगदान

राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा मार्च, 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन अर्ध सूक्ष्म ऋण संगठन के रूप में की गई। यह कोष एक राष्ट्रीय-स्तर का सूक्ष्म ऋण संस्थान है जो देश की गरीब महिलाओं को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देता है और गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेंसियों के मार्फत अर्ध-औपचारिक तरीके से गैर-सब्सिडीयुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। वर्तमान में इसकी मूलराशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला कोष मॉडल ग्रामीण व शहरी निर्धन महिलाओं को समूह में संगठित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास

व सशक्तीकरण का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। राष्ट्रीय महिला कोष के पास स्वैच्छिक संगठनों में व्यापक जागरूकता लाने व उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए नए और सक्षम गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) सहित क्रेडिट नोडल एजेंसियां हैं। नोडल एजेंसी योजना के अलावा, राष्ट्रीय महिला कोष फ्रेंचाइजी भी नियुक्त करता है। राष्ट्रीय महिला कोष इन्हें धन प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा निर्धारित शर्तों पर इस धन को राज्यों, जिलों के छोटे एवं सूक्ष्म गैर-सरकारी संगठनों को देता है। राष्ट्रीय महिला कोष का सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम अत्यधिक सफल है, जिसमें वसूली दर 90 प्रतिशत से अधिक है।

आर्थिक सशक्तीकरण में स्वयंसहायता समूह

स्वयंसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनाया गया है। स्वयंसहायता समूह अधिकांश रूप से बचत और ऋण गतिविधियों से शुरू किए जाते हैं। महिलाओं को स्व-विकास, दूसरों से मेल-जोल, स्वामित्व की भावना, आत्म-अभिव्यक्ति, स्वयं और दूसरों की समस्याएं सही परिप्रेक्ष्य में देखने और उनका विश्लेषण करने एवं निर्णय लेने आदि का अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये सभी सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। उल्लेखनीय रूप से अब महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों में स्वयंसहायता समूहों का गठन और विकास घटक का आधार स्तंभ हैं। महिलाएं स्वयंसहायता समूहों के जरिए सामाजिक व आर्थिक बदलाव ला रही हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने मेहनत व लगन के बल पर यह साबित कर दिया कि स्वयंसहायता समूह के साथ जुड़कर एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है। साथ ही, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में स्वयंसहायता समूह सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाता है, कि महिलाएं घर-गृहस्थी का काम निपटाने के बाद स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं। समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं को सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से हमेशा सहयोग प्राप्त होता है।

स्वरोजगार के लिए स्वयंसहायता समूह निर्माण

स्थानीय-स्तर पर समाज के जागरूक लोग स्वैच्छिक संगठनों, राजकीय अभिकरणों आदि के द्वारा लोगों से अनौपचारिक संपर्क कर परिचर्चा करते हैं जिससे व्यवसाय, ऋणग्रस्तता, सामाजिक कुरीतियों, सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा आदि विषयों पर स्थानीय महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है। जब कुछ लोगों में यह जागृति दृष्टिगोचर होने लगे तो उनकी औपचारिक बैठक आयोजित कर समूह बनाएं जा सकेंगे। समूह में लगभग समान विचार एवं आर्थिक स्थिति वाले 10-25 सदस्यों का होना आवश्यक है। जब समूह तैयार हो जाए तो उसे अधिक सक्रिय बनाने के लिए चुनाव कराना चाहिए। इसमें किसी शिक्षित व्यक्ति का चयनित होना उपयुक्त होगा जिसके माध्यम से सभी दस्तावेज सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से रखे

जा सकें और सही समय पर सदस्यों को पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा सके।

समूह प्रबंधन: समूह के सदस्यों से उनकी सुविधानुसार अल्प-बचत की एक निश्चित राशि तय कर एकत्रित की जाए। एकत्रित राशि समूह के विश्वासपात्र शिक्षित व्यक्ति या कोषाध्यक्ष के पास जमा कराई जाए। समूह का नाम, प्रतिमाह अपने हिस्से की राशि जमा कराने की तारीख, समय पर न जमा कराने पर विलंब शुल्क, लोन, ब्याज, मासिक किस्त आदि तमाम बातों को समूह की सहमति से निश्चित कर लिया जाना चाहिए। समूह को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक बातों पर विचार करना चाहिए। आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध योजना बनाना और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा समूह को आगामी संदर्भित योजनाओं से भी अवगत कराना चाहिए।

प्रबंधकीय समिति का कार्यकाल, प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण करना, आकस्मिक घटना के लिए राशि रिजर्व रखना, मत भिन्नता वाले सदस्य को हटाना, सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नए सदस्य को नामित करना ऐसे अनेक मुद्दों पर विचार करके समूह के नियम लिखित रूप में तैयार कर लेने चाहिए, जिससे बाद में किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो अर्थात् सभी नियम सुस्पष्ट रूप से लिखित रूप में होने चाहिए। समूह का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा, आकस्मिक स्थिति में मीटिंग बुलाएगा, सदस्यों को प्रोत्साहित कर सभी का सहयोग लेगा और उन्हें आवश्यक जानकारी देगा। इस प्रकार सचिव समूह की मीटिंग बुलाकर उसमें लिए गए निर्णयों को लिखित रूप से अंकित करेगा। समूह के लिए आवश्यक रिकार्ड तैयार कर सुरक्षित करेगा। कोषाध्यक्ष का काम धनराशि एकत्रित करना, रिकार्ड में लिखना, रसीद देना, ऋण का प्रबंध कराना, खर्चों का हिसाब रखना एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना और हिसाब का प्रमाणीकरण कराना होगा और शेष राशि के द्वारा समूह के सदस्यों को आपात परिस्थिति में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

समूह का बैंक से लेन-देन: समूह के सदस्यों में कुछ अर्से तक नियमित लेन-देन चलता रहे जिसका लेखा-जोखा (हिसाब-किताब) रखा जाए व समूह के निर्णयानुसार बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। बचत खाता समूह अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाए। इस खाते में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से ही रुपये निकाले जा सकेंगे। समूह के कामकाज के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवार की महिलाओं को बैंक पच्चीस हजार रुपये आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) उपलब्ध कराता है। इस राशि का उपयोग भी समूह के सदस्य ऋण लेकर आपसी विश्वास को दृढ़ बना सकें और ऋण की वापसी नियमित हो सके। इससे जरूरतमंद समूहों के सदस्यों को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

महिलाओं का उद्यमिता की ओर रुझान तथा राष्ट्रीय आय में उनका योगदान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, निवेश, निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने एवं बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित करने में महिला उद्यमियों की भूमिका में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बैंकिंग संगठन एवं विभिन्न गैर-सरकारी संगठन महिलाओं के उद्यमिता विकास हेतु प्रयासरत हैं।

ग्रामीण महिलाओं में विकास हेतु निम्नलिखित व्यवसाय एवं उद्योगों को बढ़ाने की पहल की गई है –

1. समारोह प्रबंधन
2. जैव-प्रौद्योगिकी
3. पर्यटन उद्योग
4. वर्मी-कल्चर
5. पुष्प उत्पाद
6. रेशम कीट पालन एवं मुर्गीपालन
7. मिनरल जल
8. दूध निर्मित उत्पाद
9. पर्यावरण सहेली प्रौद्योगिकी
10. दूरसंचार व कंप्यूटर शिक्षा
11. बुनाई उद्योग, कालीन, चटाई निर्माण
12. हस्तनिर्मित घरेलू वस्तुएं
13. पेंटिंग्स, ब्यूटीपार्लर, सिलाई, बुनाई
14. मसाला बनाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती, अचार, पापड़, चटनी, जैम, जेली आदि।

उक्त उद्योगों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात् महिलाएं अब स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं समाज में अपनी अहमियत दर्शाकर नई पहचान बना रही हैं। राजनीति, खेल, शिक्षा, उद्यम सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। यह महिलाओं की इच्छाशक्ति और लगनशीलता का प्रतीक है कि आज शहरी महिलाओं के साथ-साथ गांव की महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी होकर जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। घर के चूल्हे से लेकर देश, प्रदेश, समाज के सतत् विकास में हाथ बंटा रही हैं। सामाजिक-स्तर पर भी महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी समितियां व स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयासरत हैं। महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तीकरण बेहतर तथा अधिक न्यायोचित समाज निर्माण का अनिवार्य अंग है।

(लेखक एम.बी. कॉलेज, मौलाबाग, आरा (बिहार) में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई-मेल : krishna.nipccd@gmail.com



स्टार्टअप्स जल्दी ही जीईएम प्लेटफॉर्म पर

सरकारी ई-बाजार (जीईएम) तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) स्टार्टअप्स के लिए एक पीओसी सीमा विकसित करने की प्रक्रिया में है और वह जल्दी ही स्टार्टअप्स को जीईएम प्लेटफॉर्म पर लाने में सक्षम होगी। यह देश में सरकारी बाजार तक पहुंच के लिए स्टार्टअप्स का लांच पैड होगा और उन्हें जीईएम प्लेटफॉर्म पर वस्तुएं बेचने का एक अवसर देगा। सरकारी उपयोगकर्ता पर स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए नवाचार उत्पादों और सेवाओं के प्रयोग के आधार पर पूर्व परीक्षण कर सकेंगे और उसके बाद फीडबैक देंगे।



चूंकि स्टार्टअप्स उत्पाद और सेवाएं नवप्रवर्तनशील हैं और उनकी तुलना इस तरह के उत्पादों और सेवाएं से नहीं की जा सकती, कोई भी खरीदार इनका तीन महीने उपयोग कर सकता है और इसके बाद वह स्पष्ट करेगा कि यह उत्पाद उपयोगी है और इसके दाम मुनासिब हैं। इस उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र के आधार पर उत्पाद अथवा सेवा को जीईएम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

जीईएम सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अधिकतम संख्या को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक मिशन मोड में काम कर रहा है। एमएसएमई सहायता और कार्यक्रम की पहुंच के लिए यह जीईएम की पहल है जो 100 जिलों को शामिल कर 100 दिनों के लिए चल रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत एमएसएमई की सहायता के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में नवंबर, 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।

देश के 77 जिलों में जीईएम इस मिशन का हिस्सा है और 100 दिन के मिशन के आधे रास्ते पर, जीईएम प्लेटफॉर्म पर 26 प्रतिशत वेंडर एमएसएमई क्षेत्र से हैं और जीईएम प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के 781 पंजीकरण पूरे किए जा चुके हैं। जीईएम के जरिए अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद कर रहे 170 सीपीएसई द्वारा की गई एक लाख करोड़ की सीपीएसई खरीद में से 25 प्रतिशत एमएसएमई से है।

बड़ी संख्या में जीईएम प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से एमएसएमई को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए, बिल पर छूट देने संबंधी सेवाएं टीआरडी के जरिए जीईएम पर एमएसएमई के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसे उत्पादों के पहले और बाद में पोत पर लदान के लिए सिडबी से सहायता मिल रही है। छोटे उद्यम भुगतान में देरी से निपटने में कठिनाई महसूस करते हैं। जीईएम यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस मुद्दे को एमएसएमई के लिए सुलझा दिया जाए जो अब टीआरडी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कुछ उत्पादों को जीईएम पर एमएसएमई के लिए रिजर्व कर दिया है। जीईएम 13 भाषाओं में विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण मॉड्यूल देने की भी पेशकश करता है ताकि इन्हें प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा सके।

जीईएम अब सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है जिसे इस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चौपियन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। परिवहन, निरीक्षण, वेबकास्टिंग और विश्लेषण सेवाओं का लाभ सरकारी विभागों द्वारा जीईएम के जरिए उठाया जा सकता है।

जीईएम प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद को पट्टे पर देने की सुविधा भी उपलब्ध है। जीईएम प्लेटफॉर्म के जरिए 33 सेवाएं जैसे क्लाइड, कैब सेवाएं एचआर हायरिंग, सफाई और सुरक्षा लीज पर देने के लिए उपलब्ध हैं। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जीईएम सरकारी विभागों के लिए क्यूसीबीएस आधारित खरीद की पेशकश भी कर रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक जीईएम चिकित्सा उपकरणों पर हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मिशन में इन्हें प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। जीईएम पर चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, विशाखापट्टनम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जीईएम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विश्व बैंक की 50,000 अमेरिकी डॉलर तक की परियोजनाओं का आर्डर देने के लिए किया जा रहा है।

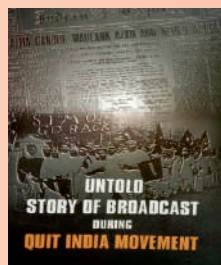
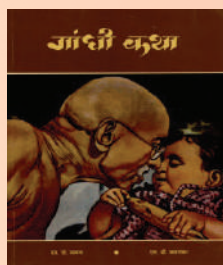
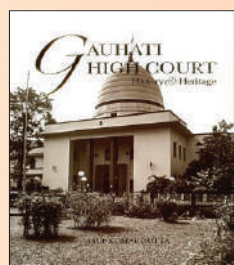
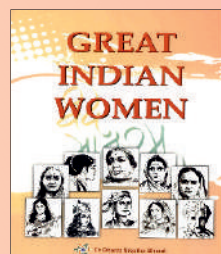
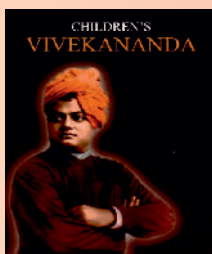
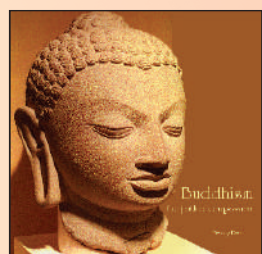
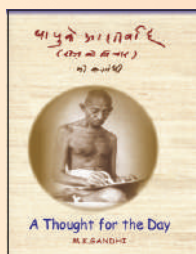
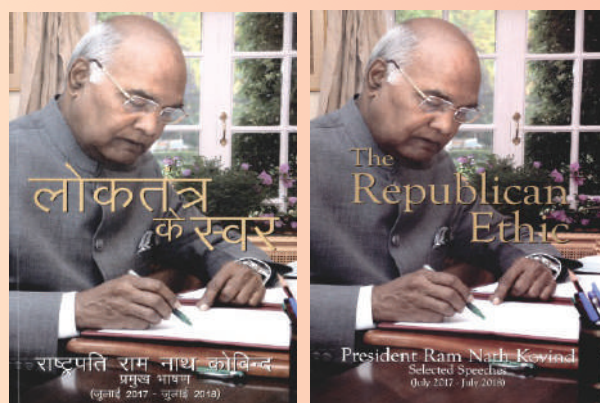
जीईएम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमजी) की शुरुआत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 5 सितंबर, 2018 को की थी ताकि प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और संघशासित प्रदेशों तथा सीपीएसयू और पीएसयू सहित उनकी एजेंसियों द्वारा जीईएम को तेजी से अपनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सके।

इस प्लेटफॉर्म को बनाने का उद्देश्य है—

सार्वजनिक खरीद में समग्रता, पारदर्शिता और प्रभावोत्पादकता को बढ़ावा देना, कैशलेस, संपर्क रहित और कागज रहित लेनदेन करना, संपूर्ण प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना ताकि खरीद में सरकारी खर्च पर पर्याप्त बचत हो सके और सरकारी खरीदारों द्वारा खरीदे जाने वाले सभी प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की आसानी से उपलब्धता रहे।



हमारे नए प्रकाशन



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ऑर्डर के लिए संपर्क करें-फोन : 011-24367260, 24365610
ई मेल : businesswng@gmail.com
पुस्तकें www.bharatkosh.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
चुनिदा ई-बुक एमाज़ोन और गूगल प्ले पर उपलब्ध।

ट्विटर हँडल पर फॉलो करें @DPD_India

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

खुले में शौचमुक्ति की ओर बढ़ते कदम

—संतोष कुमार सिंह, रेणु सिंह

बिहार में शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिए एक समग्र सोच की आवश्यकता थी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा इस चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को बनाया गया। जिस तरह की समग्र सोच एवं विकेंद्रित क्रियान्वयन इस विभाग ने किया इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले एक-दो वर्षों में पूरा बिहार प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। इस अभियान में महिलाओं ने जो नेतृत्व क्षमता दी है वह अतुलनीय है और यही इस कार्यक्रम के सफल होने में मील का पत्थर साबित होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा शौचालय निर्माण प्रक्रिया को थोड़ा विकेंद्रित करने का प्रयास किया गया। इसमें समुदाय-संचालित संपूर्ण स्वच्छता के सिद्धांत पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में इस अभियान को बहुत ही अच्छे वातावरण निर्माण के साथ दिशा दी हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार बिहार तीस प्रतिशत आच्छादन के साथ देश में सबसे निचले पायदान पर था। बिहार के सामाजिक परिवेश में नब्बे प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जिन्हें सदियों से खुले में शौच करने की आदत रही है। शौचालय उनकी दिनचर्या में ही नहीं हैं। इस तरह के समाज को शौचालय बनवा कर देने के बावजूद भी इसका उपयोग नहीं करते। 1990-95 के दशक में बने हुए शौचालय उपयोग नहीं होने के कारण आज खंडहर बन चुके हैं।

बिहार में शौचालय निर्माण एवं उपयोग एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा तथा इसको करने के लिए एक समग्र सोच की आवश्यकता थी। बिहार सरकार ने 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' को सबसे अधिक वरीयता पर रखा। इसमें सभी के लिए

शौचालय निर्माण चाहे वह गरीबी-रेखा के नीचे या ऊपर हो, किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के हो, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत जोड़ा गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार को बनाया गया। जिला-स्तर पर जिला पदाधिकारी, को जिला जल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष एवं जिले के उप विकास आयुक्त को उपाध्यक्ष एवं स्थानीय प्रशासन में प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी नामित किया गया एवं ग्राम पंचायत-स्तर पर ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति मुखिया की अध्यक्षता में गठित की गई, एवं वार्ड-स्तर पर वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस तरह सरकार के अध्यादेश द्वारा इस असाधारण से लगने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पूरी तरह का प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया।

शौचालय निर्माण सरकार द्वारा 1986 के दशक से ही किया जा रहा है। उस समय यह धारणा थी कि यदि लाभुकों को पहले राशि दे दी जाए तो वह शौचालय का निर्माण करके उसका उपयोग करेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हमारे





नीति-निर्धारकों ने यह काम उस विषय के विशेषज्ञ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दे दिया। विभाग द्वारा शौचालय तो बनवाए गए परंतु उनका उपयोग नहीं हुआ। फिर यह जरूरत महसूस हुई कि जब तक समुदाय को शौचालय उपयोग करने हेतु प्रेरित नहीं किया जाएगा शौचालय का निर्माण एवं उपयोग संभव नहीं होगा।

बिहार के स्थानीय प्रशासन में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका बड़ी ही सशक्त है। इस स्तर के पदाधिकारी को इस तरह की जिम्मेदारी देने से निश्चय ही इस योजना के क्रियान्वयन को गति मिली। इसमें किसी भी तरह की राशि का भुगतान पहले नहीं किया जाता। जब पूरे वार्ड अथवा पंचायत में शौचालय बन जाते हैं तो समारोह करके उस पूरे गांव को खुले में शौचमुक्त की घोषणा करते हुए भुगतान किया जाता है।

खुले में शौच मुक्ति की कार्ययोजना

अधिकारी और जनप्रतिनिधि का दल इस तरह से पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके अपने प्रत्येक वार्ड के सर्वेक्षण का कार्य आरंभ करते हैं। इस सर्वेक्षण में मुख्यतः यह गणना की जाती है कि कितने घरों में शौचालय हैं और कितने घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करानी है। प्रत्येक वार्ड का जब सर्वेक्षण पूर्ण हो जाता है तो इस प्रकार उस वार्ड की 'खुले में शौचमुक्ति की कार्य योजना' तैयार की जाती है। सभी वार्ड की कार्ययोजना पूर्ण हो जाने के बाद उसे हर पंचायतों की ग्रामसभा में पारित करके ग्राम पंचायत की कार्ययोजना तैयार की जाती है। जब पूरे प्रखंड की कार्ययोजना तैयार हो जाती है तो प्रखंड को एक संख्या मिल जाती है कि उन्हें कितने शौचालयों का निर्माण करना है, जिससे उनका पूरा क्षेत्र खुले में शौचमुक्त होगा। प्रखंड को इसी लक्ष्य को मूल मानकर इसी पर अपनी रणनीति तैयार करनी होती है। प्रखंड अनुश्रवण इकाई से अनुमोदन के उपरांत यह कार्ययोजना जिला जल एवं स्वच्छता समिति को अनुमोदन हेतु भेज दी जाती है।

प्रशिक्षण, वातावरण निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम

वार्ड में सर्वेक्षण के दौरान ही ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम में उत्साहित होकर भाग लेते हैं, स्वच्छता व साफ-सफाई में जिन्हें विशेष रुचि है, चिन्हित कर लिया जाता है। एवं उन्हें 'स्वच्छाग्रही' का नाम दिया जाता है। 3 से 4 वार्डों पर एक 'स्वच्छाग्रही' का चयन किया जाता है।

पंचायत के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में विभिन्न विधियों द्वारा बताया जाता है कि किस तरह से समुदाय की मानसिकता को परिवर्तित किया जाए। समुदाय में से आगे आए हुए कुछ महिलाएं, पुरुष एवं बुजुर्ग इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम शौचालय कैसे बनाएं, शुरुआत कैसे करें? प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही उनको बताते हैं कि गड्ढा खोदने से आप शुरुआत करिए और दो गड्ढे वाला जल बंद शौचालय ही बनवाए। फिर उन्हें तकनीकी जानकारी दी जाती है कि दो गड्ढे का जल बंद शौचालय ही उपयोगी क्यों है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं जैसे इसमें पानी नहीं बहता, इससे बदबू बाहर नहीं आती, मल का निष्पादन प्राकृतिक तरीके से होता है, इसको बनाना आसान है, एवं बाकी शौचालय से इसकी लागत सस्ती है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि दो गड्ढे वाला ही जलबंद शौचालय क्यों? स्वच्छाग्रही अच्छे से उन्हें तकनीकी रूप से समझाते हैं कि इस तरह के शौचालय में किसी भी तरह का पानी का बहाव बाहर नहीं होता है। इसमें गड्ढे की दूरी एवं गहराई तीन मीटर ही होती है। सूरज की किरणें तीन मीटर तक आती हैं और मानव मल को डीकम्पोज करने में मदद करती हैं। ग्रामीण इलाके के लिए दो गड्ढे वाला शौचालय और भी उपयोगी इसलिए हो जाता है कि जब दो साल बाद एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरे गड्ढे को बिना किसी लागत के चालू किया जा सकता है। एवं भरे हुए गड्ढे को छह महीने बाद उसमें से निकले हुए सूखे मल को

जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

समुदाय को मलचित्रण के द्वारा जागरूक करते हुए

प्रखंड-स्तरीय सभी पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार गांवों तथा पंचायतों में लोगों को समझाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। अखबारों एवं टेलीविजन पर विज्ञापन के माध्यम से, गली-मोहल्लों में फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से हर तरफ से प्रचार-प्रसार का पूरा कार्य किया जा रहा था। वार्डों में प्रचार-प्रसार एवं इस तरह की बैठक होने से एक वातावरण का निर्माण होता है।





स्कूल के बच्चों द्वारा स्वच्छता जागरूकता प्रभात फेरी

जिला पदाधिकारी द्वारा भी प्रत्येक सप्ताह इस कार्यक्रम का सघन अनुश्रवण किया जाता था। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को प्रशासनिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया।

शौचालय निर्माण में महिलाओं की भूमिका

महिलाओं को केंद्रित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की रणनीति तय की गई एवं उन्हें भावनात्मक रूप से शर्म, लज्जा आदि का हवाला देकर इस मुहिम के साथ जोड़ा गया। जहां महिलाएं जितनी ज्यादा जोड़ी गई, वहां उतनी तेजी से इस कार्य में प्रगति आई। बिहार में कुल सैंतीस प्रखंडों में स्वयंसहायता समूह 'जीविका' के द्वारा प्रखंड अनुश्रवण इकाई को शौचालय निर्माण में पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है। जीविका मुख्यतः महिलाओं का संगठन है जो स्वयंसहायता समूह के माध्यम से छोटी बचत करने हेतु उन्हें प्रेरित करता है।

'जीविका' की महिलाओं को जब प्रशिक्षण के बाद यह समझा दिया जाता है कि शौचालय और स्वच्छता कितनी उपयोगी है तो वह अपनी सभी सदस्य महिलाओं से इसकी लगातार चर्चा करती हैं। जहां यह महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, उन प्रखंडों का शौचालय निर्माण एवं उपयोग बहुत ही अच्छा है।

शौचालय बनवाने हेतु गड्ढा खोदते हुए महिलाएं

जीविका की महिलाओं में से ही जो समुदाय से निकल कर आती हैं, उनको कम्युनिटी कैडर कहा जाता है। इन कम्युनिटी मोबिलाइजर की अपने समुदाय पर बहुत ही अच्छी पकड़ होती है। जब कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा महिलाओं को कुछ कहा जाता है तो उन पर इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि वह स्थानीय होती हैं और उसी समुदाय में से अपने व्यक्तित्व के बल पर नेतृत्व क्षमता को प्राप्त करती हैं तो उनमें एक गजब आत्मविश्वास होता है। इसी नेतृत्व क्षमता से वह 'शौचालय निर्माण घर के सम्मान' से जुड़ती हैं एवं समुदाय को प्रेरित करती हैं कि वह अपने घर में शौचालय बनाएं और उसका नियमित उपयोग करें।

स्वयंसहायता समूह की महिलाओं में एक बहुत ही अच्छी

ग्रुप सॉलिडेरिटी (समूह सुदृढता) होती है, क्योंकि वह अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए स्वयंसहायता समूह और ग्राम संगठन पर निर्भर होती हैं इसलिए वह कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा प्रेरित किए जाने पर उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। और यही से व्यवहार परिवर्तन शुरू हो जाता है।

महिला सशक्तीकरण का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही हो सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में महिलाएं आगे बढ़कर इसको पूरा कर रही हैं। वे शौचालय बनवा रही हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं और उसको उपयोग करने के लिए भी प्रचार-प्रसार कर रही हैं।

शौचालय बनाने के लिए धन कहीं भी बाधक नहीं हैं। बस, इच्छा होनी चाहिए; धन का तो कहीं ना कहीं से उपाय हो ही जाता है। खुले में शौच मुक्त समारोहों में महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शौचालय को महिलाएं कितना महत्व दे रही हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत में यह सरकार और अधिकारियों का कार्यक्रम बन गया था। परंतु जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, समुदाय ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और ग्राम संगठन के मार्गदर्शन में इससे जुड़ी महिलाएं आगे आईं तथा जी-जान से लोहिया स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग संबंधी कार्यों में लग गईं।

शौचालय निर्माण एवं उपयोग का कोई एक निश्चित सूत्र नहीं है बल्कि कई तरह के मिश्रित तरीकों को अपनाया जाना ही श्रेष्ठ रहता है। जहां रोहतास और सीतामढ़ी जिले में अधिकारियों, पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया वहीं जिलों में 'जीविका' की महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। बिहार जो शौचालय निर्माण एवं आच्छादन में देश में सबसे निचले स्थान पर था, वहां अब उसका औसत हर दिन बढ़ रहा है। जिस तरह की समग्र सोच ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ने रखी है एवं उनकी इस मिश्रित एप्रोच से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले एक-दो वर्षों में पूरा बिहार प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। इस अभियान ने महिलाओं को जो नेतृत्व क्षमता दी है वह अतुलनीय है और यही इस कार्यक्रम के सफल होने में मील का पत्थर साबित होगी। निसंदेह प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच स्वच्छ भारत मिशन का बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के रूप में क्रियान्वयन समुदाय द्वारा बहुत ही सकारात्मक ढंग से हो रहा है। इसमें महिलाओं का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।

(लेखक शेरघाटी (गया), बिहार में प्रखंड विकास अधिकारी हैं।)

ई-मेल : santo.ac.in@gmail.com

सूचना और प्रसारण मंत्री ने 'विमन इन इंडियन सिनेमा' पुस्तक का लोकार्पण किया

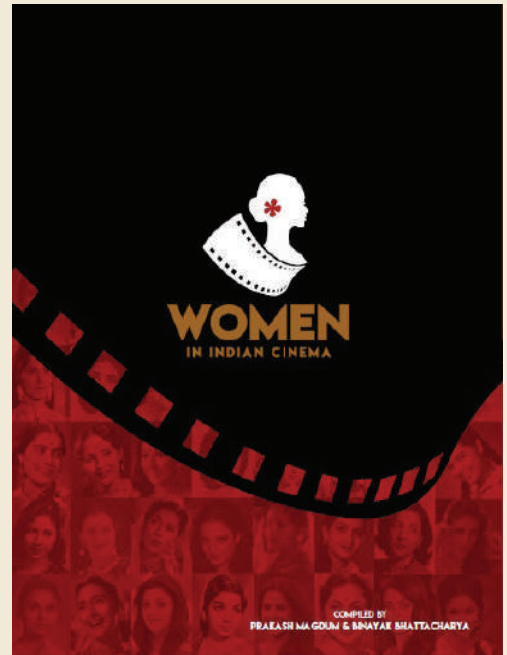


सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामलों और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हाल ही में गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई 2018) के दौरान 'विमन इन इंडियन सिनेमा' नामक किताब का लोकार्पण किया। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। किताब की प्रस्तावना में सूचना और प्रसारण मंत्री ने लिखा है— "इस किताब का विचार भारतीय सिनेमा में महिलाओं की कहानी, उनकी आकांक्षाओं, संघर्षों, जीत और कई अन्य चीजों के बारे में तस्वीरों के जरिए बयां करने का है। यह किताब पाठकों को उन दिलचस्प तरीकों के बारे में बता सकती है जिनके जरिए फिल्में नारीत्व से जुड़े विचारों के बारे में अलग-अलग परिकल्पना पेश करती रही हैं और इस सिलसिले में चीजों को देखने का नजरिया बदला है और परंपरागत ढर्रे को तोड़ने का प्रयास किया है।"

भारत के सभी हिस्सों में फिल्मों ने देश की बदलती सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया है और इसके साथ ही महिला किरदारों को भी पेश किया है। यह किताब बदलते हुए इन पहलुओं को भी छूने का प्रयास करती है। पुस्तक में भारतीय सिनेमा के चश्मे के जरिए महिलाओं और उनकी बदलती भूमिकाओं की कहानी को पेश किया गया है। साथ ही, जिस तरह से भारत में अलग-अलग ढंग के सिनेमा ने नारीत्व को दिखाया है, उसके बारे में भी वर्णन है।

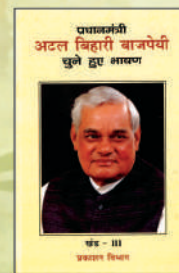
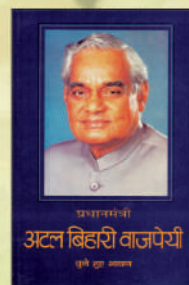
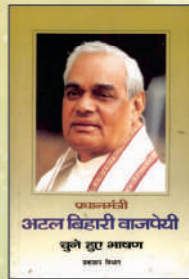
किताब के अध्याय कुछ इस तरह हैं: 'मिथ्स बीइंग रीटोल्ड', 'द सोशल मैसेंजर', 'मेनी बैटल्स टू बी वॉन', 'एन ओडि टू द क्रिएटर' और 'फेमिनाइन अंडर डिसगाइज'। इस किताब में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही व्यापक भूमिकाओं की पड़ताल की गई है।

यह किताब बुक गैलरी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में उपलब्ध है। अपनी प्रति हासिल करने के लिए इस पते पर ईमेल करें: businesswng@gmail.com.



भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी (25 दिसंबर, 1924 – 16 अगस्त, 2018)

के विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों को
जानने के लिए पढ़ें
हमारे प्रकाशन



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003



@DPD_India



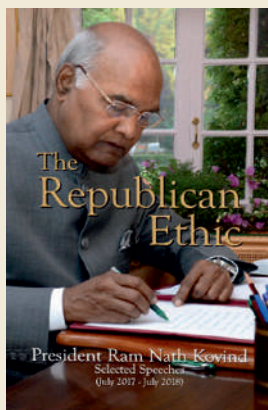
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें www.bharatkosh.gov.in
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ऑर्डर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367453, 24367260,
24365610
ई मेल : pdjucir@gmail.com,
businesswng@gmail.com

‘द रिपब्लिकन एथिक’ और ‘लोकतंत्र के स्वर’ की पहली प्रति राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट की गई

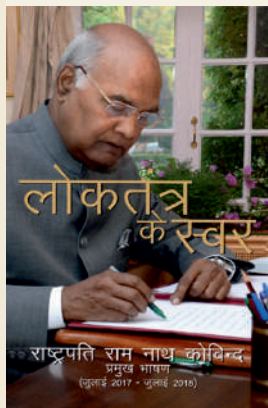
सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 8 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द से मुलाकात कर उन्हें ‘द रिपब्लिकन एथिक’ और ‘लोकतंत्र के स्वर’ नामक पुस्तकों की प्रथम प्रति भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे, प्रकाशन विभाग की महानिदेशक और दोनों किताबों की संपादकीय और डिजाइन टीम भी मौजूद थी।

राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने इन किताबों को खूबसूरत साज-सज्जा के साथ समय-सीमा के भीतर पेश करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय व प्रकाशन विभाग की प्रशंसा की। कर्नल राठौड़ ने राष्ट्रपति को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में किताबों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी।



साथ ही, इन अहम किताबों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।

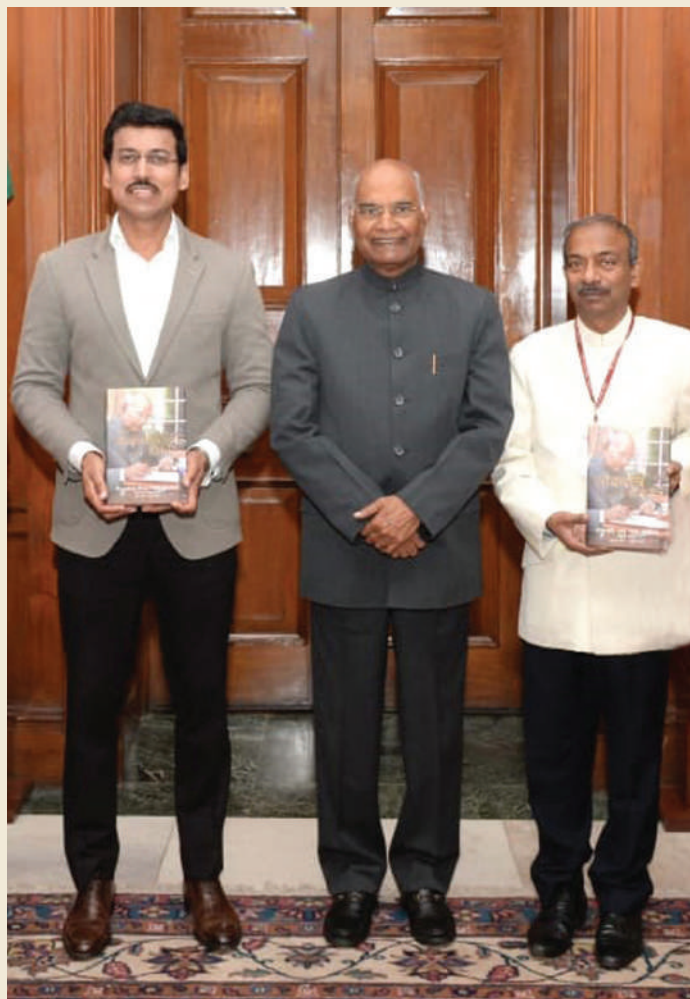
‘द रिपब्लिकन एथिक’ नामक पुस्तक को 8 खंडों में बांटा गया है। इनमें राष्ट्र को संबोधन, भारत की विविधता, दुनिया की झांकी, भारत को शिक्षित बनाने, भारत को साधन-संपन्न बनाने, सार्वजनिक सेवा का धर्म, स्पिरिट ऑफ द लॉ, एक्नोलेजिंग एक्सीलेंस, ऑनरिंग आवर सेंटिनेल्स अध्याय शामिल हैं।



‘लोकतंत्र के स्वर’ नामक किताब को 10 अध्यायों में बांटा गया है और यह दुनिया के सबसे

बड़े लोकतंत्र भारत के बारे में बहुआयामी नज़रिया पेश करते हैं। दोनों किताबें खूबसूरती से आम आदमी की भावना को बयां करती हैं, जो राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के प्रमुख भाषणों का संकलन हैं। साथ ही, इन किताबों के जरिए यह भी प्रदर्शित होता है कि वह एक बौद्धिक मस्तिष्क की दूरदर्शिता के बारे में संवाद करने में सफल रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध ये भाषण एक राष्ट्र के तौर पर भारत की कहानी और इससे जुड़ी बहुआयामी चुनौतियों की झलक पेश करते हैं। इस किताब के बुनियादी आधार समानता, समतावाद और शिक्षा हैं। इन किताबों को इस तरह से तैयार किया गया है कि पाठकों को राष्ट्रपति के विचारों और नजरिए के बारे में जानने-समझने में मदद मिल सके। खासतौर पर राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण और देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी के संबंध में राष्ट्रपति के विचारों को पेश करने का प्रयास किया गया है।

इन पुस्तकों की प्रतियां बुक गैलरी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से हासिल की जा सकती हैं। यह किताब www.bharatkosh.gov.in पर भी उपलब्ध है। इन पुस्तकों का ई-संस्करण एमेज़ोन और गूगल प्ले पर उपलब्ध है। □



माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को ‘द रिपब्लिकन एथिक’ तथा ‘लोकतंत्र के स्वर’ पुस्तकों की प्रथम प्रतियां भेंट करने के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले व खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे

Just Released

एस.एस.सी.

★ स्नातक स्तरीय

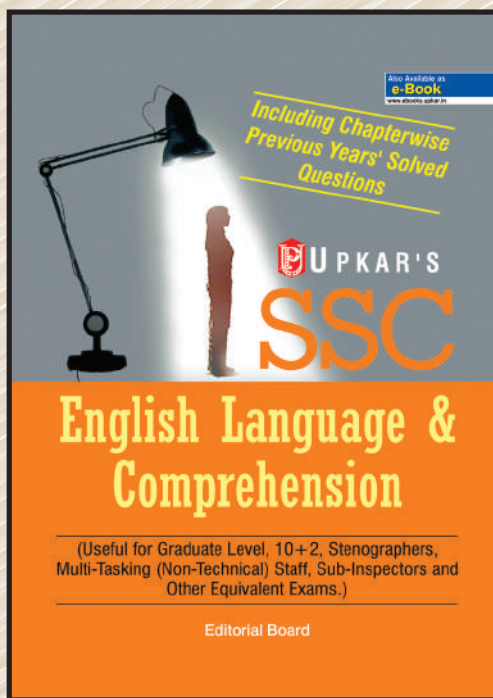
★ 10+2

★ स्टेनोग्राफर

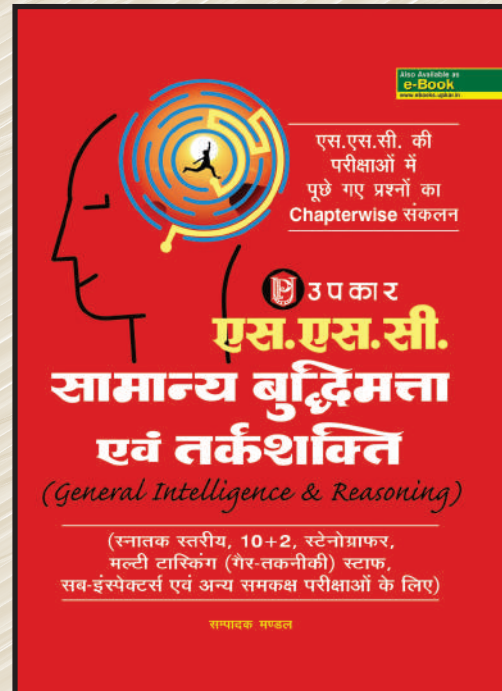
★ मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ

★ सब-इंस्पेक्टर्स

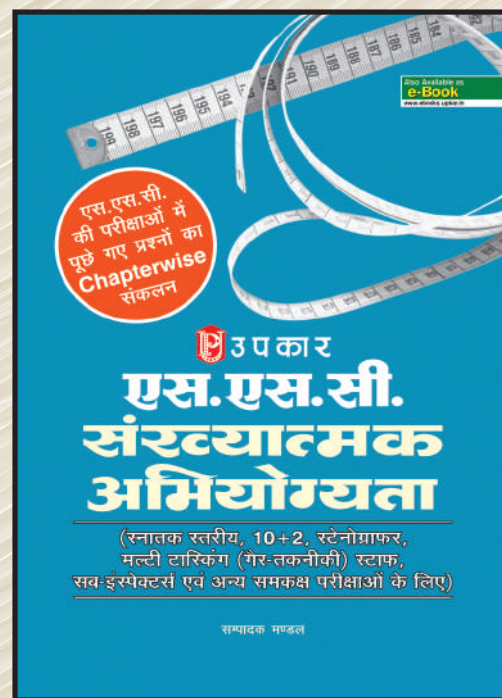
★ अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए



Code 1961 ₹ 199.00



Code 2540 ₹ 255.00



Code 2543 ₹ 380.00

एस.एस.सी. की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का Chapterwise संकलन



उपकार प्रकाशन

2/11 ए. स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330

• E-mail : care@upkar.in

• Website : www.upkar.in

• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर मो. 09370877776 • इन्दौर 9203908088

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20

1 जनवरी, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 जनवरी, 2019 को डाक द्वारा जारी



R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'द्रष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स) ₹10,000/-	सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स) ₹13,000/-	इतिहास (वैकल्पिक विषय) ₹7,000/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स) ₹13,000/-	सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स) ₹15,000/-	दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय) ₹5,000/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (39 बुकलेट्स) ₹17,500/-	सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स) ₹17,500/-	हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) ₹7,000/-

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(42 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(36 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स)
₹10,500/-

उत्तराखण्ड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(36 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

UPSC

सामान्य अध्ययन

हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में

प्रारंभ 17/19 नवंबर से
वैकल्पिक विषय

केवल हिंदी माध्यम में

इतिहास भूगोल हिन्दी साहित्य

प्रारंभ 11 दिसंबर से

UPPSC

सामान्य अध्ययन

केवल हिंदी माध्यम में

प्रारंभ 24 दिसंबर से

ऑफलाइन, ऑनलाइन
एवं पोस्टल

For UPSC CSE (in English Medium)

- Prelims (18 GS + 3 CSAT Booklets) ₹10,000/-
- Mains (18 GS Booklets) ₹11,000/-
- Prelims + Mains (36 GS + 3 CSAT Booklets) ₹15,000/-

For UPPCS (in English Medium)

- Mains ₹7,000/-
(19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets)

Invitation Offer for UPPCS

Free 6 Months Subscription of
Drishti Current Affairs Today Magazine
for comprehensive coverage
of current affairs

For Exciting offers visit our website "drishtiias.com" or call 8448485520

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485519, 8448485520, 87501-87501

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना